उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: H10289/सी–1/रसा०-175/2024 दिनांक: 03/05/2024

To, E-mail

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in

Sub: Report in compliance of the order dated- 15.12.2023 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Dellhi in Original Application No.- 859/2022 Abhist Kusum Gupta Vs. State of UP & Ors.

Sir,

In compliance of the order dated-15.12.2023 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No.- 859/2022 Abhist Kusum Gupta Vs. State of UP & Ors. The Report is annexed along with the enclosures herewith and forwarded with the request that the same may be placed before the Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

Yours Sincerely,

Enclosure- As above

(Vivek Roy)
Chief Environmental Engineer,
Circle-1

Copy to:
Shri Pradeep Mishra, Advocate on Record, Hon'ble Supreme Court/ NGT, New Delhi for necessary action please.

Chief Environmental Engineer,
Circle-1

Compliance report in the matter of OA 859/2022 Abhist Kusum Gupta Vs. State of UP & Ors.

1. Hon'ble NGT has directed in its order dated 15.12.2023

A detailed order was passed on 17.03.2023 wherein it was observed that river Hindon is a tributary of river Yamuna having length of approximately 400 km. and an approximate basin/catchment area of 7083 sq. km. It is completely rain-fed river, supported by network of 2 marshes and wetlands across its length during non-rainy seasons. It provides water support to rural population in seven Districts and is a primary source of water for residential, agricultural and industrial purposes in the said Districts. Presently, river Hindon is heavily polluted due to unimpeded dumping of waste, discharge of untreated industrial effluent and municipal/domestic sewage by local bodies. District Administration as also State Pollution Control Board and its authorities are showing a total inaction in prevention of discharge of effluent and dumping of waste.

In Compliance to Hon'ble NGT order, an Action Taken Report has been earlier submitted on 06.12.2023 in Hon'ble NGT.

Further directions have been issued by Hon'ble NGT on dated 15.12.2023 which is as follows:

"............17. Learned Counsel appearing for State of Uttar Pradesh stated that steps have been taken for installation of required number of Sewage Treatment Plants but could not show anything on record that quantity of treatment of sewage has increased or there is any improvement in quality

of treated water or the treated water is meeting standards prescribed under law. In respect of some of STPs where it was mentioned that they are under trial run and will be made fully effective by September, 2023, we find that deadline has been extended till December, 2023, meaning thereby, that functioning of STPs which were claimed to be under trial more than three months back, is still continuing same. This shows lack of seriousness and earnest efforts on the part of the authorities in discharge of their statutory functions for protection of environment. We also find that even till this date, against 27 the gross polluting industries, stringent actions like closure of industries and prosecution have not been taken.

18. Learned Counsel appearing for State stated that prosecution can be initiated only by State Pollution Control Board but when we placed before him Section 43, Section 49 (1) (p) of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter referred to as 'Water Act, 1974'), it could not be disputed that besides Board Officials, any person can initiate criminal proceedings against violators. In present case, State Authorities also could have taken action for initiating criminal prosecution against violators but no such action has been taken.

19. We also find that despite matter being pending for last more than one year, nothing substantially was improved with regard to quality of water of river Hindon and continuous discharge of untreated sewage and trade effluent is still rampant, polluting river water continuously.

Since, cognizance of offence can be taken in the manner as prescribed under Section 49 (1) of Water Act, 1974 and we are satisfied that neither local bodies for discharging sewage through drains in rivers have taken effective steps for prevention of discharge of polluted effluents and

sewage into river but even industries are also continuously doing same but no effective steps have been taken against them.

24. In these circumstances, we direct Member Secretary, UPPCB forthwith to initiate or get initiated criminal prosecution by lodging criminal complaint in appropriate court for committing offence under Section 43 read with Section 24 of Water Act, 1974 against the Officers-in-Charge of Municipal Corporations/Municipal Bodies of Saharanpur, Muzuffarnagar, Shamli, Meerut, Baghpat, Ghaziabad and Gautam Budh Nagar and also initiate criminal prosecution against industries which are discharging polluting materials in the river.

25. Besides, State Pollution Control Board and its authorities shall take immediate action for closure of the industrial and other establishments, which are discharging polluted matter in river Hindon and shall also proceed to assess and finalize adequate Environmental Compensation in view of the principles laid down by Supreme Court in ***M.C. Mehta, (1987) 1 SCC 395, Sterlite (2013) 4 SCC575; Goel Ganga (2018) 18 SCC 257; Goa Foundation v Union of India & Ors. (2014) 6 SCC 590 and Common Cause Vs. UOI & Ors., (2017) 9 SCC 499*** *and take steps for recovery of the same………"*

The compliance report of Uttar Pradesh Pollution Control Board is hereby submitted as under:

A. Sewage Treatment:

i. Status of installed Capacity for Sewage Treatment

As per the latest information provided by Uttar Pradesh Jal Nigam, GoUP, total sewage generation in Hindon river basin is 943.63 MLD. For treatment of sewage, 19 STPs with total treatment capacity of 921 MLD

are installed. The utilization capacity of 19 STPs is 758.10 MLD. To bridge the gap of 155.58 MLD as indicated in the table below; the state is taking further steps and 7 STPs of capacity 221 MLD are planned which will create total capacity of 1174.5 MLD by Dec, 2025.

District	Sewage Generation (MLD)	STP Installed			Gap (MLD)	STP Under Construction/ Under Tendering	Timeline	STP Proposed (Future Plan)	Timeline
		Number	Installed Capacity (MLD)	Utilized capacity (MLD)					
Saharanpur	137.89	01	38	38	99.89	-	-	2 (155 MLD)	Dec 2025
Ghaziabad	480	10	531.5	521.5	0	-	-	-	-
Baghpat	0.10	0	0	0	0	-	Discharge is from Ramala Sugar Mill. ZLD has been achieved by the industry.	-	-
Meerut	10	0	0	0	10	-	-	1 (6 MLD)	Dec 2025
Shamli	33.50	0	0	0	33.50	-	-	4 (60 MLD)	Dec 2025
Gautam Budh Nagar	171	05	287	143	0	-	-	-	-
Muzaffarnagar	111.14 including	03	64.50	55.60	12.19	1 (32.50	Work has been	-	-

District	Sewage Generation (MLD)	STP Installed			Gap (MLD)	STP Under Construction/ Under Tendering	Timeline	STP Proposed (Future Plan)	Timeline
		Number	Installed Capacity (MLD)	Utilized capacity (MLD)					
	34.45 MLD industrial discharge					MLD)	completed and STP is commissioned.		
Total	**943.63**	**19**	**921**	**758.10**	**155.58**	**32.5**	**-**	**7 (221 MLD)**	**Dec 2025**

B. Industrial Pollution Management:

i. Status of Industries in Hindon River Basin

There are 367 industries identified in Hindon river basin. Out of 367 industries, 30 industries are Zero Liquid Discharge based industries (ZLD). Total effluent generation from industries is 70,738.9KLD, whereas installed treatment capacity in the effluent treatment plants established for the industries is 71,092.9KLD. District wise status of industries is tabulated in table below:

Sl. No	District	Present No. of Industries	Dry Process/ ZLD Industries	Effluent generation (in KLD)	Installed Treatment Capacity (in KLD)	Gap (KLD)
1	Saharanpur	47	2	17,104	17,104	0
2	Ghaziabad	219	6	13,542.9	13,542.9	0
3	Baghpat	1	0	1,000	1,000	0

Sl. No	District	Present No. of Industries	Dry Process/ ZLD Industries	Effluent generation (in KLD)	Installed Treatment Capacity (in KLD)	Gap (KLD)
4	Meerut	5	2	2,810	2,810	0
5	Shamli	6	3	3,480	3,480	0
6	Gautam Budh Nagar	25	1	3,756	4,110	0
7	Muzaffarnagar	56	16	29,046	29,046	0
Total		**359**	**30**	**70,738.9**	**71,092.9**	**0**

Note: Total 08 industrial units have been dismantled (Ghaziabad- 04, Meerut- 01, G.B. Nagar- 02, Saharanpur- 01)

ii. Status of Action taken against defaulting Industries in Hindon River Basin

State Pollution Control Board has imposed Environment Compensation (EC) of ₹ 153 Lakhs on 27 defaulting units. Show Cause Notices have been issued to 45 defaulting units for imposition of environmental compensation equivalent to 10% turnover but not lower than assessed cost of restoration, as per the directions by Hon'ble Tribunal. UPPCB has also issued closure orders to 28 defaulting units.

S. No	District	No. of SCN	No. of Closure	EC imposed (in lakh) (₹)	EC recovered (in lakh) (₹)
1	Saharanpur	01	4	50.40	37.80
2	Ghaziabad	15	23	52.98	37.945
3	Baghpat	0	0	0	0
4	Meerut	01	01	0	0

S. No	District	No. of SCN	No. of Closure	EC imposed (in lakh) (₹)	EC recovered (in lakh) (₹)
5	Shamli	04	0	10.80	10.80
6	Gautam Budh Nagar	01	00	2.90	0
7	Muzaffarnagar	23	0	35.92	21.21
Total		45	28	153.00	107.755

Letters have been issued to the concerned District Magistrates for issuing Recovery Certificates of unpaid or outstanding Environmental Compensation.

2. **Compliance status of CPCB's Plan for restoration of polluted Stretch of River Hindon and its Tributaries based on studies of CPCB:**

i. Central pollution Control Board (CPCB) has mapped pollution sources and devised detailed plan for restoration of polluted stretch in River Hindon catchment area. The Chief Secretary, government of Uttar Pradesh vide letter dated 06.11.2023 has issued instructions to the concerned departments for its effective implementation.

ii. In compliance of earlier directions, a meeting was held on 16.04.2024 under the chairmanship of Additional Chief Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department, GoUP regarding "Pollution Source Mapping of River Hindon & its tributaries and restoration plan for polluted stretches" prepared by Central Pollution Control Board. Minutes of meeting is attached herewith annexed as **Annexure-1.**

iii. In compliance of meeting mentioned above; a letter has been sent by Additional Chief Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department, GoUP vide dated 26.04.2024 to Infrastructure & Industrial

Development Corporation for establishment of CETPs at 05 Industrial Clusters indentified by CPCB in the catchment area of Hindon River Basin. A copy of letter is attached herewith annexed as **Annexure-2.**

3. Status of Prosecution in compliance to Hon'ble NGT order

In compliance to Honb'le NGT order dated 15.12.2023 prosecution has been filed against Urban Local Bodies and Industries by the UPPCB. Prosecution has been filed against 03 industries (M/s AWF Collection, Muzaffarnagar; M/s Chaudhary Creations, Muzaffarnagar; M/s SK Collection, Muzaffarnagar) and 05 ULB's (M/s Nagar Palika Parishad, Sardhana, Meerut; M/s Nagar Palika Parishad, Loni, Ghaziabad; M/s Nagar Palika Parishad, Shamli, M/s Nagar Panchayat, Nanauta, Saharanpur; and Nagar Nigam, Ghaziabad). The complaint copy of prosecution is attached herewith annexed as **Annexure-3.** The rest 03 prosecutions against the Officers of Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA) in District Gautam Buddh Nagar are currently under process and will be filed soon. The complaint copy of rest three prosecution against Officers of GNIDA will be submitted within three weeks before Hon'ble Tribunal.

Further, it is most humbly prayed that the present litigation is not an adversarial litigation and UPPCB will not leave any stone unturned to get the order of this Hon'ble Tribunal complied in its true letter and spirit as regards the maintenance of water quality of River Hindon and effective abatement of pollution in continuous manner.

The compliance report of the U.P. Pollution Control Board is hereby submitted for the kind consideration and perusal.

(Vivek Roy)
Chief Environmental Engineer, Circle-1
U.P. Pollution Control Board, Lucknow

मा0 एनजीटी द्वारा ओ0ए0 संख्या–859/2022 अभिष्ठ कुसुम बनाम स्टेट ऑफ यूपी एवं अन्य में पारित आदेशों तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हिण्डन नदी के रेस्टोरेशन हेतु तैयार की गयी "Pollution Sources Mapping of River Hindon and its tributaries and restoration plan for polluted stretches" के संबंध में अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 16.04.2024 को अपरान्ह 12:00 बजे सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी0पी0सी0बी0) द्वारा हिण्डन नदी के प्रदूषणकारी स्रोतों की मानिटरिंग एवं इन्वेन्टरी के डाटा के आधार पर रेस्टोरेशन हेतु तैयार की गयी "Pollution Sources Mapping of River Hindon and its tributaries and restoration plan for polluted stretches" शीर्षक रिपोर्ट जोकि अध्यक्ष केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–PJ-14099/36/2022-WQM-II-HO-CPCB-HO3442, दिनांक–11.08.2023 के माध्यम से प्राप्त है। उक्त रिपोर्ट में चिन्हित किये गये हिण्डन नदी के 17 हाटस्पाट्स पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही हेतु विभिन्न विभागों के साथ बैठक आहूत की गयी। बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

2– सर्वप्रथम सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हिण्डन नदी के रेस्टोरेशन हेतु तैयार किये गये प्लान के अनुसार विस्तृत विवरण सहित प्रस्तुतिकरण दिया गया। प्रस्तुतिकरण में हिण्डन नदी के चिन्हित 17 हॉट्स्पाट्स बिन्दुओं के संबंध में विस्तृत विवरण, टैक्सटाईल उद्योग, पेपर उद्योग, चीनी उद्योग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग तथा डेयरी उद्योग के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये गये चार्टर एवं (सी0पी0सी0बी0) रेस्टोरेशन प्लान में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन का विस्तृत विवरण सहित जनपद–गाज़ियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, सहारनपुर में स्थित औद्योगिक क्लस्टर में कॉमन एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लाँट्स (सी0ई0टी0पी0) की आवश्यकता तथा हिण्डन नदी में न्यूनतम ई–फ्लो बनाये रखने तथा नदी के कैचमेन्ट एरिया/उप नदियों में स्थित नगर निकायों से सीवेज की मात्रा तथा वर्तमान में कुल स्थापित शोधन क्षमता गैप एवं प्रस्तावित एस0टी0पी0 का विवरण सहित विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया। प्रस्तुतिकरण के समय उपरोक्त बिन्दुओं सहित हिण्डन नदी के जल प्रदूषण संबंधी स्रोतों एवं स्रोतों में सुधारात्मक उपाय करते हुए प्रदूषणकारी स्रोतों को कम किये जाने जैसे बिन्दुओं पर गम्भीरता से विचार–विमर्श किया गया।

3– बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव एवं सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, उ0प्र0 शासन, नगर विकास विभाग, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, स्टेट मिशन फॉर क्लीन गंगा (एस0एम0सी0जी0), उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 जल निगम, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास इत्यादि विभागों के उपस्थित अधिकारियों के साथ निम्न बिन्दुओं पर गहन विचार–विमर्श करते हुए मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हिण्डन नदी के रेस्टोरेशन हेतु तैयार किये गये प्लान के अनुरूप प्रभावी कार्यवाही हेतु सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिए गये–

i. हिण्डन नदी के कैचमेन्ट एरिया में जनपद–सहारनपुर के अन्तर्गत 07 हॉटस्पाट्स, जनपद–शामली के अन्तर्गत 01 हॉटस्पाट, जनपद–मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत 03

हॉटस्पाट्स, जनपद–मेरठ के अन्तर्गत 02 हॉटस्पाट्स, जनपद–गाज़ियाबाद के अन्तर्गत 02 हॉटस्पाट्स तथा जनपद–गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत 02 हॉटस्पाट्स, इस प्रकार कुल चिन्हित 17 हॉटस्पाट्स पर जलगुणवत्ता के सुधार हेतु संबंधित विभाग, जिनके अधिकारी फील्ड मानिटरिंग दलों में सदस्य के रूप में नामित हैं द्वारा उपरोक्त हॉटस्पाटों के संबंध में चिन्हित किये गये प्रदूषण स्रोतों तथा प्रदूषण की नियमित अंतराल पर मॉनिटरिंग करते हुए उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाय।

(कार्यवाही – संबंधित विभाग एवं फील्ड मानिटरिंग कमेटी)

ii. हिण्डन नदी के कैचमेंट क्षेत्र के नॉन कन्फर्मिंग क्षेत्रों में स्थापित अवैध इकाइयॉ के विरूद्ध गठित समितियों द्वारा जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन के यथावश्यक सहयोग से बन्दी की प्रभावी कार्यवाही करायी जाए।

(कार्यवाही – संबंधित जिलाधिकारी, सदस्य संयोजक, जिला पर्यावरण समिति)

iii. हिण्डन नदी कैचमेंट एरिया में स्थापित कपड़ा रंगाई/इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योगों में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये गये उक्त प्लान के अनुपालन में बायोलॉजीकल ट्रीटमेंट एवं कलर रिमूवल यूनिट स्थापित कराते हुए यथासंभव शून्य उत्प्रवाह निस्तारण कराये जाने का प्रयास किया जाये। शुगर, डिस्टिलरी एवं पेपर उद्योगों में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किये गये चार्टर का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। जिन उद्योगों के पास कलर रिमूवल यूनिट व बायोलॉजीकल ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगाये जाने हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं हैं उनमें कॉमन बायोलॉजीकल ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगाये जाने अथवा ड्राई प्रोसेस पर उत्पादन एक समयबद्ध कार्ययोजना के अंतर्गत सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही – एन0एम0सी0जी0/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग/यू0पी0एस0आई0डी0ए0/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/उद्योग विभाग)

iv. संबंधित विभागों द्वारा हिण्डन नदी के प्रदूषण की वास्तविक स्थिति के आंकलन हेतु संबंधित जनपदों हेतु गठित फील्ड मानिटरिंग टीम द्वारा हिण्डन कैचमेंट एरिया ड्रेन आदि का पूर्ण सर्वे/मैपिंग किया जाए, प्रदूषणकारी उद्योगों/स्रोतों का पता लगाना तथा प्रदूषण भार का आंकलन, एसटीपी/सीईटीपी का सतत् निरीक्षण कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही/पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु प्रकरण संदर्भित किए जाए तथा जिलेवार एक्शन टेकन एवं एक्शन प्लान रिपोर्ट प्रेषित की जाए।

(कार्यवाही – संबंधित विभागों की जिला स्तरीय फील्ड मानिटरिंग टीम)

v. हिण्डन नदी के कैचमेन्ट एरिया में स्थित जनपद सहारनपुर में 99.89 एम.एल.डी. सीवेज गैप की पूर्ति हेतु 155 एम0एल0डी0 के 2 एस0टी0पी0 में से 135

एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 की टेंडरिंग की प्रकिया गतिमान है तथा यह एस0टी0पी0 दिसम्बर, 2025 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। देवबन्द में प्रस्तावित 20 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 की डी0पी0आर0 स्वीकृति हेतु एन0एम0सी0जी0 के स्तर पर विचाराधीन है। मुजफ्फरनगर जनपद की तीन एस0टी0पी0 22 + 32.5 + 10 एम0एल0डी0 कमीशन हो चुके हैं। इसी प्रकार शामली जनपद के चार एस0टी0पी0 40 + 10 + 5 + 5 एम0एल0डी0 स्वीकृत होकर टेंडरिंग की प्रकिया मे हैं। जनपद मेरठ के सरधना में 6 एम0एल0डी0 का एस0टी0पी0 प्रस्तावित था जिसे सरधना ड्रेन में अत्यधित सी0ओ0डी0 होने के कारण ड्राप कर दिया गया है। उपरोक्त एस0टी0पी0 परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाय तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सरधना क्षेत्र में अत्यधित सी0ओ0डी0 में प्रदूषण स्रोतों का पता लगाकर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाय। जनपद गाजियाबाद में निर्माण किये गये 21.5 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 कमीशन हो चुका है। समस्त एस0टी0पी0 परियाजनाओं को समयान्तर्गत पूर्ण कर लिया जाय।

(कार्यवाही – नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति/नगर विकास विभाग/उ.प्र. जल निगम, नगरीय/ग्रामीण)

vi. हिण्डन नदी के कैचमेन्ट एरिया में जनपद–गाज़ियाबाद, गौतमबुद्ध नगर एवं सहारनपुर में चिन्हित 05 नं. औद्योगिक क्लस्टरों में सी0ई0टी0पी0 की स्थापना के संबंध में संबंधित विभागों/ अवस्थाना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा समयबद्ध एक्शन प्लान बनाकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए एक्शन प्लान की एक प्रति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को भी प्रेषित की जाये।

(कार्यवाही – अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग)

vii. सिंचाई विभाग द्वारा हिण्डन नदी में ई–फ्लो बनाये रखने हेतु आसपास की अन्य जल स्रोतों में जल की उपलब्धता के दृष्टिगत वाटर वजटिंग करते हुए जल प्रबन्धन इस प्रकार से किया जाये कि हिण्डन नदी में निरन्तर ई–फ्लो बना रहे। साथ ही सिंचाई विभाग द्वारा हिण्डन नदी एवं इसकी सहायक नदियों के आसपास चिन्हित क्षेत्रों पर कान्स्ट्रक्टेड वेटलैण्ड बनाये जाने हेतु डी0पी0आर0 तैयार कराया जाय तथा उसकी प्रति उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किया जाय। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उक्त डी0पी0आर0 के पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि से वित्त पोषण हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही – सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

viii. विभिन्न जनपदों में प्रवाहित हिण्डन नदी के अतिक्रमण को कब्जामुक्त कराये जाने के संबंध में जिला स्तर पर गठित जिला गंगा समिति/जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन/सिंचाई विभाग संबंधित विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाकर नदी भूमि

को कब्जामुक्त कराया जाये तथा कब्जामुक्त नदी भूमि पर डिमार्केशन करते हुए वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण की कार्यवाही करायी जाये।

(कार्यवाही – जिला गंगा समिति/जिला प्रशासन/सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग)

4– अन्त में अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्देशित किया गया कि उपरोक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या मासिक रूप से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को ईमेल– soenvups@rediffmail.com एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ईमेल– ms@uppcb.in पर प्रेषित की जाय।

अन्त में सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।

Digitally Signed by मनोज सिंह
Date: 26-04-2024 14:50:03
Reason: Approved
(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7
संख्या–एन.जी.टी.–279(1)/81–7–2024
लखनऊ : दिनांक : 26 अप्रैल, 2024

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति/नगर विकास/सिंचाई एवं जल संसाधन/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
4. पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्ध नगर/गाजियाबाद।
5. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी (अध्यक्ष जिला गंगा समिति), सहारनपुर/मुजफ्फरनगर/ शामली/बागपत/मेरठ/गाजियाबाद/गौतमबुद्ध नगर।
6. पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर/हापुड़/मुजफ्फरनगर/शामली/बागपत/मेरठ।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद/मेरठ/सहारनपुर।
8. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
सचिव

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषणकारी स्त्रोतों की मॉनिटरिंग एवं इन्वेन्ट्री के डाटा के आधार पर "Pollution Sources Mapping of River Hindon & its Tributaries and Restoration Plan for Polluted Stretches" शीर्षक पर तैयार रिपोर्ट के संबंध में विचार–विमर्श हेतु अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 16.04.2024 को मध्यान्ह 12:00 बजे नरही स्थित वन मुख्यालय के पारिजात सभाकक्ष में आहूत बैठक का उपस्थिति पत्रक।

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	विभाग का नाम	ई-मेल/मोबाइल नं0	हस्ताक्षर
1				
2				
3	Sanjeev Kumar Singh, MS UPPCB	UPPCB	7839027890	[signature]
4	Dr. Ambrish Kumar Shukla Joint Sectry	Joint Secty Namami gange	9454413007	[signature]
5	MITHILESH KR MISHRA UH (K+P)	SMCG-UP	8308832364	[signature]
6	Sandeep Kumar	UPJN (Rural)	8317093799	[signature]

7	नीरज कुमार (अधिशासी अभियन्ता)	उ०प्र० जल निगम (नगरीय)	9795715677 neerajjnnit@gmail.com	[signature]
8	Sunil Kr. Pandey Spl. Secretary	MSME	9454413449	[signature]
9	जयवीर सिंह	औद्योगिक विकास विभाग	9454412195	[signature]
10				
11				
12				
13				
14				
15				

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषणकारी स्त्रोतों की मॉनिटरिंग एवं इन्वेन्ट्री के डाटा के आधार पर "Pollution Sources Mapping of River Hindon & its Tributaries and Restoration Plan for Polluted Stretches" शीर्षक पर तैयार रिपोर्ट के संबंध में विचार–विमर्श हेतु अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 16.04.2024 को मध्यान्ह 12:00 बजे नरही स्थित वन मुख्यालय के पारिजात सभाकक्ष में आहूत बैठक का उपस्थिति पत्रक।

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	विभाग का नाम	ई-मेल/मोबाइल नं0	हस्ताक्षर
1				
2				
3				
4				
5	Atulesh Yadav	CEO (C-3), UPPCB.	ceo3@uppcb.in	[signature]
6	मीतेश कुमार मौर्य, क्षे0प0अधि.	उ0प्र0 प्रदूषण नि0बोर्ड	7839891951	[signature] 16/4/24

7	Shashi Vindkar, EE	UPPCB	ceo1@uppcb.in 7839891709	[signature]
8	Imran A. Khan	UPPCB	7839891464	[signature]
9	Avanesh Sahu	Irrigation	9026219340	[signature]
10	Amit Pravav	Irrigation	9811321651	[signature]
11	Y. P. Singh, CE	UPID	9412307178	[signature]
12	Anita Verma Singh (IAS) Spl. Sec.	Irrigation		[signature]
13				
14				
15				

मनोज सिंह
अपर मुख्य सचिव।

अ0शा0प0सं–एन.जी.टी.–279/81–7–2024
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
अनुभाग–7
लखनऊ : दिनांक : 26 अप्रैल, 2024

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–859/2022 अभिष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में प्रदेश के हिण्डन नदी के रेस्टोरेशन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गयी "Pollution Sources Mapping of River Hindon & its Tributaries and Restoration Plan for Polluted Stretches", के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की ओर से निर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–भा0स0–200/81–7–2023, दिनांक 06 नवम्बर, 2023 द्वारा संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। उपरोक्त कार्ययोजना के अनुसार हिण्डन नदी के कैचमेण्ट क्षेत्र के अन्तर्गत चिन्हित 05 औद्योगिक क्लस्टरों यथाः–1–रीवर ढमोला एवं के0डी0 काम्प्लेक्स ड्रेन (जनपद–सहारनपुर), 2–रूप नगर एवं आर्य नगर (लोनी, जनपद–गाजियाबाद), 3–साहिबाबाद साईट–4 (जनपद–गाजियाबाद), 4–करहेडा इण्डस्ट्रियल एरिया (जनपद–गाजियाबाद) एवं 5–सूरजपुर इण्डस्ट्रियल एरिया (ग्रेटर नोएडा, जनपद–गौतमबुद्ध नगर) में स्थापित/संचालित औद्योगिक इकाईयों द्वारा निस्तारित किये जा रहे उत्प्रवाह हिण्डन नदी में प्रवाहित होने से पूर्व पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से प्रभावी शोधन तथा जल प्रदूषण संबंधी समस्या के निराकरण हेतु कॉमन एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सी0ई0टी0पी0) की स्थापना किया जाना आवश्यक है।

2– अतः उक्त के संबंध में अनुरोध है कि हिण्डन नदी के कैचमेंट एरिया के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपरोक्त चिन्हित 05 औद्योगिक क्लस्टरों हेतु सी0ई0टी0पी0 की समयबद्ध स्थापना संबंधी कार्यवाही हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज सिंह)
Digitally Signed by मनोज सिंह
Date: 26-04-2024 14:49:19
Reason: Approved

श्री मनोज कुमार सिंह
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,
लोक भवन, सी ब्लॉक, द्वितीय तल,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

Annexure-3

In the Special Court of Judicial Magistrate (Water & Air Pollution Control),Lucknow

S.no	Name of Industries/nagar Palika Parishad	Filling date	Next date
1	M/s AWF Collection, Muzaffarnagar	30.04.2024	03.06.2024
2	M/s Chaudhary creations, Muzaffarnagar	30.04.2024	03.06.2024
3	M/s SK Collection, Muzaffarnagar	30.04.2024	12.06.2024
4	M/s Nagar Palika Parishad, Sardhana, Meerut	30.04.2024	06.06.2024
5	M/s Nagar Palika Parishad, Loni, Ghaziabad	30.04.2024	03.06.2024
6	M/s Nagar Panchayat, Nanauta, Saharanpur	30.04.2024	06.06.2024
7	M/s Nagar Palika Parishad, Shamli	30.04.2024	12.06.2024
8	M/s Nagar Nigam, Ghaziabad	30.04.2024	03.06.2024

WS/48168/2024
UPLKO40481692024

BEFORE THE COURT OF SPECIAL JUDICIAL MAGISTRATE (WATER AND AIR POLLUTION CONTROL), LUCKNOW

Complaint Case No. of 2024

Uttar Pradesh Pollution Control Board, T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow through its Assistant Environment Engineer, Shri Reetesh Kumar Maurya

......Complainant

Versus

1) **M/s Nagar Panchayat, Nanauta, Saharanpur through its Executive Officer**

2) **Shri Brijendra Kumar Chaudahry, Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Sardhana, Meerut**

......Opp. Parties

COMPLAINT UNDER SECTION 43 OF THE WATER (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1974

Sir,

The complainant, Uttar Pradesh Pollution Control Board, herein after referred as Complainant Board, most respectfully showeth as under;

1) That the complainant is the State Board constituted by the Government of Uttar Pradesh vide LSG-Section-4 G.O. No.-897/ix-4-100-74 dated 03.02.1975 in accordance to the provisions of Section-4(1) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (herein after referred as Act, 1974) for the prevention and control of pollution regarding Water, Air and Environmental Pollutions which has been named as Uttar Pradesh Pollution

Control Board vide Notification No.-2179/9-02-100-74 dated 13.07.1982.

2) That the M/s Nagar Panchayat, Nanauta, Saharanpur is a body corporate under Section-4 of the U. P. Municipal Corporation Adhiniyam, 1959 and is a company within the meaning of Section-47 of the Act, 1974, hereinafter referred as Unit, which has been discharging knowingly its untreated noxious and polluted sewage through drains into the River which is a "Stream" defined in Section-2(J) of the Act, 1974 which is an offence under Section-43 of the Act, 1974.

3) That according to the Section-24 of the Act, 1974 there is prohibition on use of stream or well for disposal of polluting matter, etc. The Section-24(1) of the Act, 1974 is quoted below;

Section-24(1) - Subject to the provisions of this section-

a) no person shall knowingly cause or permit any poisonous, noxious or polluting matter determined in accordance with such standards as may be laid down by the State Board to enter (whether directly or indirectly) into any stream or well or sewer or on land

b) no person shall knowingly cause or permit to enter into any stream any other matter which may tend, either directly or in combination with similar matters, to impede the proper flow of the water of the stream in a manner leading or likely to lead to a substantial aggravation of pollution due to other causes or of its consequences.

4) That the opp. party no.-1 has running its project and continuously discharging the sewage and untreated effluents which comes

under the definition of "sewage effluents" within the meaning of Section-2(g) of the Act, 1974.

5) That the opposite party no.-1 was inspected by the officials of the complainant Board on several different dates. During the inspection it is found that the project was operational without establishing STP and therefore the untreated effluent generated from domestic sewage drained through Thaska Drain into the River Krishni and finally meets into the River Hindon. The Analysis Reports are collectively being annexed herewith as **Annexure-1** to this complaint.

6) That in light and in compliance to the order dated 15.12.2023 passed by the learned National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No.-859/2022, Abhisht Kusum Gupta versus State of UP and ors., the officials of the complainant Board has again inspected the unit, in pursuance to the analysis reports, on 28.02.2024. The Inspection Report dated 28.02.2024 is being annexed herewith as **Annexure-2** to this complaint.

7) That the report of analysis shows that the sewage effluent discharged by the unit is beyond the standard laid down by the complainant Board as such the project has committed the breach of the provisions of Section-24 of the Act, 1974.

8) That the opp. party no.-2 is the responsible person of the project and in-charge of day to day business of the said project and responsible for the conduct of business of the said unit hence are liable to proceed against in violation of the provisions of Section-24 of the Act, 1974.

9) That opp. party nos. 1 and 2 has committed the offence under Section-44 of the Act, 1974. The offence is committed continuously against the society at large, animals and aquatic life in particular, because of their personal monetary gain. That the accused/opp. party no.-2 is the brain and nerve centre of the accused/opp. party no.-1 and conducting day to day business of the unit which has been discharging it's sewage effluents into the stream, hence are liable to be proceed against under Section-44 read with Section-47 of the Act, 1974.

10) That the provisions of the Section-47(i) of the aforesaid Act, 1974, not only the company but every person who, at the time of offence was committed, was in-charge of and responsible to the company for conduct of the business is also liable and responsible for the commission of the said offence.

11) That the Competent Authority on 11.03.2024 has taken decision to file this complaint against all the Opp. Parties before this Hon'ble Court. The resolution dated 11.03.2024 is being annexed herewith as **Annexure-3** to this complaint.

12) That the complainant Board has authorized its officer to file the complaint on its behalf and Sri Reetesh Kumar Maurya, Assistant Environmental Engineer has been nominated to file this complaint against the Opp. Parties. A copy of the authorization is being annexed herewith as **Annexure-4** to this complaint.

PRAYER

Therefore, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may very kindly and graciously be please to take cognizance of the

offence and summon the accused/opp. party nos. 1 and 2 and punish them in accordance with law under Section-43 of the Act, 1974. Any such other order which this Hon'ble Court may deem just and proper in the circumstances may also by pass in the interest of the justice.

Lucknow
Dated: 30-04-2024

Complainant

(Reeetesh Kumar Maurya)
Assistant Environmental Engineer
U. P. Pollution Control Board

List of Witnesses:

1) Shri Atulesh Yadav, Chief Environmental Officer, Circle-3, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow.
2) Sri Imran Ahmad Khan, Environmental Engineer, UPPCB.
3) Shri Yogendra Kumar, Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Meerut.
4) Shri N.M. Tripathi, Assistant Scientific Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Saharanpur.
5) Sri Mahendra Singh, Junior Engineer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Saharanpur.
6) Any other official who may be available at the time of trial.

Complainant

Annexure-1

(6)

REGIONAL LABORATORY SAHARANPUR
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

33/18, kapil Vihar, Near Vishwa karma Chowk, Saharanpur

TEST REPORT: WATER LABORATORY(SURFACE WATER)

no-24724669/Saharanpur/2024

Date:28/02/2024

Sample Location: Thaska Drain
2- **District:** Saharanpur
3- **Address:** Village Diggi
4- **Sample Source:** Drain
5- **Type of sample :** Surface Water
6- **Sample Collected By :** Pramod Semwal, LA
7- **Odour :** None
8- **Quantity and Packing :** 2 litre jerican
9- **Date of Sample Collection :** 03/02/2024
10- **Analyis Indented by :** RO Saharanpur
Date of sample receipt in Lab : 03/02/2024

Parameter	Unit	Results	Detection Range
pH. APHA24th Ed.4500-B: 2023	-	7.4	02-12
Suspended Solids , APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	242	5.0 -10000 mg/l
Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 °C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	1164	5.0 -10000 mg/l
Total Solids, APHA24th Ed2540B: 2023	mg/l	1406	5.0 -15000 mg/l
BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	46	1.0 -1000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	200	4.0 -1000 mg/l

*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as [illegible]wed in Lab.

Remark:* - NA

Analysed by
[Sonali Kushwaha(JRF)]

Authorized by
N M Tripathi (ASO)

Regional Officer 28/2/2024

(7)

REGIONAL LABORATORY SAHARANPUR
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

33/18, kapil Vihar, Near Vishwa karma Chowk, Saharanpur

TEST REPORT: WATER LABORATORY(SURFACE WATER)

Ref no-25106558/Saharanpur/2024 Date:28/02/2024

1- **Sample Location:** River krishni D/S after meeting thaska drain
2- **District:** Saharanpur
3- **Address:** River krishni D/S after meeting thaska drain
4- **Sample Source:** River
5- **Type of sample :** Surface Water
6- **Sample Collected By :** Pramod Semwal, LA
7- **Odour :** None
8- **Quantity and Packing :** 2 lt jerican
9- **Date of Sample Collection :** 19/02/2024
10- **Analyis Indented by :** RO Saharanpur
11- **Date of sample receipt in Lab :** 19/02/2024

Parameter	Unit	Results	Detection Range
pH, APHA24th Ed.4500-B: 2023	-	7.3	02-12
Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 °C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	748	5.0 -10000 mg/l
Total Solids, APHA24th Ed2540B: 2023	mg/l	862	5.0 -15000 mg/l
BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	38	1.0 -1000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	220	4.0 -1000 mg/l

*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab

Remark:* - NA

Analysed by
[Sonali Kushwaha(JRF)]

Authorized by
N M Tripathi (ASO)

20/02/2024
Regional Officer

⑧

REGIONAL LABORATORY SAHARANPUR
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
33/18, kapil Vihar, Near Vishwa karma Chowk, Saharanpur

TEST REPORT: WATER LABORATORY(SURFACE WATER)

R no-24616103/Saharanpur/2024

Date:12/02/2024

1- **Sample Location:** Thaska Drain
2- **District:** Saharanpur
3- **Address:** Village Diggi
4- **Sample Source:** Drain
5- **Type of sample :** Surface Water
6- **Sample Collected By :** Pramod Semwal, LA
7- **Odour :** None
8- **Quantity and Packing :** 2 litre jerican
9- **Date of Sample Collection :** 27/01/2024
10- **Analysis Indented by :** RO Saharanpur
11- **Date of sample receipt in Lab :** 27/01/2024

Parameter	Unit	Results	Detection Range
pH, APHA24th Ed.4500-B: 2023	-	7.4	02-12
Suspended Solids , APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	214	5.0 -10000 mg/l
Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 °C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	1152	5.0 -10000 mg/l
Total Solids, APHA24th Ed2540B: 2023	mg/l	1366	5.0 -15000 mg/l
BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	42	1.0 -1000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	180	4.0 -1000 mg/l

*Non-NABL Parameters

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested. 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab

Remark:* - NA

Analysed by
[Sonali Kushwaha(JRF)]

Authorized by NAGENDRA MANI TRIPATHI Digitally signed by NAGENDRA MANI TRIPATHI Date: 2024.02.13 11:30:32 +05'30'
N M Tripathi (ASO)

ANKIT SINGH Digitally signed by ANKIT SINGH Date: 2024.02.13 12:43:54 +05'30'
Regional Officer

(9)

REGIONAL LABORATORY SAHARANPUR
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
33/18, kapil Vihar, Near Vishwa karma Chowk, Saharanpur

TEST REPORT: WATER LABORATORY(SURFACE WATER)

Date:12/01/2024

no-23824371/Saharanpur/2024

Sample Location: River krishni D/S after meeting thaska drain

District: Saharanpur

3- Address: River krishni D/S after meeting thaska drain

4- Sample Source: River

5- Type of sample : Surface Water

6- Sample Collected By : Sanjay Jaiswal, LA

7- Odour : None

8- Quantity and Packing : 2 litre jerican

9- Date of Sample Collection : 05/12/2023

10- Analyis Indented by : RO Saharanpur

11- Date of sample receipt in Lab : 05/12/2023

Parameter	Unit	Results	Detection Range
pH, APHA24th Ed.4500-B: 2023	-	7.6	02-12
Suspended Solids , APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	106	5.0 -10000 mg/l
Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 °C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	660	5.0 -10000 mg/l
Total Solids, APHA24th Ed2540B: 2023	mg/l	766	5.0 -15000 mg/l
BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	36	1.0 -1000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	200	4.0 -1000 mg/l

*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab

Remark:* - NA

Analysed by
[Sonali Kushwaha(JRF)]

Authorized by NAGENDRA MANI TRIPATHI

N M Tripathi (ASO)

ANKIT SINGH Digitally signed by ANKIT SINGH Date: 2024.01.12 16:04:39 +05'30'

Regional Officer

1 of Page 2

Annexure-2 (10)

[रा]ष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० नं० 859/2022 (आई०ए० नं० 632/2023, आई०ए० नं०–769/2023) अभिष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक–15.12.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० नं० 859/2022 (आई०ए० नं०–632/2023, आई०ए० नं०–769/2023) अभिष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक–15.12.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् हैं :–

"..........23. Since, cognizance of offence can be taken in the manner as prescribed under Section 49(1) of Water Act, 1974 and we are satisfied that neither local bodies for discharging sewage through drains in rivers have taken effective steps for prevention of discharge of polluted effluents and sewage into river but even industries are also continuously doing same but no effective steps have been taken against them.

24. In these circumstances, we direct Member Secretary, UPPCB forthwith to initiate or get initiated criminal prosecution by lodging criminal complaint in appropriate court for committing offence under Section 43 read with Section 24 of Water Act, 1974 against the Officers-in-Charge of Municipal Corporations/Municipal Bodies of Saharanpur, Muzaffarnagar, Shamli, Meerut, Baghpat, Ghaziabad and Gautam Budh Nagar and also initiate criminal prosecution against industries which are discharging polluting materials in the river.

25. Besides, State Pollution Control Board and its authorities shall take immediate action for closure of the industrial and other establishments, which are discharging polluted matter in river Hindon and shall also proceed to assess and finalize adequate Environmental Compensation in view of the principles laid down by Supreme Court in M.C. Mehta, (1987) 1 SCC 395, Sterlite (2013) 4 SCC 575; Goel Ganga (2018) 18 SCC 257; Goa Foundation v Union of India & Ors. (2014) 6 SCC 590 and Common Cause Vs. UOI & Ors., (2017) 9 SCC 499 and take steps for recovery of the same.

26. A compliance report shall be filed by Member Secretary, UPPCB within two months.

27. List this matter on 23.02.2024."

मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से हिण्डन नदी एवं सहायक नदी, कृष्णी नदी में गिरने वाले नाले का निरीक्षण विभिन्न दिनांकों में किया गया। निरीक्षण के समय लिये गये जल नमूने विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय कार्यालय सहारनपुर की प्रयोगशाला में जमा कराये गये। क्षेत्रीय प्रयोगशाला से प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार नालों में प्रदूषित प्रचालकों का मान निम्नवत् पाया गया :–

S. No.	Name of Drain	Date of Sample	pH	BOD mg/l	COD mg/l	TSS mg/l
1.	Thaska Drain	27.01.2024	7.4	42	180	214
		03.02.2024	7.4	46	200	242

नगर पंचायत, ननौता सहारनपुर से जनित सीवेज कृष्णी नदी में उक्त नाले के माध्यम से प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से बिना शुद्धिकृत किये ही निस्तारित किया जा रहा है। इस कार्यालय द्वारा जनपद सहारनपुर की तहसील रामपुर मनिहारान में प्रवाहित हो रही कृष्णी नदी के डाउनस्ट्रीम भनेडा खेमचन्द से जल नमूने दिनांक 05.12.2023 एवं 19.02.2024 को एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला सहारनपुर में जमा कराये गये। प्राप्त विश्लेषण आख्याओं के अनुसार नमूनों में प्रदूषित प्रचालकों का मान निम्नवत् पाया गया :–

S. No.	Name of River	Date of Sample	pH	BOD mg/l	COD mg/l
1.	River Krishni (D/S)	05.12.2023	7.6	36	200
		19.02.2024	7.3	38	220

अग्रेतर, यह भी अवगत कराना है कि कृष्णी नदी जनपद–सहारनपुर व जनपद–शामली से प्रवाहित होते हुए जनपद बागपत में ग्राम–बरनावा के पास हिण्डन नदी में समाहित हो जाती है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि नगर पंचायत, ननौता क्षेत्र के अन्तर्गत जनित होने वाले घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण ठस्का नाले के माध्यम से बिना कोई शुद्धिकरण किये कृष्णी नदी में निस्तारित किया जा रहा है, जिस कारण कृष्णी नदी एवं हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उक्त ड्रेन नगर पंचायत, ननौता के अन्तर्गत आच्छादित हैं।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत् मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 859 / 2022 (आई0ए0 नं0–632 / 2023, आई0ए0 नं0–769 / 2023) अभिष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक–15.12.2023 के अनुपालन में **श्री ब्रजेन्द्र कुमार चौधरी, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, ननौता, (मो0 नं0–8189077837)** थाना–ननौता, जनपद–सहारनपुर के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम–1974 यथासंशोधित की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

28/02/2024
(महेन्द्र सिंह)
अवर अभियन्ता

28/02/24
(एन0एम0त्रिपाठी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी
28/02/2024

(12)

Annexure-3

नगर पंचायत, ननौता सहारनपुर एवं उसके उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 43 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव।

नगर पंचायत, ननौता, सहारनपुर एक आवासीय संस्था है, जोकि जल अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है, जिसके विरूद्ध उक्त अधिनियम में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने के कारण क्षेत्रीय अधिकारी, सहारनपुर के पत्र संख्या 1165/NGT/OA–859/2022(अभिष्ट)/2024 दिनांक 28.02.2024 के माध्यम से उक्त संस्था के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं:–

".......23. Since, cognizance of offence can be taken in the manner as prescribed under Section 49 (1) of Water Act, 1974 and we are satisfied that neither local bodies for discharging sewage through drains in rivers have taken effective steps for prevention of discharge of polluted effluents and sewage into river but even industries are also continuously doing same but no effective steps have been taken against them.
24. In these circumstances, we direct Member Secretary, UPPCB forthwith to initiate or get initiated criminal prosecution by lodging criminal complaint in appropriate court for committing offence under Section 43 read with Section 24 of Water Act, 1974 against the Officersin-Charge of Municipal Corporations/Municipal Bodies of Saharanpur, Muzuffarnagar, Shamli, Meerut, Baghpat, Ghaziabad and Gautam Budh Nagar and also initiate criminal prosecution against industries which are discharging polluting materials in the river......."

उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से जनपद सहारनपुर हिण्डन नदी एवं सहायक नदी, कृष्णी नदी में गिरने वाले ठस्का नाले का निरीक्षण विभिन्न दिनांकों में किया गया। निरीक्षण के समय लिये गये जल नमूने विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय कार्यालय सहारनपुर की प्रयोगशाला में जमा कराया गया। क्षेत्रीय प्रयोगशाला से प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार नाले में जल गुणवत्ता का विवरण निम्नवत् है:–

S. No.	Name of Drain	Date of Sample	pH	BOD mg/l	COD mg/l	TSS mg/l
1.	Thaska Drain	27.01.2024	7.4	42	180	214
		03.02.2024	7.4	46	200	242

नगर पंचायत, ननौता सहारनपुर से जनित सीवेज कृष्णी नदी में उक्त नाले के माध्यम से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से बिना शुद्धिकृत किये ही निस्तारित किया जा रहा है। इस कार्यालय द्वारा जनपद सहारनपुर की तहसील रामपुर मनिहारान में प्रवाहित हो रही कृष्णी नदी के डाउनस्ट्रीम भनेड़ा खेमचन्द से जल नमूने दिनांक 05.12.2023 एवं 19.02.2024 को एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला सहारनपुर में जमा कराये गये। प्राप्त विश्लेषण आख्याओं के अनुसार नमूनों में प्रदूषित प्रचालकों का मान निम्नवत् पाया गया :–

S. No.	Name of River	Date of Sample	pH	BOD mg/l	COD mg/l
1.	River Krishni (D/S)	05.12.2023	7.6	36	200
		19.02.2024	7.3	38	220

उपरोक्त से स्पष्ट है कि नगर पंचायत, ननौता क्षेत्र के अन्तर्गत जनित होने वाले घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण ठस्का नाले के माध्यम से बिना कोई शुद्धिकरण किये कृष्णी नदी में निस्तारित किया जा रहा है, जिस कारण कृष्णी नदी एवं हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वामाविक है। उक्त ड्रेन नगर पंचायत, ननौता के अन्तर्गत आच्छादित हैं।

उक्त ड्रेन नगर पंचायत, ननौता, सहारनपुर के अन्तर्गत आच्छादित हैं। नगर पंचायत, ननौता सहारनपुर के क्षेत्रान्तर्गत प्रवाहित होने वाली ड्रेन के उत्तरदायी संस्था/व्यक्ति का नाम, पदनाम व पता निम्नवत् है:–

क0सं0	विभाग का नाम	सम्बन्धित अधिकारी का नाम	सम्बन्धित अधिकारी का पता	पुलिस थाना	सम्बन्धित अधिकारी का पदनाम
1	नगर पंचायत, ननौता सहारनपुर	श्री ब्रजेन्द्र कुमार चौधरी, मो.न. 8189077837	नगर पंचायत, ननौता सहारनपुर	थाना–ननौता,	अधिशासी अधिकारी

12

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, सहारनपुर द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, ननौता, सहारनपुर के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के सुसंगत धारा के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत नगर पंचायत, ननौता, सहारनपुर एवं उसके दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिये उत्तरदायी व्यक्ति श्री ब्रजेन्द्र कुमार चौधरी, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, ननौता, (मो0 नं0–8189077837) थाना–ननौता, जनपद–सहारनपुर के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 43 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर किये जाने हेतु अभियोजनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।

11/3/2024

पर्यावरण अभियंता (वृत्त–3)/मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)

सदस्य सचिव/अध्यक्ष महोदय

11/3/24

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ

(मनोज सिंह)
अध्यक्ष
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ

दिनांक–23.12.81 को सम्पन्न बोर्ड की 16वीं बैठक की जारी सूची सं0–16.04 पर प्रस्तुत प्रस्ताव एवं उस पर लिया गया निर्णयः–

विषय–बोर्ड के विधि अधिकारी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, अथवा सहायक पर्यावरण अभियंता को न्यायालय में बोर्ड की ओर से वाद प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत करना।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के विभिन्न प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में औद्योगिक एवं स्थानीय निकायों के विरूद्ध बोर्ड द्वारा अभियोजनात्मक कार्यवाही करनी पड़ती है। जिसके लिए कभी–कभी यह आवश्यक हो जाता है कि वादी स्वयं न्यायालय में उपस्थित रहे। अब तक विभिन्न वादों में सदस्य सचिव भी वादी की हैसियत से वाद दायर करते रहे हैं। इस कारण सदस्य सचिव को कई बार न्यायालय में उपस्थित रहना पड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप बोर्ड के दिन प्रतिदिन के आवश्यक कार्यों में व्यवधान पड़ा है।

उपरोक्त वर्णित कारणों एवं स्थानीय सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रस्ताव है कि बोर्ड के विधि अधिकारी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सहायक वैज्ञानिक अधिकारी अथवा सहायक पर्यावरण अभियंता जिसको भी सदस्य–सचिव नामित करें। बोर्ड की ओर से दायर किए जाने वाले मुकदमों में वाद दायर करने के लिए अधिकृत किया जाये।

इस प्रकार की कार्यवाही से अभियोजनात्मक कार्यवाही अधिक प्रभावी होगी तथा बोर्ड आवश्यक प्रशासनिक उच्च स्तरीय कार्यकलापों में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ेगा।

निर्णय

बोर्ड की ओर से न्यायालय में वाद प्रस्तुत किए जाने हेतु विधि अधिकारी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी तथा सहायक पर्यावरण अभियंता को बोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि मुकदमा उसी अधिकारी द्वारा दायर किया जाएगा जिसको सदस्य–सचिव नामित करेंगे।

WB/48162/2024
UPLKO 4048163 2024

BEFORE THE COURT OF SPECIAL JUDICIAL MAGISTRATE (WATER AND AIR POLLUTION CONTROL), LUCKNOW

Complaint Case No. of 2024

Uttar Pradesh Pollution Control Board, T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow through its Assistant Environmental Engineer, Shri Imran Ali, presently posted at Regional Office, Muzaffarnagar.

......Complainant

Versus

1) **M/s Nagar Palika Parishad, Shamali through its Executive Officer**

2) **Shri Ramendra Singh, Executive Officer, M/s Nagar Palika Parishad, Shamali**

......Opp. Parties

COMPLAINT UNDER SECTION 43 OF THE WATER (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1974

Sir,

The complainant, Uttar Pradesh Pollution Control Board, herein after referred as Complainant Board, most respectfully showeth as under;

1) That the complainant is the State Board constituted by the Government of Uttar Pradesh vide LSG-Section-4 G.O. No.-897/ix-4-100-74 dated 03.02.1975 in accordance to the provisions of Section-4(1) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (herein after referred as Act, 1974) for the prevention and control of pollution regarding Water, Air and Environmental Pollutions which has been named as Uttar Pradesh Pollution Control Board vide Notification No.-2179/9-02-100-74 dated 13.07.1982.

2) That the M/s Nagar Palika Parishad, Shamali is a body corporate under Section-4 of the U. P. Municipal Corporation Adhiniyam, 1959 and is a company within the meaning of Section-47 of the Act, 1974 which has been operating without establishing of the Sewage Treatment Plant, hereinafter referred as STP, and management and discharging knowingly its untreated noxious and polluted sewage through drains into the River which is the "Stream" defined in Section-2(J) of the Act, 1974 which is an offence under Section-43 of the Act, 1974.

3) That according to the Section-24 of the Act, 1974 there is prohibition on use of stream or well for disposal of polluting matter, etc. The Section-24(1) of the Act, 1974 is quoted below;

Section-24(1) - Subject to the provisions of this section-

a) no person shall knowingly cause or permit any poisonous, noxious or polluting matter determined in accordance with such standards as may be laid down by the State Board to enter (whether directly or indirectly) into any stream or well or sewer or on land

b) no person shall knowingly cause or permit to enter into any stream any other matter which may tend, either directly or in combination with similar matters, to impede the proper flow of the water of the stream in a manner leading or likely to lead to a substantial aggravation of pollution due to other causes or of its consequences.

4) That the opp. party no.-1 has continuously discharging the sewage and untreated effluents without establishing any Sewage Treatment Plant, hereinafter referred as STP, which comes under the definition of "sewage effluents" within the meaning of Section-2(g) of the Act, 1974.

5) That the site of opp. party no.-1 was inspected by the officials of the complainant Board on several different dates. During the inspection it is found that the opp. party no.-1 continuously discharging the sewage and untreated effluents without establishing any STP and therefore the untreated effluent generated from domestic sewage drained into the Krishni River which respectively into the Hindon River.

6) That in pursuance to the abovementioned respective inspections the complainant Board has issued a direction on 10.04.2019 under Section-33A of the Act, 1974, to the Executive Officer M/s Nagar Palika Parishad, Shamali.

7) That the unit in question is again been inspected on 14.02.2024 and sample collected has analyzed in laboratory authorized by the complainant Board. The report of analysis shows that the sewage effluent discharged by the unit is beyond the standard laid down by the complainant Board as such the project has committed the breach of the provisions of Section-24 of the Act, 1974. The copies of the letter dated 14.02.2024 is being annexed herewith as **Annexure-1** to this complaint.

8) That in light and in compliance to the order dated 15.12.2023 passed by the learned National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No.-859/2022, Abhisht Kusum Gupta versus State of UP and ors., the officials of the State Board again inspected the project in question and collect the water sample of the drain prior to meet into Krishni River and finally in River Hindon. The sample analysis reports are specifically mentioned in the above report, contained as annexure no.-1 to this complaint.

9) That the opp. party no.-2 is the responsible person of the project and in-charge of day to day business of the said project and responsible for the conduct of business of the said unit hence are liable to proceed against in violation of the provisions of Section-24 of the Act, 1974.

10) That opp. party nos. 1 and 2 has committed the offence under Section-43 of the Act, 1974. The offence is committed continuously against the society at large, animals and aquatic life in particular, because of their personal monetary gain. That the opp. party no.-2 is the brain and nerve centre of the opp. party no.-1 and conducting day to day business of the unit which has been discharging it's sewage effluents into the stream, hence are liable to be proceed against under Section-43 read with Section-47 of the Act, 1974.

11) That the provisions of the Section-47(i) of the aforesaid Act, 1974, not only the company but every person who, at the time of offence was committed, was in-charge of and responsible to the company for conduct of the business is also liable and responsible for the commission of the said offence.

12) That the Competent Authority on 11.03.2024 has taken decision to file this complaint against all the Opp. Parties before this Hon'ble Court. The resolution dated 11.03.2024 is being annexed herewith as <u>Annexure-2</u> to this complaint.

13) That the complainant Board has authorized its officer to file the complaint on its behalf and Sri Imran Ali, Assistant Environmental Engineer has been nominated to file this complaint against the Opp. Parties. A copy of the authorization is being annexed herewith as <u>Annexure-3</u> to this complaint.

PRAYER

Therefore, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may very kindly and graciously be please to take cognizance of the offence and summon the opp. party nos. 1 and 2 and punish them in accordance with law under Section-43 of the Act, 1974. Any such other order which this Hon'ble Court may deem just and proper in the circumstances may also by pass in the interest of the justice.

Lucknow
Dated: 30.04.2024

Complainant

(Imran Ali)
Assistant Environmental Engineer
U. P. Pollution Control Board

List of Witnesses:

1) Shri Atulesh Yadav, Chief Environmental Officer, Circle-3, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow.
2) Shri Ankit Singh, Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Muzaffarnagar.
3) Shri Vipul Kumar, Assistant Environmental Engineer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Muzaffarnagar.
4) Any other official who may be available at the time of trial.

Complainant

romuzaffarnagar@uppcb.in

दूरभाष : 0131–2436493

क्षेत्रीय कार्यालय Annexure-I

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6–बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर–251001 (उ०प्र०)

सदर्भ सं० / Ref. No. 1163/ओ०ए०नं०859/अभिष्ट कुसुम गुप्ता/2024 दिनांक / Dated 14.2.2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषयः–<u>मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० नं० 859/2022 (आई.ए. नं० 632/2023, आई.ए. नं० 769/2023) अभिष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 के अनुपालन के अनुपालन में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, शामली के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० नं० 859/2022 (आई.ए. नं० 632/2023, आई.ए. नं० 769/2023) अभिष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 के अनुपालन में अवगत कराना है कि नगरपालिका परिषद शामली क्षेत्र में प्रवाहित हो रही हिण्डन नदी की सहायक नदी, कृष्णी नदी में मुख्यतः 01 नाले के माध्यम से घरेलू जल–मल से जनित सीवेज का निस्तारण किया जाता है। वर्तमान में उक्त ड्रेन अनटेप्ड हैं। क्षेत्रीय प्रयोगशाला, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर द्वारा उक्त ड्रेन से साप्ताहिक जल नमूने एकत्र कर विश्लेषण किया जाता है। प्राप्त विश्लेषण आख्याओं से स्पष्ट है कि ड्रेन के माध्यम से अशुद्धिकृत उत्प्रवाह का निस्तारण नदी में किया जा रहा है। उक्त ड्रेन नगरपालिका परिषद शामली के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित हैं। उक्त के सम्बन्ध में कार्यालय की आख्या पत्र के साथ संलग्न है।

अतः कार्यालय आख्या में दिये गये तथ्यों के आधार पर नगरपालिका परिषद शामली से जनित सीवेज को बिना शुद्धिकृत किये हिण्डन नदी की सहायक नदी, कृष्णी नदी में निस्तारित किये जाने के कारण उत्तरदायी **संस्था/व्यक्ति श्री रामेन्द्र सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद शामली** के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अंकित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

<u>प्रतिलिपि</u>–मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

D/Neeraj Mittal/Letter 2024

(7)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0 859/2022 (आई.ए. नं0 632/2023, आई.ए. नं0 769/2023) अरिष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0 859/2022 (आई.ए. नं0 632/2023, आई.ए. नं0 769/2023) अरिष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् हैं :-

"..........23. Since, cognizance of offence can be taken in the manner as prescribed under Section 49(1) of Water Act, 1974 and we are satisfied that neither local bodies for discharging sewage through drains in rivers have taken effective steps for prevention of discharge of polluted effluents and sewage into river but even industries are also continuously doing same but no effective steps have been taken against them.

24. In these circumstances, we direct Member Secretary, UPPCB forthwith to initiate or get initiated criminal prosecution by lodging criminal complaint in appropriate court for committing offence under Section 43 read with Section 24 of Water Act, 1974 against the Officers-in-Charge of Municipal Corporations/Municipal Bodies of Saharanpur, Muzaffarnagar, Shamli, Meerut, Baghpat, Ghaziabad and Gautam Budh Nagar and also initiate criminal prosecution against industries which are discharging polluting materials in the river.

25. Besides, State Ppllution Control Board and its authorities shall take immediate action for closure of the industrial and other establishments, which are discharging polluted matter in river Hindon and shall also proceed to assess and finalize aequate Enviromental Compensation in view of the principles laid down by Supreme Court in M.C. Mehta, (1987) 1 SCC 395, Sterlite (2013) 4 SCC 575; Goel Ganga (2018) 18 SCC 257; Goa Foundation v Union of India & Ors. (2014) 6 SCC 590 and Common Cause Vs. UOI & Ors., (2017) 9 SCC 499 and take steps for recovery of the same.

26. A compliance report shall be filed by Member Secretary, UPPCB within two months.

27. List this matter on 23.02.2024."

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से हिण्डन नदी एवं सहायक नदी, कृष्णी नदी में गिरने वाले नाले का निरीक्षण विभिन्न दिनांकों में किया गया। निरीक्षण के समय लिये गये जल नमूने विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला मुजफ्फरनगर में जमा कराये गये। क्षेत्रीय प्रयोगशाला से प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार नालों में प्रदूषित प्रचालकों का मान निम्नवत् पाया गया :-

S. No.	Name of Drain	Date of Sample	pH	BOD mg/l	COD mg/l	TSS mg/l
1.	Shamli Drain	23.01.2024	7.3	134	272	110
		30.01.2024	7.3	132	264	118
		06.02.2024	7.2	132	256	116

क्रमशः ...2.....

(8)

-2-

नगरपालिका परिषद शामली से जनित सीवेज कृष्णी नदी में उक्त नाले के माध्यम से बिना शुद्धिकृत किये ही निस्तारित किया जा रहा है। इस कार्यालय द्वारा जनपद शामली में प्रवाहित हो रही कृष्णी नदी के डाउनस्ट्रीम ग्राम भभीसा से जल नमूने दिनांक 23.12.2023 एवं 20.01.2024 को एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला मुजफ्फरनगर में जमा कराये गये। प्राप्त विश्लेषण आख्याओं के अनुसार नमूनों में प्रदूषित प्रचालकों का मान निम्नवत् पाया गया :-

S. No.	Name of River	Date of Sample	pH	BOD mg/l	COD mg/l
1.	River Krishni (D/S)	23.12.2023	7.3	32	144
		20.01.2024	7.2	36	152

अग्रेतर, यह भी अवगत कराना है कि कृष्णी नदी शामली से प्रवाहित होते हुए जनपद बागपत में ग्राम बरनावा के पास हिण्डन नदी में समाहित हो जाती है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि नगरपालिका परिषद शामली क्षेत्र के अन्तर्गत जनित होने वाले घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण उक्त नाले के माध्यम से बिना कोई शुद्धिकरण किये कृष्णी नदी में निस्तारित किया जा रहा है, जिस कारण कृष्णी नदी एवं हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उक्त ड्रेन नगरपालिका परिषद शामली के अन्तर्गत आच्छादित हैं।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत् मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० संख्या 859/2022 (आई.ए. नं० 632/2023, आई.ए. नं० 769/2023) अभिष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 के अनुपालन में श्री रामेन्द्र सिंह, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद शामली के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

19.02.2024

(इमरान अली)
सहा०पर्या०अभि०

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure-2 (9)

मैसर्स नगर पालिका परिषद, शामली एवं उसके उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 43 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव।

मैसर्स नगर पालिका परिषद, शामली एक आवासीय संस्था है, जोकि जल अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है, जिसके विरूद्ध उक्त अधिनियम में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने के कारण क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या 1163/ओ0ए0 नं0–859/अभीष्ट कुसुम गुप्ता/2024 दिनांक 14.02.2024 के माध्यम से उक्त संस्था के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 के मुख्य अंश निम्नवत् हैः–

".......23. Since, cognizance of offence can be taken in the manner as prescribed under Section 49 (1) of Water Act, 1974 and we are satisfied that neither local bodies for discharging sewage through drains in rivers have taken effective steps for prevention of discharge of polluted effluents and sewage into river but even industries are also continuously doing same but no effective steps have been taken against them.

24. In these circumstances, we direct Member Secretary, UPPCB forthwith to initiate or get initiated criminal prosecution by lodging criminal complaint in appropriate court for committing offence under Section 43 read with Section 24 of Water Act, 1974 against the Officersin-Charge of Municipal Corporations/Municipal Bodies of Saharanpur, Muzuffarnagar, Shamli, Meerut, Baghpat, Ghaziabad and Gautam Budh Nagar and also initiate criminal prosecution against industries which are discharging polluting materials in the river......."

उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से हिण्डन नदी एवं सहायक नदी कृष्णी नदी में गिरने वाले नालों का निरीक्षण निम्नवत् विभिन्न तिथियों में किया गया। निरीक्षण के समय गिरने वाले समस्त नालो से नमूना एकत्रण कर क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरनगर की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा कराया गया। क्षेत्रीय प्रयोगशाला से प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार नालो में जल गुणवत्ता का विवरण निम्नवत् हैः–

S. No.	Name of Drain	Date of Sample	pH	BOD mg/l	COD mg/l	TSS mg/l
1.	Shamli Drain	23.01.2024	7.3	134	272	110
		30.01.2024	7.3	132	264	118
		06.02.2024	7.2	132	256	116

निरीक्षण के समय कृष्णी नदी के डाउनस्ट्रीम ग्राम भभीसा से जल नमूने दिनांक 23.12.2023 एवं 20.01.2024 को एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला मुजफ्फरनगर में जमा कराये गये। प्राप्त विश्लेषण आख्याओं के अनुसार नमूनों में प्रदूषित प्रचालकों का मान निम्नवत् पाया गया :–

S. No.	Name of River	Date of Sample	pH	BOD mg/l	COD mg/l
1.	River Krishni (D/S)	23.12.2023	7.3	32	144
		20.01.2024	7.2	36	152

निरीक्षण के समय कृष्णी नदी का डाउनस्ट्रीम उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि शामली, नगर पालिका परिषद् क्षेत्र के अन्तर्गत जनित होने वाले घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण उक्त नाले के माध्यम से बिना किसी पर्याप्त शोधित व्यवस्था स्थापित किये कृष्णा नदी में निस्तारित किया जा रहा है। जोकि अन्ततः हिण्डन नदी मे मिलती है। जिसके कारण कृष्णी नदी एवं हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उक्त ड्रेन्स नगर पालिका परिषद्, शामली के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है तथा उक्त ड्रेने अन्टेप्ड है। नगर पालिका परिषद्, शामली के क्षेत्रान्तर्गत प्रवाहित होने वाली ड्रेनों के उत्तरदायी संस्था/व्यक्ति नगर पालिका परिषद्, शामली है। सम्बन्धित अधिकारी के नाम, पदनाम व पता निम्नवत् है–

क0सं0	विभाग का नाम	सम्बन्धित अधिकारी का नाम	सम्बन्धित अधिकारी का पता	सम्बन्धित अधिकारी का पदनाम
1	नगर पालिका परिषद्, शामली	श्री रामेन्द्र सिंह	नगर पालिका परिषद्, शामली	अधिशासी अधिकारी

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, शामली के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के सुसंगत धारा के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

(10)

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत मैसर्स नगर पालिका परिषद, शामली एवं उसके दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिये उत्तरदायी व्यक्ति श्री रामेन्द्र सिह, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, शामली के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 43 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर किये जाने हेतु अभियोजनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।

11/3/2024 11/3

पर्यावरण अभियंता (वृत्त–3) / मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)

सदस्य सचिव / अध्यक्ष महोदय

11/3

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ

(मनोज सिंह)
अध्यक्ष
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ

(11)

दिनांक–23.12.81 को सम्पन्न बोर्ड की 16वीं बैठक की जारी सूची सं0–16.04 पर प्रस्तुत प्रस्ताव एवं उस पर लिया गया निर्णयः–

विषय–बोर्ड के विधि अधिकारी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, अथवा सहायक पर्यावरण अभियंता को न्यायालय में बोर्ड की ओर से वाद प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत करना।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के विभिन्न प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में औद्योगिक एवं स्थानीय निकायों के विरूद्व बोर्ड द्वारा अभियोजनात्मक कार्यवाही करनी पड़ती है। जिसके लिए कभी–कभी यह आवश्यक हो जाता है कि वादी स्वयं न्यायालय में उपस्थित रहे। अब तक विभिन्न वादों में सदस्य सचिव भी वादी की हैसियत से वाद दायर करते रहे हैं। इस कारण सदस्य सचिव को कई बार न्यायालय में उपस्थित रहना पड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप बोर्ड के दिन प्रतिदिन के आवश्यक कार्यों में व्यवधान पड़ा है।

उपरोक्त वर्णित कारणों एवं स्थानीय सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रस्ताव है कि बोर्ड के विधि अधिकारी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सहायक वैज्ञानिक अधिकारी अथवा सहायक पर्यावरण अभियंता जिसको भी सदस्य–सचिव नामित करें। बोर्ड की ओर से दायर किए जाने वाले मुकदमों में वाद दायर करने के लिए अधिकृत किया जाये।

इस प्रकार की कार्यवाही से अभियोजनात्मक कार्यवाही अधिक प्रभावी होगी तथा बोर्ड आवश्यक प्रशासनिक उच्च स्तरीय कार्यकलापों में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ेगा।

<u>निर्णय</u>

बोर्ड की ओर से न्यायालय में वाद प्रस्तुत किए जाने हेतु विधि अधिकारी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी तथा सहायक पर्यावरण अभियंता को बोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि मुकदमा उसी अधिकारी द्वारा दायर किया जाएगा जिसको सदस्य–सचिव नामित करेंगे।

Annexure-3 (12)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. :

Date : 29/04/2024

BEFORE THE COURT OF SPECIAL JUDICIAL MAGISTRATE,
(Water & Air Pollution Control), Ist Class, Lucknow

Complaint Case No. of 2024

Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow

.......Complainant

Versus

M/s Nagar Palika Parishad, Shamali through its Executive Officer and another

......Opposite Parties

AUTHORIZATION

Hon'ble Sir,

As per the resolution of the State Board Sri Imran Ali, Assistant Environment Engineer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow is hereby nominated/authorized to file this complaint under Section-43 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 against M/s Nagar Palika Parishad, Sardhana, Shamali through its Executive Officer and another on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board, T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar Lucknow.

sk
(Sanjeev Kumar Singh)
Member Secretary

The signature of Sri Imran Ali is hereby attested.

(Imran Ali)

sk
(Sanjeev Kumar Singh)
Member Secretary

टी.सी.- 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ – 226 010
दूरभाष : 0522–2720828, 2720831
फैक्स : 0522–2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow – 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831,
Fax : 0522-2720764, 2720676
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

ws/48184/2024
UPLKO4048185 2024

BEFORE THE COURT OF SPECIAL JUDICIAL MAGISTRATE (WATER AND AIR POLLUTION CONTROL), LUCKNOW

Complaint Case No. of 2024

Uttar Pradesh Pollution Control Board, T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow through its Assistant Environmental Engineer, Sri Imran Ali, presently posted at Regional Office, Muzaffarnagar.

......Complainant

Versus

1) **M/s S.K. Collection, Village- Sher Nagar, Meerut By-Pass Road, Muzaffarnagar through its representative**

2) **Shri Sunil Singh S/o Sri DalSingar Singh R/o Village- Nadiya Par, Post Office- Krinza Kala, District- Jaunpur representative of M/s S.K. Collection, Village- Sher Nagar, Meerut By-Pass Road, Muzaffarnagar**

......Opp. Parties

COMPLAINT UNDER SECTION 43 OF THE WATER (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1974

Sir,

The complainant, Uttar Pradesh Pollution Control Board, herein after referred as Complainant Board, most respectfully showeth as under;

1) That the complainant is the State Board constituted by the Government of Uttar Pradesh vide LSG-Section-4 G.O. No.-897/ix-4-100-74 dated 03.02.1975 in accordance to the provisions of Section-4(1) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (herein after referred as Act, 1974) for the prevention and control of pollution regarding Water, Air and Environmental Pollutions which has been named as Uttar Pradesh Pollution

Control Board vide Notification No.-2179/9-02-100-74 dated 13.07.1982.

2) That the M/s S. K. Collection, Village- Sher Nagar, Meerut By-Pass Road, Muzaffarnagar is a company within the meaning of Section-47 of the Act, 1974 which has been operating without obtaining the mandatory consent/no objection certificate from the complainant Board and also without having any facility of the Sewage Treatment Plant, hereinafter referred as STP, and thereby discharging knowingly its untreated noxious and polluted matter in the water which is the "Stream" defined in Section-2(J) of the Act, 1974 which is an offence under Section-43 of the Act, 1974.

3) That according to the Section-24 of the Act, 1974 there is prohibition on use of stream or well for disposal of polluting matter, etc. The Section-24(1) of the Act, 1974 is quoted below;

Section-24(1) - Subject to the provisions of this section-

a) no person shall knowingly cause or permit any poisonous, noxious or polluting matter determined in accordance with such standards as may be laid down by the State Board to enter (whether directly or indirectly) into any stream or well or sewer or on land

b) no person shall knowingly cause or permit to enter into any stream any other matter which may tend, either directly or in combination with similar matters, to impede the proper flow of the water of the stream in a manner leading or likely to lead to a substantial aggravation of pollution due to other causes or of its consequences.

4) That the opp. party no.-1 has continuously discharging the sewage and untreated effluents without establishing any STP, which comes under the definition of "sewage effluents" within the meaning of Section-2(g) of the Act, 1974.

5) That the site of accused/opposite party no.-1 was inspected by the officials of the complainant Board on 29.03.2023 and during the inspection it was found that the opposite party no. 1 was operating without having the necessary consent/no objection certificate from the complainant board and that there was having no facility of STP thereby discharging its untreated effluent which was generated from domestic sewage into the Hindon River through Kukada Nala, Dhandheda drain and River Kali. A copy of the inspection report dated 29.03.2023 is being annexed herewith as **Annexure-1** to this complaint.

6) That after inspecting the unit in question, the complainant Board has issued a closure order dated 28.04.2023 and in compliance of said closure order the unit was closed/sealed on 29.04.2023. A copy of the closure order dated 28.04.2023 is being annexed herewith as **Annexure-2** to this complaint.

7) That in light and in compliance to the order dated 15.12.2023 passed by the learned National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No.-859/2022, Abhisht Kusum Gupta versus State of UP and ors., it is submitted that the site was again inspected on dated 27.02.2024 by the officials of the Board and found that the unit was operating illegally by violation the closure order. Further it was found that there was having no facility of STP and thereby discharging its untreated effluent which was generated from domestic sewage into the Hindon River. A copy of the inspection report dated 27.02.2024 is being annexed herewith as **Annexure-3** to this complaint.

8) That during the inspection dated 27.02.2024 a sample of untreated effluents which was discharged by opposite party no. 1 was collected by the officials of Complainant Board and was sent to the authorized laboratory for its analysis. Further it is submitted that the analysis report clearly shows that the unit/ opposite party no. 1

is discharging the untreated effluents which are beyond the standards laid down. A copy of the analysis report dated 02.03.2024 is being annexed herewith as **Annexure-4** to this complaint.

9) That the opp. party no.-2 is the responsible person of the unit and in-charge of day to day business of the said unit and responsible for the conduct of business of the said unit hence is liable to proceed against in violation of the provisions of Section-24 of the Act, 1974.

10) That opp. party nos. 1 and 2 has committed the offence under Section-43 of the Act, 1974. The offence is committed continuously against the society at large, animals and aquatic life in particular, because of their personal monetary gain. That the accused/opp. party no.-2 is the brain and nerve centre of the accused/opp. party no.-1 and conducting day to day business of the unit which has been discharging it's sewage effluents into the stream, hence are liable to be proceed against under Section-43 read with Section-47 the Act, 1974.

11) That the provisions of the Section-47(i) of the aforesaid Act, 1974, not only the company but every person who, at the time of offence was committed, was in-charge of and responsible to the company for conduct of the business is also liable and responsible for the commission of the said offence.

12) That the Competent Authority on 11.03.2024 has taken decision to file this complaint against all the Opp. Parties before this Hon'ble Court. The copy of the resolution dated 11.03.2024 is being annexed herewith as **Annexure-5** to this complaint.

13) That the complainant Board has authorized its officer to file the complaint on its behalf and Sri Imran Ali, Assistant Environmental

Engineer has been nominated to file this complaint against the Opp. Parties. A copy of the authorization is being annexed herewith as **Annexure-6** to this complaint.

PRAYER

Therefore, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may very kindly and graciously be please to take cognizance of the offence and summon the accused/opp. party nos. 1 and 2 and punish them in accordance with law under Section-43 of the Act, 1974. Any such other order which this Hon'ble Court may deem just and proper in the circumstances may also by pass in the interest of the justice.

Lucknow
Dated: 30-04-2024

Complainant

(Imran Ali)
Assistant Environmental Engineer
U. P. Pollution Control Board

List of Witnesses:

1) Shri Atulesh Yadav, Chief Environmental Officer, Circle-3, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow.
2) Shri Ankit Singh, Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Muzaffarnagar.
3) Sri Vipul Kumar, Assistant Environmental Engineer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Muzaffarnagar.
4) Any other official who may be available at the time of trial

Complainant

Annexure-1 (6)

mail : romuzaffarnagar@uppcb.in

दूरभाष : 0131-2436493

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6-बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर-251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं० Ref. No. 1726/जी-112/(हिण्डन-नदी)/मु०नगर/2023 दिनांक Dated 31-3-2023

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषयः- मै० एस०के० कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, मेरठ-बाईपास रोड, मुजफ्फरनगर के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक हिण्डन नदी एवं इसकी सहायक नदियों की अवरिलता एवं निर्मलता सुनिश्चित किये जाने हेतु क्षेत्र में स्थापित/संचालित जल प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाईयों में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का सतत् संचालन सुनिश्चित कराने तथा अशुद्धिकृत अथवा रंगीन उत्प्रवाह के गंगा नदी/सहायक नदियों में निस्तारण पर निगरानी किये जाने हेतु आयुक्त महोदय सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से दिनांक 29.03.2023 को क्षेत्र भ्रमण के उद्योग मै० एस०के० कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, मेरठ-बाईपास रोड, मुजफ्फरनगर का निरीक्षण किया गया। उद्योग में व्हाइट/ग्रे-जीन्स की डाइंग एवं वॉशिंग आदि का कार्य किया जाता है। उद्योग राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना स्थापित किया गया है तथा संचालन हेतु सहमति प्राप्त किये बिना संचालित किया जा रहा है। उद्योग में प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं है तथा न ही बेबी ब्वायलर पर वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित है। निरीक्षण आख्या संलग्न है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत् उद्योग मै० एस०के० कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, मेरठ-बाईपास रोड, मुजफ्फरनगर के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के प्राविधानों के अन्तर्गत तत्काल बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(signature) 31.3

(अंकित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

D/Neeraj Mittal/Letter 2023

(7)

हिण्डन नदी एवं इसकी सहायक नदियों की निर्मलता व अविरलता बनाये रखने हेतु शासन स्तर से जारी निर्देशों के क्रम में अवैध रूप से संचालित उद्योग मै0 एस0के0 कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, मेरठ–बाईपास रोड, मुजफ्फरनगर की निरीक्षण आख्या।

हिण्डन नदी एवं इसकी सहायक नदियों की अवरिलता एवं निर्मलता सुनिश्चित किये जाने हेतु क्षेत्र में स्थापित/संचालित जल प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाईयों में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का सतत् संचालन सुनिश्चित कराने तथा अशुद्धिकृत अथवा रंगीन उत्प्रवाह के गंगा नदी/सहायक नदियो मे निस्तारण पर निगरानी किये जाने हेतु आयुक्त महोदय सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं।

उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से दिनांक 29.03.2023 को क्षेत्र भ्रमण के उद्योग मै0 एस0के0 कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, मेरठ–बाईपास रोड, मुजफ्फरनगर (संचालक– श्री सुनील सिंह, मोबाइल नं0 7428546752) का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा किया गया। उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री धर्मराज यादव, सुपरवाइजर उपस्थित रहे। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि को उद्योग की स्थापना एवं संचालन के सम्बन्ध में राज्य बोर्ड की सहमति प्रस्तुत किये जाने हेतु कहा गया तो प्रस्तुत किये जाने में असमर्थ रहे। उद्योग के सम्बन्ध में निम्न तथ्य प्रकाश में आये :–

1– उद्योग में व्हाइट/ग्रे–जीन्स की डाइंग एवं वॉशिंग आदि का कार्य किया जाता है, जिस हेतु उद्योग में 05 वॉशिंग मशीन, 02 वुड कार्विंग ड्रम तथा 01 बेबी वॉशिंग मशीन (सैम्पलर) स्थापित हैं।

2– उद्योग में भाप की आपूर्ति हेतु 500 किग्रा0/घंटा क्षमता का बेबी ब्वायलर स्थापित है तथा वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति हेतु 62.5 केवीए क्षमता का डी0जी0 सैट स्थापित है। बेबी ब्वायलर एवं डी0जी0 सैट हेतु ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग किया जाता है। बेबी ब्वायलर एवं डी0जी0 सैट से जनित उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है।

3– उद्योग में जल की आपूर्ति हेतु 1 हा0पा0 क्षमता का सबमर्सिबल पम्प स्थापित है। उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग में प्रतिदिन लगभग 8 किली0 जल का प्रयोग औद्योगिक प्रक्रिया एवं घरेलू प्रयोजनों हेतु किया जाता है।

4– उद्योग में औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। औद्योगिक उत्प्रवाह को बिना शुद्धिकृत किये शेरनगर नाले के माध्यम से निस्तारित किया जाता है। निरीक्षण के समय उद्योग में डाइंग एवं वॉशिंग से जनित उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में जमा कराया गया। नमूना विश्लेषण में वर्तमान तक प्राप्त प्रचालक pH=6.7, COD=1048 mg/l, TSS=240 mg/l पाये गये, जो कि बोर्ड मानकों के विपरीत है।

5– शेरनगर नाला कूकड़ा नाले में मिलता है तथा कूकड़ा नाला धन्धेड़ा ड्रेन में मिलते हुए काली नदी पश्चिमी में मिलता है। काली नदी पश्चिमी हिण्डन नदी की सहायक नदी है। उद्योग द्वारा अशुद्धिकृत उत्प्रवाह का निस्तारण किये जाने के कारण काली नदी पश्चिमी एवं हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता पर विपरीत रूप से प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

J.R.F

क्रमशः ...2...

(8)

6– कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त उद्योग की स्थापना एवं संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उद्योग राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना स्थापित किया गया है तथा संचालन हेतु सहमति प्राप्त किये बिना संचालित किया जा रहा है। उद्योग में प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं है तथा न ही बेबी ब्वायलर पर वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत उद्योग मै0 एस0के0 कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, मेरठ–बाईपास रोड, मुजफ्फरनगर के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के प्राविधानों के अन्तर्गत तत्काल बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(मनीष कुमार) 31-03-2023
जे0आर0एफ0

(विपुल कुमार) 31/03/23
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: H92837......./सी–3/ जल 455 /मु.नगर/23 दिनांक: 28/4/2023

सेवा में, पंजीकृत

मै0 एस0के0 कलैक्शन,
ग्राम–शेरनगर, मेरठ–बाईपास रोड
जनपद मुजफ्फरनगर।

यह कि उद्योग मै0 एस0के0 कलैक्शन, ग्राम–शेरनगर, मेरठ–बाईपास रोड, जनपद–मुजफ्फरनगर जोकि व्हाइट/ग्रे–जीन्स की डाइंग एवं वाशिंग के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उद्योग मै0 एस0के0 कलैक्शन, ग्राम–शेरनगर, मेरठ–बाईपास रोड, जनपद–मुजफ्फरनगर का क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 29.03.2023 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया। प्राप्त निरीक्षण आख्यानुसार उद्योग द्वारा व्हाइट/ग्रे–जीन्स की डाइंग एवं वाशिंग प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह को बिना शुद्धिकृत किये शेरनगर नाला/कुकड़ा नाले के माध्यम से धन्धेड़ा नाले में निस्तारित किया जाता है, जो कि अंततः हिण्डन नदी में मिलता है। निरीक्षण के दौरान उद्योग परिसर से निस्तारित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह के एकत्रित नमूने की विश्लेषण आख्या में प्रदूषित प्रचालक पी0एच0 6.7,सी0ओ0डी0 1048 मि0ग्रा0/ली0,कुल निलम्बित ठोस 240 मि0ग्रा0/ली0 पाया गया। जोकि निर्धारित मानक से अधिक है। उद्योग राज्य बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित/संचालित है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह को बिना उपचारित किये नाली के माध्यम से कुकड़ा नाले के माध्यम से धन्धेड़ा नाले में निस्तारित किया जाता है। जो अन्ततः हिण्डन नदी में मिलता है। जिससे हिण्डन नदी की जलगुणता प्रभावित होना स्वाभाविक है।

यह कि मै0 एस0के0 कलेक्शन, ग्राम–शेरनगर, मेरठ–बाईपास रोड, जनपद–मुफ्फरनगर द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन कर आस–पास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है। जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

अतएव जनहित एवं जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योग का संचालन रोका जाये।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अंन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियो के अधीन उद्योग मै0 एस0के0 कलैक्शन, ग्राम–शेरनगर, मेरठ–बाईपास रोड, जनपद–मुजफ्फरनगर के विरूद्व सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है:–

1. यह कि उद्योग मै0 एस0के0 कलैक्शन, ग्राम–शेरनगर, मेरठ–बाईपास रोड, जनपद–मुजफ्फरनगर के उत्पादन/संचालन कार्य को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि उद्योग मै0 एस0के0 कलैक्शन, ग्राम–शेरनगर, मेरठ–बाईपास रोड, जनपद–मुजफ्फरनगर को मिलने वाली बिजली, पानी तथा अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

28/4/23

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–3)

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संबंधित अधीनस्थ को उद्योग मै0 एस0के0 कलैक्शन, ग्राम–शेरनगर, मेरठ–बाईपास रोड, जनपद–मुजफ्फरनगर को तत्काल बन्दी सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संबंधित अधीनस्थ को उद्योग मै0 एस0के0 कलैक्शन, ग्राम–शेरनगर, मेरठ–बाईपास रोड, जनपद–मुजफ्फरनगर को तत्काल बन्दी सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, डब्लू0एम0डी0 1/2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

--2/-

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

... गुणवत्ता भी विपरीत रूप से प्रभावित होना स्वाभाविक है।

(2)

4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ कि कृपया उद्योग मै0 एस0के0 कलैक्शन, ग्राम–शेरनगर, मेरठ–बाईपास रोड, जनपद–मुजफ्फरनगर की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराना सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ कि कृपया उद्योग मै0 एस0के0 कलैक्शन, ग्राम–शेरनगर, मेरठ–बाईपास रोड, जनपद–मुजफ्फरनगर की जल आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराना सुनिश्चित करें।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ कि उद्योग मै0 एस0के0 कलैक्शन, ग्राम–शेरनगर, मेरठ–बाईपास रोड, जनपद–मुजफ्फरनगर की बन्दी सुनिश्चित करायें तथा अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

8/5/23

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–3)

mail : romuzaffarnagar@uppcb.in 2198/2 22.03.2024 Annexure-3 (11)
क्षेत्रीय कार्यालय दूरभाष : 0131-2436493

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6–बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर–251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं० Ref. No. 1219/45-270/मु०नगर/2024 दिनांक Dated 27-2-2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

डाक प्राप्ति रसीद
प्राप्ति दिनांक 18/3/24

विषय–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0 859/2022 (आई.ए. नं0 632/2023, आई.ए. नं0 769/2023) अमिष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में उद्योग मै0 एस0के0 कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, मेरठ बाईपास रोड, मुजफ्फरनगर के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से हिण्डन नदी एवं सहायक नदी काली नदी पश्चिमी में गिरने वाले धन्धेडा नाले के माध्यम से उत्प्रवाह निस्तारित कर रहे उद्योग मै0 एस0के0 कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, मेरठ बाईपास रोड, मुजफ्फरनगर का निरीक्षण दिनांक 27.02.2024 को कराया गया। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया।

पूर्व में दिनांक 29.03.2023 को संदर्भित उद्योग का निरीक्षण किया गया था। तत्समय निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया था। उद्योग राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना स्थापित/संचालित पाया गया था। उद्योग में व्हाइट/ग्रे जींस की डाइंग एवं वॉशिंग से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी थी। तत्क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय की संस्तुति के आधार पर उद्योग के विरूद्ध राज्य बोर्ड के पत्रांक एच92837/सी–3/जल–455/मु0नगर/2023 दिनांक 28.04.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये गये थे, जिसके अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा उद्योग परिसर में स्थापित डाइंग मशीन, वॉशिंग मशीन आदि को दिनांक 29.04.2023 को सील कर दिया गया था। उद्योग के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश वर्तमान में भी प्रभावी है।

कार्यालय आख्या के अनुसार निरीक्षण के समय उद्योग राज्य बोर्ड से जारी बन्दी आदेशों का उल्लंघन कर संचालित पाया गया तथा कार्यालय द्वारा उद्योग के विरूद्ध जारी बन्दी आदेशों के अनुपालन में लगाई गयी सील नहीं पायी गयी, जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा कार्यालय द्वारा लगाई गई सील को तोड़कर उद्योग का अवैध रूप से संचालन किया जा रहा है। निरीक्षण के समय उद्योग से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी तथा प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह बिना शुद्धिकृत किये सीधे धन्धेड़ा नाले में प्रवाहित किया जाता पाया गया। निस्तारित हो रहे उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला मुजफ्फरनगर में जमा कराया गया। विश्लेषण आख्या के अनुसार प्रदूषित प्रचालक COD=980 mg/l पायी गयी, जिससे स्पष्ट है कि धन्धेडा नाले में मानकों के विपरीत उत्प्रवाह निस्तारित किया जा रहा है, जो काली नदी

क्रमशः ...2...

D/Neeraj Mittal/Letter 2024

(12)

-2-

पश्चिमी में मिलता है, जिससे काली नदी पश्चिमी की जल गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित होना स्वाभाविक है। काली नदी अन्ततः हिण्डन नदी में मिलती है, जिस कारण हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता भी विपरीत रूप से प्रभावित होना स्वाभाविक है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत् उद्योग मै0 एस0के0 कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, मेरठ बाईपास रोड, मुजफ्फरनगर के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

उद्योग स्वामी का विवरण निम्नवत् है :-

नाम –	श्री सुनील सिंह पुत्र श्री दलसिंगार सिंह ग्राम नदिया पार, पो0आ0 क्रिंजा कलां, जिला जौनपुर (उ0प्र0)
जीएसटी नं0 –	09AEOPH4735D2ZF
आधार नं0 –	875119297469
आधार कार्ड का पता–	खसरा सं0 610/1, ग्राम सिरस पुर, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली–110042
मोबाइल नं0 –	9910372586

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अंकित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

(13)

माo राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओoएo नंo 859/2022 (आई.ए. नंo 632/2023, आई.ए. नंo 769/2023) अभिष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में उद्योग मैo एसoकेo कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, मेरठ बाईपास रोड, मुजफ्फरनगर के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक माo राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओoएo नंo 859/2022 (आई.ए. नंo 632/2023, आई.ए. नंo 769/2023) अभिष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् हैं :–

24. In these circumstances, we direct Member Secretary, UPPCB forthwith to initiate or get initiated criminal prosecution by lodging criminal complaint in appropriate court for committing offence under Section 43 read with Section 24 of Water Act, 1974 against the Officers-in-Charge of Municipal Corporations/Municipal Bodies of Saharanpur, Muzaffarnagar, Shamli, Meerut, Baghpat, Ghaziabad and Gautam Budh Nagar and also initiate criminal prosecution against industries which are discharging polluting materials in the river.

25. Besides, State Ppllution Control Board and its authorities shall take immediate action for closure of the industrial and other establishments, which are discharging polluted matter in river Hindon and shall also proceed to assess and finalize aequate Enviromental Compensation in view of the principles laid down by Supreme Court in M.C. Mehta, (1987) 1 SCC 395, Sterlite (2013) 4 SCC 575; Goel Ganga (2018) 18 SCC 257; Goa Foundation v Union of India & Ors. (2014) 6 SCC 590 and Common Cause Vs. UOI & Ors., (2017) 9 SCC 499 and take steps for recovery of the same.

अवगत कराना है कि पूर्व में दिनांक 29.03.2023 को संदर्भित उद्योग का निरीक्षण किया गया था। तत्समय निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया था। उद्योग राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना स्थापित/संचालित पाया गया था। उद्योग में व्हाइट/ग्रे जींस की डाइंग एवं वॉशिंग से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी थी। तत्क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय की संस्तुति के आधार पर उद्योग के विरूद्ध राज्य बोर्ड के पत्रांक एच92837/सी–3/जल–455/मुoनगर/2023 दिनांक 28.04.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये गये थे, जिसके अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा उद्योग परिसर में स्थापित डाइंग मशीन, वॉशिंग मशीन आदि को दिनांक 29.04.2023 को सील कर दिया गया था। उद्योग के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश वर्तमान में भी प्रभावी है।

माo एनoजीoटीo द्वारा पारित उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से हिण्डन नदी एवं सहायक नदी काली नदी पश्चिमी में गिरने वाले धन्धेडा नाले के माध्यम से उत्प्रवाह निस्तारित कर रहे उद्योग मैo एसoकेo कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, मेरठ बाईपास रोड, मुजफ्फरनगर का निरीक्षण दिनांक 27.02.2024 को किया गया। उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री सुनील सिंह पुत्र श्री दलसिंगार सिंह ग्राम नदिया पार, पोoआo क्रिंजा कलां, जिला जौनपुर (उoप्रo) उपस्थित रहे। निरीक्षण के समय उद्योग राज्य बोर्ड से जारी बन्दी आदेशों का उल्लंघन कर संचालित पाया गया तथा कार्यालय द्वारा उद्योग के विरूद्ध जारी बन्दी आदेशों के अनुपालन में लगाई गयी सील नहीं पायी गयी, जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा कार्यालय द्वारा लगाई गई सील को तोड़कर उद्योग का

क्रमशः .....2....

D:\Neeraj Mondi\Inspection report 2024.doc

(14)

अवैध रूप से संचालन किया जा रहा है। निरीक्षण के समय उद्योग से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी तथा प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह बिना शुद्धिकृत किये सीधे धन्धेड़ा नाले में प्रवाहित किया जाता पाया गया। निस्तारित हो रहे उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला मुजफ्फरनगर में जमा कराया गया। विश्लेषण आख्या के अनुसार प्रदूषित प्रचालक COD=980 mg/l पायी गयी, जिससे स्पष्ट है कि धन्धेडा नाले में मानकों के विपरीत उत्प्रवाह निस्तारित किया जा रहा है, जो काली नदी पश्चिमी में मिलता है, जिससे काली नदी पश्चिमी की जल गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित होना स्वाभाविक है। काली नदी अन्ततः हिण्डन नदी में मिलती है, जिस कारण हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता भी विपरीत रूप से प्रभावित होना स्वाभाविक है।

निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् हैं :–

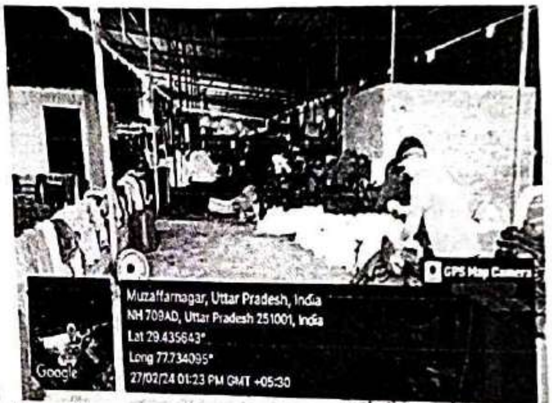

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उद्योग राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना स्थापित किया गया है तथा संचालन हेतु सहमति प्राप्त किये बिना संचालित किया जा रहा है। उद्योग में प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत् उद्योग मै0 एस0के0 कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, मेरठ बाईपास रोड, मुजफ्फरनगर के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

उद्योग स्वामी का विवरण निम्नवत् है :–

नाम – श्री सुनील सिंह पुत्र श्री दलसिंगार सिंह
ग्राम नदिया पार, पो0आ0 क्रिंजा कलां, जिला जौनपुर (उ0प्र0)

जीएसटी नं0 – 09AEOPH4735D2ZF

आधार नं0 – 875119297469

आधार कार्ड का पता– खसरा सं0 610/1, ग्राम सिरस पुर, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली–110042

मोबाइल नं0 – 9910372586

27.02.24

(इमरान अली)
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी

(14) (15)

Annexure-4

REGIONAL LABORATORY MuzaffarNagar
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Kamal Cinema Building,Railway Road, Muzaffarnagar

TEST REPORT WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 25083840/MuzaffarNagar/2024 Date:02/03/2024

1- **Name of Industry:** S.K Collection, Village-Shernagar;Meerut Bypass Road
2- **Address of Industry:** Village-Shernagar;Meerut Bypass Road
3- **District:** Muzaffarnagar
4- **Description about sampling point:** Final Outlet discharge from outside the Premises of the Industry before confluence to Shernagar Nala (Local Drain B/C to Kookra Drain)
5- **Type of Sample (Grab/Composite/Integrated):** Grab
6- **Sample Collected By:** (1)Imraan Ali; A.E.E (2)Maneesh Kumar; J.R.F
7- **Colour and Odour:** Light Blue(Appearance) Foul
8- **Quantity and Packing:** 2.0 Ltrs PVC
9- **Date of Sample Collection:** 27/02/2024
10- **Analyis Indented by:** RO MuzaffarNagar
11- **Date of sample receipt in Lab:** 27/02/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	6.48	6.5-8.5	02-12
Suspended Solids , APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	172	100	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	1580	2100	10- 50000 mg/l
Total Solids, APHA 24th Ed.2540 B; 2023	mg/l	1752	Not Specified	10- 50000 mg/l
BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	218.0	30	1.0 -50000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	980	250	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules,1986

source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested. 2. The report shall not be reproduced except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remarks: NA

Analysed by-
[Diwakar Dev Gahlot(JRF), Ravish Pratap Singh(JRF)]

Authorized by

Ankit Singh (RO)

ANKIT SINGH Digitally signed by ANKIT SINGH Date: 2024.03.02 15:07:27 +05'30'

Regional Officer

Annexure-5 (16)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0 859/2022 (आई.ए. नं0 632/2023, आई.ए. नं0 769/2023) अभिष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में उद्योग मै0 एस0के0 कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, मेरठ बाईपास रोड, मुजफ्फरनगर व उसके उत्तरदायी के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव।

उद्योग मै0 एस0के0 कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, मेरठ बाईपास रोड, मुजफ्फरनगर एक उद्योग है, जोकि जल अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है, जिसके विरूद्ध उक्त अधिनियम में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने के कारण क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या 1219/C/S-270/मु0नगर/2024 दिनांक 27.02.2024 एवं 1249/C/C-29/मु0नगर/2024 दिनांक 02.03.2024 के माध्यम से उक्त उद्योग के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं:-

24. In these circumstances, we direct Member Secretary, UPPCB forthwith to initiate or get initiated criminal prosecution by lodging criminal complaint in appropriate court for committing offence under Section 43 read with Section 24 of Water Act, 1974 against the Officers-in-Charge of Municipal Corporations/Municipal Bodies of Saharanpur, Muzaffarnagar, Shamli, Meerut, Baghpat, Ghaziabad and Gautam Budh Nagar and also initiate criminal prosecution against industries which are discharging polluting materials in the river.

25. Besides, State Ppllutiom Control Board and its authorities shall take immediate action for closure of the industrial and other establishments, which are discharging polluted matter in river Hindon and shall also proceed to assess and finalize aequate Enviromental Compensation in view of the principles laid down by Supreme Court in M.C. Mehta, (1987) 1 SCC 395, Sterlite (2013) 4 SCC 575; Goel Ganga (2018) 18 SCC 257; Goa Foundation v Union of India & Ors. (2014) 6 SCC 590 and Common Cause Vs. UOI & Ors., (2017) 9 SCC 499 and take steps for recovery of the same.

उद्योग मै0 एस0के0 कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, मेरठ बाईपास रोड, मुजफ्फरनगर का पूर्व में दिनांक 29.03.2023 को क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरनगर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया था। तत्समय निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया था। उद्योग राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना स्थापित/संचालित पाया गया था। उद्योग में व्हाइट/ग्रे जींस की डाइंग एवं वॉशिंग से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी थी। तत्क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय की संस्तुति के आधार पर उद्योग के विरूद्ध राज्य बोर्ड के पत्रांक एच 92837/सी-3/जल-455/मु0नगर/2023 दिनांक 28.04.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये गये थे, जिसके अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा उद्योग परिसर में स्थापित डाइंग मशीन, वॉशिंग मशीन आदि को दिनांक 29.04.2023 को सील कर दिया गया था। उद्योग के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश वर्तमान में भी प्रभावी है।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से हिण्डन नदी एवं सहायक नदी काली नदी पश्चिमी में गिरने वाले धन्धेड़ा नाले के माध्यम से उत्प्रवाह निस्तारित कर रहे उद्योग मै0 एस0के0 कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, मेरठ बाईपास रोड, मुजफ्फरनगर का निरीक्षण दिनांक 27.02.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरनगर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग राज्य बोर्ड से जारी बन्दी आदेशों का उल्लंघन कर संचालित पाया गया तथा बोर्ड द्वारा उद्योग के विरूद्ध जारी बन्दी आदेशों के अनुपालन में लगाई गयी सील नहीं पायी गयी, जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा बोर्ड द्वारा लगाई गई सील को तोड़कर उद्योग का अवैध रूप से संचालन किया जा रहा है। निरीक्षण के समय उद्योग से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी तथा प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह बिना शुद्धिकृत किये सीधे धन्धेड़ा नाले में प्रवाहित किया जाता पाया गया। उद्योग द्वारा निस्तारित किये जा रहे उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरनगर की प्रयोगशाला में जमा कराया गया। संलग्न विश्लेषण आख्या के अनुसार प्रदूषित प्रचालक BOD=218 mg/l, COD=980 mg/l, SS=172 mg/l पायी गयी, जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश दिनांक 28.04.2023 का उल्लंघन करते हुए धन्धेडा नाले में मानकों के विपरीत उत्प्रवाह निस्तारित किया जा रहा है, जो काली नदी पश्चिमी में मिलता है, जिससे काली नदी पश्चिमी की जल गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित होना स्वाभाविक है। काली नदी अन्ततः हिण्डन नदी में मिलती है, जिस कारण हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता भी विपरीत रूप से प्रभावित होना स्वाभाविक है।

क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में उद्योग मै0 एस0के0 कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, मेरठ बाईपास रोड, मुजफ्फरनगर

(17)

के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के सुसंगत धारा के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत उद्योग मै0 एस0के0 कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, मेरठ बाईपास रोड, मुजफ्फरनगर व उसके दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिये उत्तरदायी व्यक्ति श्री श्री सुनील सिंह पुत्र श्री दलसिंगार सिंह ग्राम नदिया पार, पो0आ0 खिंजा कलां, जिला जौनपुर (उ0प्र0), आधार नं0–875119297469, मोबाइल नं0–9910372586, जीएसटी नं0–09AEOPH4735D2ZF, के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 43 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर किये जाने हेतु अभियोजनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।

11/3/2024 11/3

पर्यावरण अभियंता (वृत्त–3)/मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)

<u>सदस्य सचिव/अध्यक्ष महोदय</u>

11/3

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ

(मनोज सिंह)
अध्यक्ष
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ

(18)

दिनांक–23.12.81 को सम्पन्न बोर्ड की 16वीं बैठक की जारी सूची सं0–16.04 पर प्रस्तुत प्रस्ताव एवं उस पर लिया गया निर्णयः–

विषय–बोर्ड के विधि अधिकारी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, अथवा सहायक पर्यावरण अभियंता को न्यायालय में बोर्ड की ओर से वाद प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत करना।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के विभिन्न प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में औद्योगिक एवं स्थानीय निकायों के विरूद्व बोर्ड द्वारा अभियोजनात्मक कार्यवाही करनी पड़ती है। जिसके लिए कभी–कभी यह आवश्यक हो जाता है कि वादी स्वयं न्यायालय में उपस्थित रहे। अब तक विभिन्न वादों में सदस्य सचिव भी वादी की हैसियत से वाद दायर करते रहे हैं। इस कारण सदस्य सचिव को कई बार न्यायालय में उपस्थित रहना पड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप बोर्ड के दिन प्रतिदिन के आवश्यक कार्यों में व्यवधान पड़ा है।

उपरोक्त वर्णित कारणों एवं स्थानीय सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रस्ताव है कि बोर्ड के विधि अधिकारी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सहायक वैज्ञानिक अधिकारी अथवा सहायक पर्यावरण अभियंता जिसको भी सदस्य–सचिव नामित करें। बोर्ड की ओर से दायर किए जाने वाले मुकदमों में वाद दायर करने के लिए अधिकृत किया जाये।

इस प्रकार की कार्यवाही से अभियोजनात्मक कार्यवाही अधिक प्रभावी होगी तथा बोर्ड आवश्यक प्रशासनिक उच्च स्तरीय कार्यकलापों में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ेगा।

<u>निर्णय</u>

बोर्ड की ओर से न्यायालय में वाद प्रस्तुत किए जाने हेतु विधि अधिकारी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी तथा सहायक पर्यावरण अभियंता को बोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि मुकदमा उसी अधिकारी द्वारा दायर किया जाएगा जिसको सदस्य–सचिव नामित करेंगे।

Annexure-6 (19)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. :

Date : 29/04/2024

BEFORE THE COURT OF SPECIAL JUDICIAL MAGISTRATE, (Water & Air Pollution Control), Ist Class, Lucknow

Complaint Case No. of 2024

Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow

.......Complainant

Versus

M/s S. K. Collection, Village-Shernagar, Meerut Bye Pass Road, Muzaffarnagar through its Proprietor and another

......Opposite Parties

AUTHORIZATION

Hon'ble Sir,

As per the resolution of the State Board Sri Imran Ali, Assistant Environment Engineer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow is hereby nominated/authorized to file this complaint under Section-43 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 against M/s S. K. Collection, Village-Shernagar, Meerut Bye Pass Road, Muzaffarnagar through its Proprietor and another on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board, T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar Lucknow.

(Sanjeev Kumar Singh)
Member Secretary

The signature of Sri Imran Ali is hereby attested.

(Imran Ali)

(Sanjeev Kumar Singh)
Member Secretary

टी.सी.- 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ – 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720876
ई-मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow – 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831,
Fax : 0522-2720764, 2720876
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

-1-WS/48191/2024
UPLK040481922024

BEFORE THE COURT OF SPECIAL JUDICIAL MAGISTRATE (WATER AND AIR POLLUTION CONTROL), LUCKNOW

Complaint Case No. of 2024

Uttar Pradesh Pollution Control Board, T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow through its Assistant Environmental Engineer, Sri Imran Ali presently posted at Regional Office, Muzaffarnagar

......Complainant

Versus

1) **M/s Chaudhary Creations, Village- Sher Nagar, Meerut By-Pass Road, Muzaffarnagar through its representative**

2) **Shri Mohd. Akram S/o Sri Tarabuddin R/o Village and Post Office- Tavli, Thana- Shahpur, District- Muzaffarnagar, representative M/s Chaudhary Creations, Village- Sher Nagar, Meerut By-Pass Road, Muzaffarnagar**

......Opp. Parties

COMPLAINT UNDER SECTION 43 OF THE WATER (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1974

Sir,

The complainant, Uttar Pradesh Pollution Control Board, herein after referred as Complainant Board, most respectfully showeth as under;

1) That the complainant is the State Board constituted by the Government of Uttar Pradesh vide LSG-Section-4 G.O. No.-897/ix-4-100-74 dated 03.02.1975 in accordance to the provisions of Section-4(1) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (herein after referred as Act, 1974) for the prevention and control of pollution regarding Water, Air and Environmental Pollutions which has been named as Uttar Pradesh Pollution Control Board vide Notification No.-2179/9-02-100-74 dated 13.07.1982.

2) That the M/s Chaudhary Creations, Village- Sher Nagar, Meerut By-Pass Road, Muzaffarnagar is a company within the meaning of Section-47 of the Act, 1974 which has been operating without obtaining the mandatory consent/no objection certificate from the complainant Board and also without having any facility of the Sewage Treatment Plant, hereinafter referred as STP, and thereby discharging knowingly its untreated noxious and polluted matter in the water which is the "Stream" defined in Section-2(J) of the Act, 1974 which is an offence under Section-43 of the Act, 1974.

3) That according to the Section-24 of the Act, 1974 there is prohibition on use of stream or well for disposal of polluting matter, etc. The Section-24(1) of the Act, 1974 is quoted below;

Section-24(1) - Subject to the provisions of this section-

a) no person shall knowingly cause or permit any poisonous, noxious or polluting matter determined in accordance with such standards as may be laid down by the State Board to enter (whether directly or indirectly) into any stream or well or sewer or on land

b) no person shall knowingly cause or permit to enter into any stream any other matter which may tend, either directly or in combination with similar matters, to impede the proper flow of the water of the stream in a manner leading or likely to lead to a substantial aggravation of pollution due to other causes or of its consequences.

4) That the opp. party no.-1 is running and is continuously discharging the sewage and untreated effluents which comes under the definition of "sewage effluents" within the meaning of Section-2(g) of the Act, 1974.

5) That the site of opposite party no.-1 was inspected by the officials of the complainant Board on 29.03.2023 and during the inspection it was found that the opposite party no. 1 was operating without having the necessary consent/no objection certificate from the complainant Board

and that there was having no facility of Sewage Treatment Plant (STP) thereby discharging its untreated effluents which was generated from domestic sewage into the Hindon River. A copy of the inspection report dated 29.03.2023 is being annexed herewith as **Annexure-1** to this complaint.

6) That after inspecting the unit in question, the Complainant Board has issued a closure order dated 28.04.2023 and in compliance of said closure order the unit was closed/sealed on 29.04.2023. A copy of the closure order dated 28.04.2023 is being annexed herewith as **Annexure-2** to this complaint.

7) That in light and in compliance to the order dated 15.12.2023 passed by the learned National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No.-859/2022, Abhisht Kusum Gupta versus State of UP and ors., it is submitted that the site was again inspected on dated 27.02.2024 by the officials of the Board and found that the unit was operating illegally by violation the closure order. Further it was found that there was having no facility of Sewage Treatment Plant (STP) and thereby discharging its untreated effluents which was generated from domestic sewage into the Hindon River. A copy of the inspection report dated 27.02.2024 is being annexed herewith as **Annexure-3** to this complaint.

8) That during the inspection dated 27.02.2024 a sample of untreated effluents which was discharged by opposite party no. 1 was collected by the officials of Complainant Board and was sent to the authorized laboratory for its analysis. Further it is submitted that the analysis report clearly shows that the unit/opposite party no. 1 is discharging the untreated effluents which are beyond the standards laid down. A copy of the analysis report dated 02.03.2024 is being annexed herewith as **Annexure-4** to this complaint.

9) That the opp. party no.-2 is the responsible person of the unit and in-charge of day to day business of the said unit and responsible for the conduct of business of the said unit hence is liable to proceed against in violation of the provisions of Section-24 of the Act, 1974.

10) That opp. party nos. 1 and 2 has committed the offence under Section-43 of the Act, 1974. The offence is committed continuously against the society at large, animals and aquatic life in particular, because of their personal monetary gain. That the accused/opp. party no.-2 is the brain and nerve centre of the accused/opp. party no.-1 and conducting day to day business of the unit which has been discharging it's sewage effluents into the stream, hence are liable to be proceed against under Section-43 read with Section-47 the Act, 1974.

11) That the provisions of the Section-47(i) of the aforesaid Act, 1974, not only the company but every person who, at the time of offence was committed, was in-charge of and responsible to the company for conduct of the business is also liable and responsible for the commission of the said offence.

12) That the Competent Authority on 11.03.2024 has taken decision to file this complaint against all the Opp. Parties before this Hon'ble Court. The copy of the resolution dated 11.03.2024 is being annexed herewith as **Annexure-5** to this complaint.

13) That the complainant Board has authorized its officer to file the complaint on its behalf and Sri Imran Ali, Assistant Environmental Engineer has been nominated to file this complaint against the Opp. Parties. A copy of the authorization is being annexed herewith as **Annexure-6** to this complaint.

PRAYER

Therefore, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may very kindly and graciously be please to take cognizance of the offence and

summon the accused/opp. party nos. 1 and 2 and punish them in accordance with law under Section-43 of the Act, 1974. Any such other order which this Hon'ble Court may deem just and proper in the circumstances may also by pass in the interest of the justice.

Lucknow
Dated: 30-04-2024

Complainant

(Imran Ali)
Assistant Environmental Engineer
U. P. Pollution Control Board

List of Witnesses:

1) Shri Atulesh Yadav, Chief Environmental Officer, Circle-3, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow.
2) Shri Ankit Singh, Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Muzaffarnagar.
3) Sri Vipul Kumar, Assistant Environmental Engineer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Muzaffarnagar.
4) Any other official who may be available at the time of trial.

Complainant

ई-मेल : romuzaffarnagar@uppcb.in

दूरभाष : 0131–2436493

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6–बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर–251001 (उ०प्र०)

2916/2
17.04.2023

R.Att.
19/4/23

Annexure-1

(6)

संदर्भ सं० Ref. No. 1727/जी-114 हिण्डन नदी/मु०नगर/2023

दिनांक Dated 31-3-2023

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

12-4-23

विषयः–मै0 चौधरी कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, मेरठ–बाईपास रोड, मुजफ्फरनगर के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारग एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक हिण्डन नदी एवं इसकी सहायक नदियों की अवरिलता एवं निर्मलता सुनिश्चित किये जाने हेतु क्षेत्र में स्थापित/संचालित जल प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाईयों में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का सतत् संचालन सुनिश्चित कराने तथा अशुद्धिकृत अथवा रंगीन उत्प्रवाह के गंगा नदी/सहायक नदियों में निस्तारण पर निगरानी किये जाने हेतु आयुक्त महोदय सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से दिनांक 29.03.2023 को क्षेत्र भ्रमण के उद्योग मै0 चौधरी कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, मेरठ–बाईपास रोड, मुजफ्फरनगर का निरीक्षण किया गया। उद्योग में व्हाइट/ग्रे–जीन्स की डाइंग एवं वॉशिंग आदि का कार्य किया जाता है। उद्योग राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना स्थापित किया गया है तथा संचालन हेतु सहमति प्राप्त किये बिना संचालित किया जा रहा है। उद्योग में प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं है तथा न ही बेबी ब्वायलर पर वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित है। निरीक्षण आख्या संलग्न है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत् उद्योग मै0 चौधरी कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, मेरठ–बाईपास रोड, मुजफ्फरनगर के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के प्राविधानों के अन्तर्गत तत्काल बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अंकित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

~/Neeraj Mittal/Letter 2023

(7)

हिण्डन नदी एवं इसकी सहायक नदियों की निर्मलता व अविरलता बनाये रखने हेतु शासन स्तर से जारी निर्देशों के क्रम में अवैध रूप से संचालित उद्योग मै0 चौधरी कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, मेरठ–बाईपास रोड, मुजफ्फरनगर की निरीक्षण आख्या।

हिण्डन नदी एवं इसकी सहायक नदियों की अवरिलता एवं निर्मलता सुनिश्चित किये जाने हेतु क्षेत्र में स्थापित/संचालित जल प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाईयों में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का सतत् संचालन सुनिश्चित कराने तथा अशुद्धिकृत अथवा रंगीन उत्प्रवाह के गंगा नदी/सहायक नदियों में निस्तारण पर निगरानी किये जाने हेतु आयुक्त महोदय सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं।

उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से दिनांक 29.03.2023 को क्षेत्र भ्रमण के उद्योग मै0 चौधरी कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, मेरठ–बाईपास रोड, मुजफ्फरनगर (संचालक–श्री अकरम चौधरी, मोबाइल नं0 6395312151) का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा किया गया। उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री सन्नी कुमार, सुपरवाइजर उपस्थित रहे। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि को उद्योग की स्थापना एवं संचालन के सम्बन्ध में राज्य बोर्ड की सहमति प्रस्तुत किये जाने हेतु कहा गया तो प्रस्तुत किये जाने में असमर्थ रहे। उद्योग के सम्बन्ध में निम्न तथ्य प्रकाश में आये :–

1– उद्योग में व्हाइट/ग्रे–जीन्स की डाइंग एवं वॉशिंग आदि का कार्य किया जाता है, जिस हेतु उद्योग में 02 वॉशिंग मशीन, 01 वुड कार्विंग ड्रम तथा 01 बेबी वॉशिंग मशीन (सैम्पलर) स्थापित हैं।

2– उद्योग में भाप की आपूर्ति हेतु 500 किग्रा0/घंटा क्षमता का बेबी ब्वायलर स्थापित है तथा वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति हेतु 62.5 केवीए क्षमता का डी0जी0 सैट स्थापित है। बेबी ब्वायलर एवं डी0जी0 सैट हेतु ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग किया जाता है। बेबी ब्वायलर एवं डी0जी0 सैट से जनित उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है।

3– उद्योग में जल की आपूर्ति हेतु 1 हा0पा0 क्षमता का सबमर्सिबल पम्प स्थापित है। उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग में प्रतिदिन लगभग 4 किली0 जल का प्रयोग औद्योगिक प्रक्रिया एवं घरेलू प्रयोजनों हेतु किया जाता है।

4– उद्योग में औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। औद्योगिक उत्प्रवाह को बिना शुद्धिकृत किये शेरनगर नाले के माध्यम से निस्तारित किया जाता है। निरीक्षण के समय उद्योग में डाइंग एवं वॉशिंग से जनित उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में जमा कराया गया। नमूना विश्लेषण में वर्तमान तक प्राप्त प्रचालक pH=6.30, COD=896 mg/l, TSS=140 mg/l पाये गये, जो कि बोर्ड मानकों के विपरीत है।

5– शेरनगर नाला कूकड़ा नाले में मिलता है तथा कूकड़ा नाला धन्धेड़ा ड्रेन में मिलते हुए काली नदी पश्चिमी में मिलता है। काली नदी पश्चिमी हिण्डन नदी की सहायक नदी है। उद्योग द्वारा अशुद्धिकृत उत्प्रवाह का निस्तारण किये जाने के कारण काली नदी पश्चिमी एवं हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता पर विपरीत रूप से प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

क्रमशः ....2...

J.R.F M.E.E

(8)

–2–

6– कार्यालय अभिलेखानुसार, उक्त उद्योग की स्थापना एवं संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उद्योग राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना स्थापित किया गया है तथा संचालन हेतु सहमति प्राप्त किये बिना संचालित किया जा रहा है। उद्योग में प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं है तथा न ही बेबी ब्यायलर पर वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत् उद्योग मै0 चौधरी कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, मेरठ–बाईपास रोड, मुजफ्फरनगर के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के प्राविधानों के अन्तर्गत तत्काल बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(मनीष कुमार) 31-03-2023
जे0आर0एफ0

(विपुल कुमार) 31/03/23
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी

(9)

REGIONAL LABORATORY MuzaffarNagar
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Kamal Cinema Building,Railway Road, Muzaffarnagar

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Date:31/03/2023

Ref No: 20496489/MuzaffarNagar/2023

1- **Name of Industry:** CHAUDHARY COLLECTION
2- **Address of Industry:** Village-Shernagar;Meerut Bypass Road
3- **District:** Muzaffarnagar
4- **Description about sampling point:** Final Outlet discharge from Industry before confluence to Shenagar Nala
5- **Type of Sample (Grab/Composite/Integrated):** Grab
6- **Sample Collected By:** (1)Vipul Kumar;A.E.E (2)Maneesh Kumar;J.R.F
7- **Colour and Odour:** Light Blue(Appearance) Foul
8- **Quantity and Packing:** 2.0 Ltrs PVC
9- **Date of Sample Collection:** 29/03/2023
10- **Analyis Indented by:** RO MuzaffarNagar
11- **Date of sample receipt in Lab:** 29/03/2023

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH,4500 H B Electronic method	-	6.30	--	02-12
Suspended Solids , 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 0C	mg/l	140	--	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 0C	mg/l	1040	--	10- 50000 mg/l
Total Solids , 2540 B Total Solids dried at 103-105 0C	mg/l	1180	--	10- 50000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	896	--	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1)General Standards for discharge of envieronment Pollutants are as pert-A Effluent(Schedule-VI).The eniveronment (Protection) Rules,1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards,refer EPA standards for specific purpose

Remark: At the time of inspection industry found operational.

Analysed by-
[Maneesh Kumar (JRF), Sarvesh Kumar(LA)]

Authorized by

Ankit Singh (RO)

ANKIT SINGH Digitally signed by ANKIT SINGH Date: 2023.03.31 19:03:53 +05'30'
Regional Officer

Meril Bew
(10)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure-2

संदर्भ संख्याः H92836/सी–3/जल 454/मु०नगर/23 दिनांकः 28/4/2023

सेवा में,

पंजीकृत

मै० चौधरी कलैक्शन,
ग्राम–शेरनगर, मेरठ–बाईपास रोड
जनपद मुजफ्फरनगर।

यह कि उद्योग मै० चौधरी कलैक्शन, ग्राम–शेरनगर, मेरठ–बाईपास रोड, जनपद–मुजफ्फरनगर जोकि व्हाइट /ग्रे–जीन्स की डाइंग एवं वाशिंग के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उद्योग मै० चौधरी कलैक्शन, ग्राम–शेरनगर, मेरठ–बाईपास रोड, जनपद–मुजफ्फरनगर का क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 29.03.2023 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया। प्राप्त निरीक्षण आख्यानुसार उद्योग द्वारा व्हाइट /ग्रे–जीन्स की डाइंग एवं वाशिंग प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह को बिना शुद्धिकृत किये कुकड़ा नाला के माध्यम से धन्धेड़ा नाले में निस्तारित किया जाता है, जो कि अंततः हिण्डन नदी की सहायक नदियों में मिलता है। निरीक्षण के दौरान उद्योग परिसर से निस्तारित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह के एकत्रित नमूने की विश्लेषण आख्या में प्रदूषित प्रचालक पी०एच० 6.30, सी०ओ०डी० 896 मि०ग्रा०/ली०, कुल निलम्बित ठोस 140 मि०ग्रा०/ली० पाया गया। जोकि निर्धारित मानक से अधिक है। उद्योग राज्य बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित/संचालित है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह को बिना उपचारित किये नाली के माध्यम से कुकड़ा नाले के माध्यम से धन्धेड़ा नाले में निस्तारित किया जाता है। जो अन्ततः हिण्डन नदी में मिलता है। जिससे हिण्डन नदी की जलगुणता प्रभावित होना स्वभाविक है।

अतएव जनहित एवं जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योग का संचालन रोका जाये।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियो के अधीन उद्योग मै० चौधरी कलैक्शन, ग्राम–शेरनगर, मेरठ–बाईपास रोड, जनपद–मुजफ्फरनगर के विरूद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित तत्काल बन्दी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि उद्योग मै० चौधरी कलैक्शन, ग्राम–शेरनगर, मेरठ–बाईपास रोड, जनपद–मुजफ्फरनगर के उत्पादन/संचालन कार्य को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि उद्योग मै० चौधरी कलैक्शन, ग्राम–शेरनगर, मेरठ–बाईपास रोड, जनपद–मुजफ्फरनगर को मिलने वाली बिजली, पानी तथा अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–3) 28/4/23

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संबंधित अधीनस्थ को उद्योग मै० चौधरी कलैक्शन, ग्राम–शेरनगर, मेरठ–बाईपास रोड, जनपद–मुजफ्फरनगर को तत्काल बन्दी सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संबंधित अधीनस्थ को उद्योग मै० चौधरी कलैक्शन, ग्राम–शेरनगर, मेरठ–बाईपास रोड, जनपद–मुजफ्फरनगर को तत्काल बन्दी सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, डब्लू०एम०डी० 1/2, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

--2/-

(11)

(2)

4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ कि कृपया उद्योग मै0 चौधरी कलैक्शन, ग्राम–शेरनगर, मेरठ–बाईपास रोड, जनपद–मुजफ्फरनगर की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराना सुनिश्चित करें।

5. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ कि कृपया उद्योग मै0 चौधरी कलैक्शन, ग्राम–शेरनगर, मेरठ–बाईपास रोड, जनपद–मुजफ्फरनगर की जल आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराना सुनिश्चित करें।

6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ कि उद्योग मै0 चौधरी कलेक्शन, ग्राम–शेरनगर, मेरठ–बाईपास रोड, जनपद–मुजफ्फरनगर की बन्दी सुनिश्चित कराये तथा अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

28/4/23

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–3)

o/c

Email : romuzaffarnagar@uppcb.in 2200/2 22.03.2024

दूरभाष : 0131–2436493

(12)

Annexure-3

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6–बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर–251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं० Ref. No. 1221/C/C-29/मु० नगर/2024 दिनांक Dated 27-2-2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

डाक प्राप्ति रसीद
प्राप्ति दिनांक 18/3/24

विषय–मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० नं० 859/2022 (आई.ए. नं० 632/2023, आई.ए. नं० 769/2023) अमिष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में उद्योग मै० चौधरी क्रियेशन्स, ग्राम शेरनगर, मेरठ बाईपास रोड, मुजफ्फरनगर के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से हिण्डन नदी एवं सहायक नदी काली नदी पश्चिमी में गिरने वाले धन्धेडा नाले के माध्यम से उत्प्रवाह निस्तारित कर रहे उद्योग मै० चौधरी क्रियेशन्स, ग्राम शेरनगर, मेरठ बाईपास रोड, मुजफ्फरनगर का निरीक्षण दिनांक 27.02.2024 को कराया गया। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया।

पूर्व में दिनांक 29.03.2023 को संदर्भित उद्योग का निरीक्षण किया गया था। तत्समय निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया था। उद्योग राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना स्थापित/संचालित पाया गया था। उद्योग में व्हाइट/ग्रे जींस की डाइंग एवं वॉशिंग से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी थी। तत्क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय की संस्तुति के आधार पर उद्योग के विरूद्ध राज्य बोर्ड के पत्रांक एच92837/सी–3/जल–455/मु०नगर/2023 दिनांक 28.04.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये गये थे, जिसके अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा उद्योग परिसर में स्थापित डाइंग मशीन, वॉशिंग मशीन आदि को दिनांक 29.04.2023 को सील कर दिया गया था। उद्योग के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश वर्तमान में भी प्रभावी है।

C/E/AEE 28/3/24 (E/D) 28/3/24 SL/80 1/4/24

कार्यालय आख्या के अनुसार निरीक्षण के समय उद्योग राज्य बोर्ड से जारी बन्दी आदेशों का उल्लंघन कर संचालित पाया गया तथा कार्यालय द्वारा उद्योग के विरूद्ध जारी बन्दी आदेशों के अनुपालन में लगाई गयी सील नहीं पायी गयी, जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा कार्यालय द्वारा लगाई गई सील को तोड़कर उद्योग का अवैध रूप से संचालन किया जा रहा है। निरीक्षण के समय उद्योग से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी तथा प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह बिना शुद्धिकृत किये सीधे धन्धेड़ा नाले में प्रवाहित किया जाता पाया गया। निस्तारित हो रहे उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला मुजफ्फरनगर में जमा कराया गया। विश्लेषण आख्या के अनुसार प्रदूषित प्रचालक COD=867 mg/l पायी गयी, जिससे स्पष्ट है कि धन्धेडा नाले में मानकों के विपरीत उत्प्रवाह निस्तारित किया जा रहा है, जो काली नदी

क्रमशः 2

(13)

पश्चिमी में मिलता है, जिससे काली नदी पश्चिमी की जल गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित होना स्वाभाविक है। काली नदी अन्ततः हिण्डन नदी में मिलती है, जिस कारण हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता भी विपरीत रूप से प्रभावित होना स्वाभाविक है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत् उद्योग मै0 चौधरी क्रियेशन्स, ग्राम शेरनगर, मेरठ बाईपास रोड, मुजफ्फरनगर के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

उद्योग स्वामी का विवरण निम्नवत् है :–

नाम –	मौ0 अकरम पुत्र श्री तराबुद्दीन ग्राम व पो0आ0 तावली, थाना शाहपुर जिला मुजफ्फरनगर (उ0प्र0)
जीएसटी नं0 –	09AAPFC1575R1ZK
आधार नं0 –	464367807982
मोबाइल नं0 –	9990752358, 9667576490

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अंकित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

<u>प्रतिलिपि</u>–मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

<u>मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0 859/2022 (आई.ए. नं0 632/2023, आई.ए. नं0 769/2023) अभिष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में उद्योग मै0 ए0डब्लू0एफ0 कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।</u>

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0 859/2022 (आई.ए. नं0 632/2023, आई.ए. नं0 769/2023) अभिष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् हैं :–

24. In these circumstances, we direct Member Secretary, UPPCB forthwith to initiate or get initiated criminal prosecution by lodging criminal complaint in appropriate court for committing offence under Section 43 read with Section 24 of Water Act, 1974 against the Officers-in-Charge of Municipal Corporations/Municipal Bodies of Saharanpur, Muzaffarnagar, Shamli, Meerut, Baghpat, Ghaziabad and Gautam Budh Nagar and also initiate criminal prosecution against industries which are discharging polluting materials in the river.

25. Besides, State Ppllution Control Board and its authorities shall take immediate action for closure of the industrial and other establishments, which are discharging polluted matter in river Hindon and shall also proceed to assess and finalize aequate Enviromental Compensation in view of the principles laid down by Supreme Court in M.C. Mehta, (1987) 1 SCC 395, Sterlite (2013) 4 SCC 575; Goel Ganga (2018) 18 SCC 257; Goa Foundation v Union of India & Ors. (2014) 6 SCC 590 and Common Cause Vs. UOI & Ors., (2017) 9 SCC 499 and take steps for recovery of the same.

अवगत कराना है कि पूर्व में दिनांक 29.03.2023 को संदर्भित उद्योग का निरीक्षण किया गया था। तत्समय निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया था। उद्योग राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना स्थापित/संचालित पाया गया था। उद्योग में व्हाइट/ग्रे जींस की डाइंग एवं वॉशिंग से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी थी। तत्क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय की संस्तुति के आधार पर उद्योग के विरूद्ध राज्य बोर्ड के पत्रांक एच92835/सी–3/जल–456/मु0नगर/2023 दिनांक 28.04.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये गये थे, जिसके अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा उद्योग परिसर में स्थापित डाइंग मशीन, वॉशिंग मशीन आदि को दिनांक 29.04.2023 को सील कर दिया गया था। उद्योग के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश वर्तमान में भी प्रभावी है।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से हिण्डन नदी एवं सहायक नदी काली नदी पश्चिमी में गिरने वाले धन्धेडा नाले के माध्यम से उत्प्रवाह निस्तारित कर रहे उद्योग मै0 ए0डब्लू0एफ0 कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर का निरीक्षण दिनांक 27.02.2024 को किया गया। उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री हारून चौधरी पुत्र श्री मेहरबान अली ग्राम तावली मुजफ्फरनगर (उ0प्र0) उपस्थित रहे। निरीक्षण के समय उद्योग राज्य बोर्ड से जारी बन्दी आदेशों का उल्लंघन कर संचालित पाया गया तथा कार्यालय द्वारा उद्योग के विरूद्ध जारी बन्दी आदेशों के अनुपालन में लगाई गयी सील नहीं पायी गयी, जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा कार्यालय द्वारा लगाई गई सील को तोड़कर उद्योग का अवैध रूप से संचालन

क्रमशः ....2...

(15)

किया जा रहा है। निरीक्षण के समय उद्योग से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी तथा प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह बिना शुद्धिकृत किये सीधे धन्धेड़ा नाले में प्रवाहित किया जाता पाया गया। निस्तारित हो रहे उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला मुजफ्फरनगर में जमा कराया गया। विश्लेषण आख्या के अनुसार प्रदूषित प्रचालक COD=842 mg/l पायी गयी, जिससे स्पष्ट है कि धन्धेडा नाले में मानकों के विपरीत उत्प्रवाह निस्तारित किया जा रहा है, जो काली नदी पश्चिमी में मिलता है, जिससे काली नदी पश्चिमी की जल गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित होना स्वाभाविक है। काली नदी अन्ततः हिण्डन नदी में मिलती है, जिस कारण हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता भी विपरीत रूप से प्रभावित होना स्वाभाविक है।

निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् हैं :-

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उद्योग राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना स्थापित किया गया है तथा संचालन हेतु सहमति प्राप्त किये बिना संचालित किया जा रहा है। उद्योग में प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत् उद्योग मै0 ए.डब्लू.एफ. कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

उद्योग स्वामी का विवरण निम्नवत् है :-

नाम –	श्री हारून चौधरी पुत्र श्री मेहरबान अली निवासी ग्राम व पोस्ट तावली, थाना शाहपुर, जिला मुजफ्फरनगर
जीएसटी नं0 –	09AEOPH4735D2ZF
आधार नं0 –	924998867779
मोबाइल नं0 –	9910372586

27.02.24
(इमरान अली)
सहा0पर्या0अ0

क्षेत्रीय अधिकारी

: romuzaffarnagar@uppcb.in

दूरभाष : 0131-2436493

(16)

Annexure-4

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6-बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर-251001 (उ0प्र0)

पत्र सं0 / Ref. No. 1249/ W.C-29/मु0नगर/2024 — दिनांक / Dated 2-3-2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषय—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0 859/2022 ;आई.ए. नं0 632/2023, आई.ए. नं0 769/2023) अमीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में उद्योग मै0 एस0के0 कलैक्शन ग्राम शेरनगर मेरठ बाईपास रोड मुजफ्फरनगर, मै0 ए0डब्लू0एफ0 कलैक्शन ग्राम शेरनगर जानसठ रोड मुजफ्फरनगर तथा मै0 चौधरी क्रियेशन्स ग्राम शेरनगर मेरठ बाईपास रोड मुजफ्फरनगर के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक एच07743/सी-3/जल-454/24 दिनांक 29.02.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या 1219/सी/एस-270/मु0नगर/2024 दिनांक 27.02.2024, पत्र संख्या 1220/सी/ए-147/मु0नगर/2024 दिनांक 27.02.2024 एवं पत्र संख्या 1221/सी/सी-29/मु0नगर/2024 दिनांक 27.02.2024 द्वारा क्रमशः उद्योग मै0 एस0के0 कलैक्शन ग्राम शेरनगर मेरठ बाईपास रोड मुजफ्फरनगर, मै0 ए0डब्लू0एफ0 कलैक्शन ग्राम शेरनगर जानसठ रोड मुजफ्फरनगर तथा मै0 चौधरी क्रियेशन्स ग्राम शेरनगर मेरठ बाईपास रोड मुजफ्फरनगर के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी थी। तत्क्रम में आपके पत्र दिनांक 29.02.2024 के अनुपालन में दिनांक 02.03.2024 को उपरोक्त वर्णित तीनों उद्योगों की उत्पादन प्रक्रिया को बन्द करा दिया गया है। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ एवं सीलिंग रिपोर्ट की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न है। अग्रेतर, दिनांक 27.02.2024 को निरीक्षण के दौरान लिये गये जल नमूनों की विश्लेषण आख्याएं पत्र के साथ संलग्न हैं। प्राप्त विश्लेषण आख्याओं के अनुसार तीनों उद्योगों के जल नमूनों में प्रदूषित प्रचालकों का मान बोर्ड मानकों से अधिक पाया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत् सन्दर्भित तीनों उद्योगों मै0 एस0के0 कलैक्शन ग्राम शेरनगर मेरठ बाईपास रोड मुजफ्फरनगर, मै0 ए0डब्लू0एफ0 कलैक्शन ग्राम शेरनगर जानसठ रोड मुजफ्फरनगर तथा मै0 चौधरी क्रियेशन्स ग्राम शेरनगर मेरठ बाईपास रोड मुजफ्फरनगर के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की पुनः संस्तुति की जाती है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

AEE/SO
04/3/2024

भवदीय,

(अंकित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

D/Neeraj Mittal/Letter 2024

(17)

मै0 चौधरी क्रियेशन्स ग्राम शेरनगर मेरठ बाईपास रोड मुजफ्फरनगर की सीलिंग दौरान लिये गये फोटोग्राफ

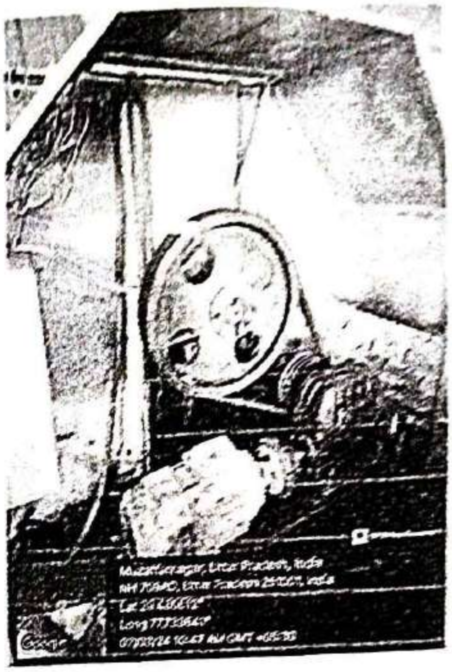

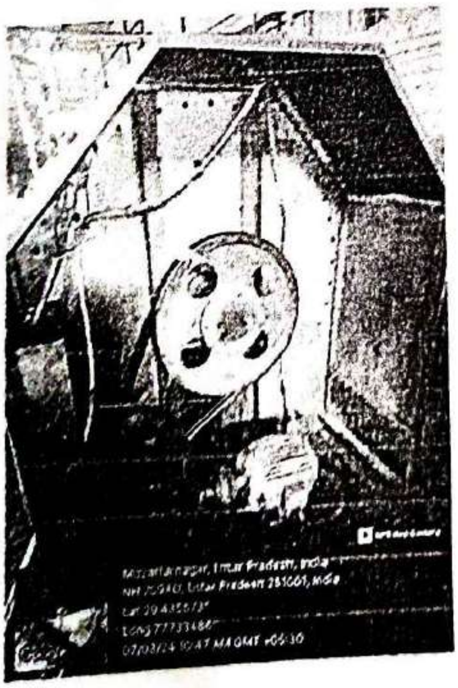

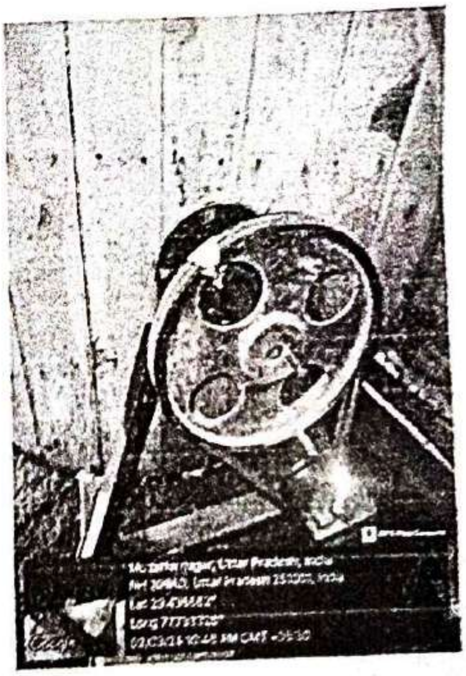

(18)

REGIONAL LABORATORY MuzaffarNagar
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Kamal Cinema Building,Railway Road, Muzaffarnagar

TEST REPORT WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 25083717/MuzaffarNagar/2024

Date:02/03/2024

1- Name of Industry: CHAUDHARY CREATION, Village-Shernagar;Meerut Bypass Road
2- Address of Industry: Village-Shernagar;Meerut Bypass Road
3- District: Muzaffarnagar
4- Description about sampling point: Final Outlet discharge from outside the Premises of the Industry before confluence to Shernagar Nala (Local Drain B/C to Kookra Drain)
5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
6- Sample Collected By: (1)Imraan Ali; A.E.E (2)Maneesh Kumar, J.R.F
7- Colour and Odour: Light Blue(Appearance) Foul
8- Quantity and Packing: 2.0 Ltrs PVC
9- Date of Sample Collection: 27/02/2024
10- Analyis Indented by: RO MuzaffarNagar
11- Date of sample receipt in Lab: 27/02/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	6.36	6.5-8.5	02-12
Suspended Solids , APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	146	100	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	1440	2100	10- 50000 mg/l
Total Solids, APHA 24th Ed.2540 B: 2023	mg/l	1586	Not Specified	10- 50000 mg/l
BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	206.0	30	1.0 -50000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	867	250	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules,1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

*Non-NABL Parameters.

Note ; 1 The results in the Test Report relate only to the items tested; 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: At the time of inspection industry found operational.

Analysed by-
[Diwakar Dev Gahlot(JRF), Ravish Pratap Singh(JRF)]

Authorized by

Ankit Singh (RO)

ANKIT SINGH Digitally signed by ANKIT SINGH Date: 2024.03.02 15:05:39 +05'30'

Regional Officer

(17)

की सीलिंग

(18)

REGIONAL LABORATORY MuzaffarNagar
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Kamal Cinema Building,Railway Road, Muzaffarnagar

TEST REPORT - WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 25083717/MuzaffarNagar/2024

Date:02/03/2024

1- Name of Industry: CHAUDHARY CREATION, Village-Shernagar;Meerut Bypass Road
2- Address of Industry: Village-Shernagar;Meerut Bypass Road
3- District: Muzaffarnagar
4- Description about sampling point: Final Outlet discharge from outside the Premises of the Industry before confluence to Shernagar Nala (Local Drain B/C to Kookra Drain)
5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
6- Sample Collected By: (1)Imraan Ali; A.E.E (2)Maneesh Kumar; J.R.F
7- Colour and Odour: Light Blue(Appearance) Foul
8- Quantity and Packing: 2.0 Ltrs PVC
9- Date of Sample Collection: 27/02/2024
10- Analysis Indented by: RO MuzaffarNagar
11- Date of sample receipt in Lab: 27/02/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed 4500B: 2023	-	6.36	6.5-8.5	02-12
Suspended Solids , APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	146	100	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	1440	2100	10- 50000 mg/l
Total Solids, APHA 24th Ed.2540 B: 2023	mg/l	1586	Not Specified	10- 50000 mg/l
BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	206.0	30	1.0 -50000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	867	250	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules,1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf, Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

*Non-NABL Parameters

Note: 1 The results in the Test Report relate only to the items tested. 2. The report shall not be reproduced except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: At the time of inspection industry found operational

Analysed by-
[Diwakar Dev Gahlot(JRF), Ravish Pratap Singh(JRF)]

Authorized by

Ankit Singh (RO)

ANKIT SINGH Digitally signed by ANKIT SINGH Date: 2024.03.02 15:05:39 +05'30'

Regional Officer

1 of Page 3

(19)

उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड के पत्रांक – एम 7743/सी-3/ओल-254/24 दिनाँक 29/02/24 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आज दिनाँक 02/03/2024 को इकाई मै० चौधरी क्रिएशन्स, ग्राम शेरनगर मेरठ बाईपास रोड मुजफ्फरनगर का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के समय इकाई संचालित पायी गयी इकाई में उत्पादन प्रक्रिया को बंद कराते हुये इकाई प्रतिनिधि श्री मोहम्मद अकरम की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षर कर्ताओं द्वारा इकाई को सील कर दिया गया इकाई में सील किये गये संयन्त्र निम्नवत हैं

1- दो डाईंग मशीन

2- 01, ढोल

02/03/2024
रवीन्द्र प्रताप सिंह
J.R.F UPPCB
जि० मु०नगर

02/03/24
दिवाकर देव गहलोत
J.R.F
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मु०नगर

उद्योग प्रतिनिधि :-
मो० अकरम
02/3/2024

Annexure-5 (20)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0 859/2022 (आई.ए. नं0 632/2023, आई.ए. नं0 769/2023) अभिष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में उद्योग मै0 चौधरी क्रियेशन्स, ग्राम शेरनगर, मेरठ बाईपास रोड, मुजफ्फरनगर व उसके उत्तरदायी के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव।

मै0 चौधरी क्रियेशन्स, ग्राम शेरनगर, मेरठ बाईपास रोड, मुजफ्फरनगर एक उद्योग है, जोकि जल अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है, जिसके विरूद्ध उक्त अधिनियम में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने के कारण क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या 1221/C/S-270/मु0नगर/2024 दिनांक 27.02.2024 एवं 1249/C/C-29/मु0नगर/2024 दिनांक 02.03.2024 के माध्यम से उक्त उद्योग के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं:–

24. In these circumstances, we direct Member Secretary, UPPCB forthwith to initiate or get initiated criminal prosecution by lodging criminal complaint in appropriate court for committing offence under Section 43 read with Section 24 of Water Act, 1974 against the Officers-in-Charge of Municipal Corporations/Municipal Bodies of Saharanpur, Muzaffarnagar, Shamli, Meerut, Baghpat, Ghaziabad and Gautam Budh Nagar and also initiate criminal prosecution against industries which are discharging polluting materials in the river.

25. Besides, State Ppllution Control Board and its authorities shall take immediate action for closure of the industrial and other establishments, which are discharging polluted matter in river Hindon and shall also proceed to assess and finalize aequate Enviromental Compensation in view of the principles laid down by Supreme Court in M.C. Mehta, (1987) 1 SCC 395, Sterlite (2013) 4 SCC 575; Goel Ganga (2018) 18 SCC 257; Goa Foundation v Union of India & Ors. (2014) 6 SCC 590 and Common Cause Vs. UOI & Ors., (2017) 9 SCC 499 and take steps for recovery of the same.

उद्योग मै0 चौधरी क्रियेशन्स, ग्राम शेरनगर, मेरठ बाईपास रोड, मुजफ्फरनगर का पूर्व में दिनांक 29.03.2023 को क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरनगर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया था। तत्समय निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया था। उद्योग राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना स्थापित/संचालित पाया गया था। उद्योग में व्हाइट/ग्रे जींस की डाइंग एवं वॉशिंग से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी थी। तत्क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय की संस्तुति के आधार पर उद्योग के विरूद्ध राज्य बोर्ड के पत्रांक एच एच92836/सी–3/जल–454/मु0नगर/2023 दिनांक 28.04.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये गये थे, जिसके अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा उद्योग परिसर में स्थापित डाइंग मशीन, वॉशिंग मशीन आदि को दिनांक 29.04.2023 को सील कर दिया गया था। उद्योग के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश वर्तमान में भी प्रभावी है।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से हिण्डन नदी एवं सहायक नदी काली नदी पश्चिमी में गिरने वाले धन्धेडा नाले के माध्यम से उत्प्रवाह निस्तारित कर रहे उद्योग मै0 चौधरी क्रियेशन्स, ग्राम शेरनगर, मेरठ बाईपास रोड, मुजफ्फरनगर का निरीक्षण दिनांक 27.02.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरनगर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग राज्य बोर्ड से जारी बन्दी आदेशों का उल्लंघन कर संचालित पाया गया तथा बोर्ड द्वारा उद्योग के विरूद्ध जारी बन्दी आदेशों के अनुपालन में लगाई गयी सील नहीं पायी गयी, जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा बोर्ड द्वारा लगाई गई सील को तोड़कर उद्योग का अवैध रूप से संचालन किया जा रहा है। निरीक्षण के समय उद्योग से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी तथा प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह बिना शुद्धिकृत किये सीधे धन्धेड़ा नाले में प्रवाहित किया जाता पाया गया। उद्योग द्वारा निस्तारित किये जा रहे उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरनगर की प्रयोगशाला में जमा कराया गया। संलग्न विश्लेषण आख्या के अनुसार प्रदूषित प्रचालक BOD=206 mg/l, COD=867 mg/l, SS=146 mg/l पायी गयी, जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश दिनांक 28.04.2023 का उल्लंघन करते हुए धन्धेडा नाले में मानकों के विपरीत उत्प्रवाह निस्तारित किया जा रहा है, जो काली नदी पश्चिमी में मिलता है, जिससे काली नदी पश्चिमी की जल गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित होना स्वाभाविक है। काली नदी अन्ततः हिण्डन नदी में मिलती है, जिस कारण हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता भी विपरीत रूप से प्रभावित होना स्वाभाविक है।

क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में उद्योग मै0 चौधरी क्रियेशन्स, ग्राम शेरनगर, मेरठ बाईपास रोड, मुजफ्फरनगर

(21)

के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत उद्योग मै0 चौधरी क्रियेशन्स, ग्राम शेरनगर, मेरठ बाईपास रोड, मुजफ्फरनगर व उसके दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिये उत्तरदायी व्यक्ति श्री मो0 अकरम पुत्र श्री तराबुद्दीन ग्राम व पो0आ0 तावली, थाना शाहपुर जिला मुजफ्फरनगर (उ0प्र0), आधार नं0–464367807982, मोबाइल नं0–9990752358, 9667576490, जीएसटी नं0–09AAPFC1575R1ZK, के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 43 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर किये जाने हेतु अभियोजनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।

पर्यावरण अभियंता (वृत्त–3) / मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)

सदस्य सचिव / अध्यक्ष महोदय

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ

(मनोज सिंह)
अध्यक्ष
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ

(22)

दिनांक–23.12.81 को सम्पन्न बोर्ड की 16वीं बैठक की जारी सूची सं0–16.04 पर प्रस्तुत प्रस्ताव एवं उस पर लिया गया निर्णयः–

विषय–बोर्ड के विधि अधिकारी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, अथवा सहायक पर्यावरण अभियंता को न्यायालय में बोर्ड की ओर से वाद प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत करना।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के विभिन्न प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में औद्योगिक एवं स्थानीय निकायों के विरूद्व बोर्ड द्वारा अभियोजनात्मक कार्यवाही करनी पड़ती है। जिसके लिए कभी–कभी यह आवश्यक हो जाता है कि वादी स्वयं न्यायालय में उपस्थित रहे। अब तक विभिन्न वादों में सदस्य सचिव भी वादी की हैसियत से वाद दायर करते रहे हैं। इस कारण सदस्य सचिव को कई बार न्यायालय में उपस्थित रहना पड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप बोर्ड के दिन प्रतिदिन के आवश्यक कार्यों में व्यवधान पड़ा है।

उपरोक्त वर्णित कारणों एवं स्थानीय सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रस्ताव है कि बोर्ड के विधि अधिकारी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सहायक वैज्ञानिक अधिकारी अथवा सहायक पर्यावरण अभियंता जिसको भी सदस्य–सचिव नामित करें। बोर्ड की ओर से दायर किए जाने वाले मुकदमों में वाद दायर करने के लिए अधिकृत किया जाये।

इस प्रकार की कार्यवाही से अभियोजनात्मक कार्यवाही अधिक प्रभावी होगी तथा बोर्ड आवश्यक प्रशासनिक उच्च स्तरीय कार्यकलापों में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ेगा।

<u>निर्णय</u>

बोर्ड की ओर से न्यायालय में वाद प्रस्तुत किए जाने हेतु विधि अधिकारी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी तथा सहायक पर्यावरण अभियंता को बोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि मुकदमा उसी अधिकारी द्वारा दायर किया जाएगा जिसको सदस्य–सचिव नामित करेंगे।

Annexure-6 (23)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. : Date : 29/04/2024

BEFORE THE COURT OF SPECIAL JUDICIAL MAGISTRATE, (Water & Air Pollution Control), Ist Class, Lucknow

Complaint Case No. of 2024

Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow

.......Complainant

Versus

M/s Chaudhary Creations, Village-Shernagar, Meerut Bye Pass Road, Muzaffarnagar through its Proprietor and another

......Opposite Parties

AUTHORIZATION

Hon'ble Sir,

As per the resolution of the State Board Sri Imran Ali, Assistant Environment Engineer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow is hereby nominated/authorized to file this complaint under Section-43 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 against M/s Chaudhary Creations, Village-Shernagar, Meerut Bye Pass Road, Muzaffarnagar through its Proprietor and another on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board, T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar Lucknow.

(Sanjeev Kumar Singh)
Member Secretary

The signature of Sri Imran Ali is hereby attested.

(Imran Ali)

(Sanjeev Kumar Singh)
Member Secretary

टी.सी.- 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ – 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow – 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831,
Fax : 0522-2720764, 2720676
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

-1- ws/48154/2024
UPLK0404815520 24

BEFORE THE COURT OF SPECIAL JUDICIAL MAGISTRATE (WATER AND AIR POLLUTION CONTROL), LUCKNOW

Complaint Case No. of 2024

Uttar Pradesh Pollution Control Board, T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow through its Assistant Environmental Engineer, Sri Imran Ali, presently posted at Regional Office, Muzaffarnagar.

......Complainant

Versus

1) **M/s AWF Collection (Creations), Village- Sher Nagar, Jansath Road, Muzaffarnagar through its representative**

2) **Shri Haroon Chaudhary S/o Sri Meherban Ali R/o Village and Post Office- Tavli, Thana- Shahpur, District- Muzaffarnagar representative of M/s AWF Collection, Village- Sher Nagar, Jansath Road, Muzaffarnagar.**

30/09/2024

......Opp. Parties

COMPLAINT UNDER SECTION 43 OF THE WATER (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1974

Sir,

The complainant, Uttar Pradesh Pollution Control Board, herein after referred as Complainant Board, most respectfully showeth as under;

1) That the complainant is the State Board constituted by the Government of Uttar Pradesh vide LSG-Section-4 G.O. No.-897/ix-4-100-74 dated 03.02.1975 in accordance to the provisions of Section-4(1) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (herein after referred as Act, 1974) for the prevention and control of pollution regarding Water, Air and Environmental

Pollutions which has been named as Uttar Pradesh Pollution Control Board vide Notification No.-2179/9-02-100-74 dated 13.07.1982.

2) That the M/s AWF Collection, Village- Sher Nagar, Jansath Road, Muzaffarnagar is a company within the meaning of Section-47 of the Act, 1974 which has been operating without obtaining the mandatory consent/no objection certificate from the Complainant Board and also without having any facility of the Sewage Treatment Plant, hereinafter referred as STP, and thereby discharging knowingly its untreated noxious and polluted matter in the water which is the "Stream" defined in Section-2(J) of the Act, 1974 which is an offence under Section-43 of the Act, 1974.

3) That according to the Section-24 of the Act, 1974 there is prohibition on use of stream or well for disposal of polluting matter, etc. The Section-24(1) of the Act, 1974 is quoted below;

Section-24(1) - Subject to the provisions of this section-

a) no person shall knowingly cause or permit any poisonous, noxious or polluting matter determined in accordance with such standards as may be laid down by the State Board to enter (whether directly or indirectly) into any stream or well or sewer or on land

b) no person shall knowingly cause or permit to enter into any stream any other matter which may tend, either directly or in combination with similar matters, to impede the proper flow of the water of the stream in a manner leading or likely to lead to a substantial aggravation of pollution due to other causes or of its consequences.

4) That the opp. party no.-1 has continuously discharging the sewage and untreated effluents without establishing any Sewage Treatment Plant, hereinafter referred as STP, which comes under

the definition of "sewage effluents" within the meaning of Section-2(g) of the Act, 1974.

5) That the site of opp. party no.-1 was inspected by the officials of the complainant Board on 29.03.2023 and during the inspection it was found that the opp. party no.-1 was operating without having the necessary consent from the complainant board and there was no facility of STP thereby discharging its untreated effluents which was generated from domestic sewage through Dhandheda Drain into the River Kali which finally meets into the River Hindon. A copy of the inspection report dated 29.03.2023 along with letter dated 31.03.2023 is being annexed herewith as **Annexure-1** to this complaint.

6) That after inspecting the unit in question, the Complainant Board has issued a closure order dated 28.04.2023 and in compliance of said closure order the unit was closed/sealed on 29.04.2023. A copy of the closure order dated 28.04.2023 is being annexed herewith as **Annexure-2** to this complaint.

7) That in light and in compliance to the order dated 15.12.2023 passed by the learned National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No.-859/2022, Abhisht Kusum Gupta versus State of UP and ors., it is submitted that the site was again inspected on dated 28.02.2024 by the officials of the Board and found that the unit was operating illegally by violating the closure order. Further it was found that there was having no facility of STP and thereby discharging its untreated effluents which was generated from domestic sewage into the Hindon River. A copy of the inspection report dated 27.02.2024 is being annexed herewith as **Annexure-3** to this complaint.

8) That during the inspections a sample of untreated effluents, discharged by opposite party no. 1, were collected by the officials

of Complainant Board and sent to the authorized laboratory for analysis. Further it is submitted that the analysis report clearly shows that the unit/ opp. party no. 1 is discharging the untreated effluents which are beyond the standards laid down. A copy of the analysis report dated 02.03.2024 is being annexed herewith as **Annexure-4** to this complaint.

9) That the opp. party no.-2 is the responsible person of the unit and in-charge of day to day business of the said unit and responsible for the conduct of business of the said unit hence is liable to proceed against in violation of the provisions of Section-24 of the Act, 1974.

10) That opp. party nos.-1 and 2 has committed the offence under Section-43 of the Act, 1974. The offence is committed continuously against the society at large, animals and aquatic life in particular, because of their personal monetary gain. That the opp. party no.-2 is the brain and nerve centre of the accused/opp. party no.-1 and conducting day to day business of the unit which has been discharging it's sewage effluents into the stream, hence are liable to be proceed against under Section-43 read with Section-47 the Act, 1974.

11) That the provisions of the Section-47(i) of the aforesaid Act, 1974, not only the company but every person who, at the time of offence was committed, was in-charge of and responsible to the company for conduct of the business is also liable and responsible for the commission of the said offence.

12) That the Competent Authority on 11.03.2024 has taken decision to file this complaint against all the Opp. Parties before this Hon'ble Court. The copy of the resolution dated 11.03.2024 is being annexed herewith as **Annexure-5** to this complaint.

13) That the complainant Board has authorized its officer to file the complaint on its behalf and Sri Imran Ali, Assistant Environmental Engineer has been nominated to file this complaint against the Opp. Parties. A copy of the authorization is being annexed herewith as **Annexure-6** to this complaint.

PRAYER

Therefore, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may very kindly and graciously be please to take cognizance of the offence and summon the accused/opp. party nos. 1 and 2 and punish them in accordance with law under Section-43 of the Act, 1974. Any such other order which this Hon'ble Court may deem just and proper in the circumstances may also by pass in the interest of the justice.

Lucknow **Complainant**
Dated: 30.07.2024

(Imran Ali)
Assistant Environmental Engineer
U. P. Pollution Control Board

List of Witnesses:

1) Shri Atulesh Yadav, Chief Environmental Officer, Circle-3, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow.
2) Shri Ankit Singh, Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Muzaffarnagar.
3) Shri Vipul Kumar, Assistant Environmental Engineer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Muzaffarnagar.
4) Any other official who may be available at the time of trial

Complainant

Annexure - 1

(6)

mail : romuzaffarnagar@uppcb.in

दूरभाष : 0131-2436493

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6—बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर—251001 (उ०प्र०)

सन्दर्भ सं० Ref. No. 1725/जी-112/हिण्डन नदी/मु०नगर/2023

दिनांक Dated 31-3-2023

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषयः—मै0 ए.डब्लू.एफ. कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक हिण्डन नदी एवं इसकी सहायक नदियों की अवरिलता एवं निर्मलता सुनिश्चित किये जाने हेतु क्षेत्र में स्थापित/संचालित जल प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाईयों में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का सतत् संचालन सुनिश्चित कराने तथा अशुद्धिकृत अथवा रंगीन उत्प्रवाह के गंगा नदी/सहायक नदियों में निस्तारण पर निगरानी किये जाने हेतु आयुक्त महोदय सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से दिनांक 29.03.2023 को क्षेत्र भ्रमण के उद्योग मै0 ए.डब्लू.एफ. कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर का निरीक्षण किया गया। उद्योग में व्हाइट/ग्रे–जीन्स की डाइंग एवं वॉशिंग आदि का कार्य किया जाता है। उद्योग राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना स्थापित किया गया है तथा संचालन हेतु सहमति प्राप्त किये बिना संचालित किया जा रहा है। उद्योग में प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं है तथा न ही बेबी ब्वायलर पर वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित है। निरीक्षण आख्या संलग्न है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत् उद्योग मै0 ए.डब्लू.एफ. कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के प्राविधानों के अन्तर्गत तत्काल बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अंकित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

EE/AEE

18/4/23

18/4/23

SA/SO
18/4/23

D/Neeraj Mittal/Letter 2023

(7)

हिण्डन नदी एवं इसकी सहायक नदियों की निर्मलता व अविरलता बनाये रखने शासन स्तर से जारी निर्देशों के क्रम में अवैध रूप से संचालित उद्योग मै0 ए.डब्लू.एफ. कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर की निरीक्षण आख्या।

हिण्डन नदी एवं इसकी सहायक नदियों की अवरिलता एवं निर्मलता सुनिश्चित किये जाने हेतु क्षेत्र में स्थापित/संचालित जल प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाईयों में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का सतत् संचालन सुनिश्चित कराने तथा अशुद्धिकृत अथवा रंगीन उत्प्रवाह के गंगा नदी/सहायक नदियों में निस्तारण पर निगरानी किये जाने हेतु आयुक्त महोदय सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं।

उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से दिनांक 29.03.2023 को क्षेत्र भ्रमण के उद्योग मै0 ए.डब्लू.एफ. कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर (संचालक– श्री हारून अली, मोबाइल नं0 9910372586) का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा किया गया। उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री हारून अली, प्रोपराइटर उपस्थित रहे। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि को उद्योग की स्थापना एवं संचालन के सम्बन्ध में राज्य बोर्ड की सहमति प्रस्तुत किये जाने हेतु कहा गया तो प्रस्तुत किये जाने में असमर्थ रहे। उद्योग के सम्बन्ध में निम्न तथ्य प्रकाश में आये :–

1– उद्योग में व्हाइट/ग्रे–जीन्स की डाइंग एवं वॉशिंग आदि का कार्य किया जाता है, जिस हेतु उद्योग में 07 वॉशिंग मशीन, 03 वुड कार्विंग ड्रम तथा 03 बेबी वॉशिंग मशीन (सैम्पलर) स्थापित हैं।

2– उद्योग में भाप की आपूर्ति हेतु 500 किग्रा0/घंटा क्षमता का बेबी ब्यायलर स्थापित है तथा वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति हेतु 62.5 केवीए क्षमता का डी0जी0 सैट स्थापित है। बेबी ब्यायलर एवं डी0जी0 सैट हेतु ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग किया जाता है। बेबी ब्यायलर एवं डी0जी0 सैट से जनित उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है।

3– उद्योग में जल की आपूर्ति हेतु 1 हा0पा0 क्षमता का सबमर्सिबल पम्प स्थापित है। उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग में प्रतिदिन लगभग 10 किली0 जल का प्रयोग औद्योगिक प्रक्रिया एवं घरेलू प्रयोजनों हेतु किया जाता है।

4– उद्योग में औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। औद्योगिक उत्प्रवाह को बिना शुद्धिकृत किये शेरनगर नाले के माध्यम से निस्तारित किया जाता है। निरीक्षण के समय उद्योग में डाइंग एवं वॉशिंग से जनित उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में जमा कराया गया। नमूना विश्लेषण में वर्तमान तक प्राप्त प्रचालक pH=6.5, COD=944 mg/l, TSS=180 mg/l पाये गये, जो कि बोर्ड मानकों के विपरीत है।

5– शेरनगर नाला कूकड़ा नाले में मिलता है तथा कूकड़ा नाला धन्धेड़ा ड्रेन में मिलते हुए काली नदी पश्चिमी में मिलता है। काली नदी पश्चिमी हिण्डन नदी की सहायक नदी है। उद्योग द्वारा अशुद्धिकृत उत्प्रवाह का निस्तारण किये जाने के कारण काली नदी पश्चिमी एवं हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता पर विपरीत रूप से प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

क्रमशः 2

J.R.F

(61)

-2-

6- कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त उद्योग की स्थापना एवं संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उद्योग राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना स्थापित किया गया है तथा संचालन हेतु सहमति प्राप्त किये बिना संचालित किया जा रहा है। उद्योग में प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं है तथा न ही बेबी ब्वायलर पर वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत् उद्योग मै0 ए.डब्लू.एफ. कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के प्राविधानों के अन्तर्गत तत्काल बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

31-03-2023
(मनीष कुमार)
जे0आर0एफ0

31/03/23
(विपुल कुमार)
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure-2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(9) Mail Sent

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: H.92893 /सी-3/ ......456......./मु.न.र/23 दिनांक: 28./4/2023

सेवा में,

मै0 ए0डब्लू0एफ0 कलैक्शन,
ग्राम-शेरनगर, जानराठ रोड
जनपद-मुजफ्फरनगर। पंजीकृत

यह कि उद्योग मै0 ए0डब्लू0एफ0 कलैक्शन, ग्राम-शेरनगर, जानराठ रोड जनपद-मुजफ्फरनगर जोकि व्हाइट/ग्रे-जीन्स की डाइंग एवं वाशिंग के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उद्योग मै0 ए0डब्लू0एफ0 कलैक्शन, ग्राम-शेरनगर, जानराठ रोड जनपद-मुजफ्फरनगर का क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 29.03.2023 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया। प्राप्त निरीक्षण आख्यानुसार उद्योग द्वारा व्हाइट/ग्रे-जीन्स की डाइंग एवं वाशिंग प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह को बिना शुद्धिकृत किये कुकड़ा नाला के माध्यम से धन्धेड़ा नाले में निस्तारित किया जाता है, जो कि अंतत: हिण्डन नदी की सहायक नदियों में मिलता है। निरीक्षण के दौरान उद्योग परिसर से निस्तारित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह के एकत्रित नमूने की विश्लेषण आख्या में प्रदूषित प्रचालक पी0एच0 6.5, सी0ओ0डी0 944 मि0ग्रा0/ली0, कुल निलम्बित ठोस 180 मि0ग्रा0/ली0 पाया गया। जोकि निर्धारित मानक से अधिक है। उद्योग राज्य बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित/संचालित है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह को बिना उपचारित किये नाली के माध्यम से कुकड़ा नाले के माध्यम से धन्धेड़ा नाले में निस्तारित किया जाता है। जो अन्तत: हिण्डन नदी में मिलता है। जिससे हिण्डन नदी की जलगुणता प्रभावित होना स्वाभाविक है।

अतएव जनहित एवं जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योग का संचालन रोका जाये।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग मै0 ए0डब्लू0एफ0 कलैक्शन, ग्राम-शेरनगर, जानराठ रोड जनपद-मुजफ्फरनगर के विरूद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित तत्काल बन्दी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि उद्योग मै0 ए0डब्लू0एफ0 कलैक्शन, ग्राम-शेरनगर, जानराठ रोड जनपद-मुजफ्फरनगर के उत्पादन/संचालन कार्य को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि उद्योग मै0 ए0डब्लू0एफ0 कलैक्शन, ग्राम-शेरनगर, जानराठ रोड जनपद-मुजफ्फरनगर को मिलने वाली बिजली, पानी तथा अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

28/4/23
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-3)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संबंधित अधीनस्थ को उद्योग मै0 ए0डब्लू0एफ0 कलैक्शन, ग्राम-शेरनगर, जानराठ रोड जनपद-मुजफ्फरनगर को तत्काल बन्दी सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संबंधित अधीनस्थ को उद्योग मै0 ए0डब्लू0एफ0 कलैक्शन, ग्राम-शेरनगर, जानराठ रोड जनपद-मुजफ्फरनगर को तत्काल बन्दी सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, डब्लू0एम0डी0 1/2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

--2/-

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
ई-मेल : info@uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

(10)

(2)

4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश साथ कि कृपया उद्योग मै0 ए0डब्लू0एफ0 कलैक्शन, ग्राम–शेरनगर, जानसठ रोड जनपद–मुजफ्फरनगर विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराना सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ कि कृपया उद्योग मै0 ए0डब्लू0एफ कलैक्शन, ग्राम–शेरनगर, जानसठ रोड जनपद–मुजफ्फरनगर की जल आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करान सुनिश्चित करें।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ कि उद्योग मै0 ए0डब्लू0एफ0 कलैक्शन, ग्राम–शेरनगर, जानसठ रोड जनपद–मुजफ्फरनगर की बन्दी सुनिश्चित कराये तथा अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करे।

28/4/23

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–3)

O/C

mail : romuzaffarnagar@uppcb.in 2199/2 22.03.2024 Annexure-3 (11)
क्षेत्रीय कार्यालय दूरभाष : 0131-2438493

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6–बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर–251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं० Ref. No. 1220/C/A-147/मु०नगर/2024 दिनांक Dated 27-2-2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

डाक प्राप्ति रसीद
प्राप्ति दिनांक 18/3/24

विषय–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0 859/2022 (आई.ए. नं0 632/2023, आई.ए. नं0 769/2023) अभिष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में उद्योग मै0 ए0डब्लू0एफ0 कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से हिण्डन नदी एवं सहायक नदी काली नदी पश्चिमी में गिरने वाले धन्धेडा नाले के माध्यम से उत्प्रवाह निस्तारित कर रहे उद्योग मै0 ए0डब्लू0एफ0 कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर का निरीक्षण दिनांक 27.02.2024 को कराया गया। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया।

पूर्व में दिनांक 29.03.2023 को संदर्भित उद्योग का निरीक्षण किया गया था। तत्समय निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया था। उद्योग राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना स्थापित/संचालित पाया गया था। उद्योग में व्हाइट/ग्रे जींस की डाइंग एवं वॉशिंग से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी थी। तत्क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय की संस्तुति के आधार पर उद्योग के विरूद्ध राज्य बोर्ड के पत्रांक एच92835/सी–3/जल–456/मु0नगर/2023 दिनांक 28.04.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये गये थे, जिसके अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा उद्योग परिसर में स्थापित डाइंग मशीन, वॉशिंग मशीन आदि को दिनांक 29.04.2023 को सील कर दिया गया था। उद्योग के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश वर्तमान में भी प्रभावी है।

SE/AEE
28/3/24 (E/O)

कार्यालय आख्या के अनुसार निरीक्षण के समय उद्योग राज्य बोर्ड से जारी बन्दी आदेशों का उल्लंघन कर संचालित पाया गया तथा कार्यालय द्वारा उद्योग के विरूद्ध जारी बन्दी आदेशों के अनुपालन में लगाई गयी सील नहीं पायी गयी, जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा कार्यालय द्वारा लगाई गई सील को तोड़कर उद्योग का अवैध रूप से संचालन किया जा रहा है। निरीक्षण के समय उद्योग से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी तथा प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह बिना शुद्धिकृत किये सीधे धन्धेड़ा नाले में प्रवाहित किया जाता पाया गया। निस्तारित हो रहे उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला मुजफ्फरनगर में जमा कराया गया। विश्लेषण आख्या के अनुसार प्रदूषित प्रचालक COD=842 mg/l पायी गयी, जिससे स्पष्ट है कि धन्धेडा नाले में मानकों के विपरीत उत्प्रवाह निस्तारित किया जा रहा है, जो काली नदी

क्रमशः ...2...

Email : romuzaffarnagar@uppcb.in 2199/2 22.03.2024 Annexure-3 दूरभाष : 0131-2438483

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6–बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर–251001 (उ0प्र0)

संदर्भ सं० Ref. No. 1220/CA-147/मु०नगर/2024 दिनांक Dated 27-2-2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

डाक प्राप्ति रसीद
प्राप्ति दिनांक 18/3/24

विषय–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0 859/2022 (आई.ए. नं0 632/2023, आई.ए. नं0 769/2023) अभिष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में उद्योग मै0 ए0डब्लू0एफ0 कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से हिण्डन नदी एवं सहायक नदी काली नदी पश्चिमी में गिरने वाले धन्धेडा नाले के माध्यम से उत्प्रवाह निस्तारित कर रहे उद्योग मै0 ए0डब्लू0एफ0 कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर का निरीक्षण दिनांक 27.02.2024 को कराया गया। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया।

पूर्व में दिनांक 29.03.2023 को संदर्भित उद्योग का निरीक्षण किया गया था। तत्समय निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया था। उद्योग राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना स्थापित/संचालित पाया गया था। उद्योग में व्हाइट/ग्रे जींस की डाइंग एवं वॉशिंग से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी थी। तत्क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय की संस्तुति के आधार पर उद्योग के विरूद्ध राज्य बोर्ड के पत्रांक एच92835/सी–3/जल–456/मु0नगर/2023 दिनांक 28.04.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये गये थे, जिसके अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा उद्योग परिसर में स्थापित डाइंग मशीन, वॉशिंग मशीन आदि को दिनांक 29.04.2023 को सील कर दिया गया था। उद्योग के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश वर्तमान में भी प्रभावी है।

SE/AEE
28/3/24
(E/O)

कार्यालय आख्या के अनुसार निरीक्षण के समय उद्योग राज्य बोर्ड से जारी बन्दी आदेशों का उल्लंघन कर संचालित पाया गया तथा कार्यालय द्वारा उद्योग के विरूद्ध जारी बन्दी आदेशों के अनुपालन में लगाई गयी सील नहीं पायी गयी, जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा कार्यालय द्वारा लगाई गई सील को तोड़कर उद्योग का अवैध रूप से संचालन किया जा रहा है। निरीक्षण के समय उद्योग से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी तथा प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह बिना शुद्धिकृत किये सीधे धन्धेड़ा नाले में प्रवाहित किया जाता पाया गया। निस्तारित हो रहे उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला मुजफ्फरनगर में जमा कराया गया। विश्लेषण आख्या के अनुसार प्रदूषित प्रचालक COD=842 mg/l पायी गयी, जिससे स्पष्ट है कि धन्धेडा नाले में मानकों के विपरीत उत्प्रवाह निस्तारित किया जा रहा है, जो काली नदी

क्रमशः ...2...

(12)

पश्चिमी में मिलता है, जिससे काली नदी पश्चिमी की जल गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित होना स्वाभाविक है। काली नदी अन्ततः हिण्डन नदी में मिलती है, जिस कारण हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता भी विपरीत रूप से प्रभावित होना स्वाभाविक है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत् उद्योग मै0 ए.डब्लू.एफ. कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

उद्योग स्वामी का विवरण निम्नवत् है :–

नाम –	श्री हारून चौधरी पुत्र श्री मेहरबान अली निवासी ग्राम व पोस्ट तावली, थाना शाहपुर, जिला मुजफ्फरनगर
जीएसटी नं0 –	09AEOPH4735D2ZF
आधार नं0 –	924998867779
मोबाइल नं0 –	9910372586

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अंकित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

(13)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0 859/2022 (आई.ए. नं0 632/2023, आई.ए. नं0 769/2023) अभिष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में उद्योग मै0 ए0डब्लू0एफ0 कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0 859/2022 (आई.ए. नं0 632/2023, आई.ए. नं0 769/2023) अभिष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् हैं :–

24. In these circumstances, we direct Member Secretary, UPPCB forthwith to initiate or get initiated criminal prosecution by lodging criminal complaint in appropriate court for committing offence under Section 43 read with Section 24 of Water Act, 1974 against the Officers-in-Charge of Municipal Corporations/Municipal Bodies of Saharanpur, Muzaffarnagar, Shamli, Meerut, Baghpat, Ghaziabad and Gautam Budh Nagar and also initiate criminal prosecution against industries which are discharging polluting materials in the river.

25. Besides, State Ppllution Control Board and its authorities shall take immediate action for closure of the industrial and other establishments, which are discharging polluted matter in river Hindon and shall also proceed to assess and finalize aequate Enviromental Compensation in view of the principles laid down by Supreme Court in M.C. Mehta, (1987) 1 SCC 395, Sterlite (2013) 4 SCC 575; Goel Ganga (2018) 18 SCC 257; Goa Foundation v Union of India & Ors. (2014) 6 SCC 590 and Common Cause Vs. UOI & Ors., (2017) 9 SCC 499 and take steps for recovery of the same.

अवगत कराना है कि पूर्व में दिनांक 29.03.2023 को संदर्भित उद्योग का निरीक्षण किया गया था। तत्समय निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया था। उद्योग राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना स्थापित/संचालित पाया गया था। उद्योग में व्हाइट/ग्रे जींस की डाइंग एवं वॉशिंग से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी थी। तत्क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय की संस्तुति के आधार पर उद्योग के विरूद्ध राज्य बोर्ड के पत्रांक एच92835/सी–3/जल–456/मु0नगर/2023 दिनांक 28.04.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये गये थे, जिसके अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा उद्योग परिसर में स्थापित डाइंग मशीन, वॉशिंग मशीन आदि को दिनांक 29.04.2023 को सील कर दिया गया था। उद्योग के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश वर्तमान में भी प्रभावी है।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से हिण्डन नदी एवं सहायक नदी काली नदी पश्चिमी में गिरने वाले धन्धेडा नाले के माध्यम से उत्प्रवाह निस्तारित कर रहे उद्योग मै0 ए0डब्लू0एफ0 कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर का निरीक्षण दिनांक 27.02.2024 को किया गया। उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री हारून चौधरी पुत्र श्री मेहरबान अली ग्राम तावली मुजफ्फरनगर (उ0प्र0) उपस्थित रहे। निरीक्षण के समय उद्योग राज्य बोर्ड से जारी बन्दी आदेशों का उल्लंघन कर संचालित पाया गया तथा कार्यालय द्वारा उद्योग के विरूद्ध जारी बन्दी आदेशों के अनुपालन में लगाई गयी सील नहीं पायी गयी, जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा कार्यालय द्वारा लगाई गई सील को तोड़कर उद्योग का अवैध रूप से संचालन

क्रमशः .....2....

(14)

-2-

किया जा रहा है। निरीक्षण के समय उद्योग से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी तथा प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह बिना शुद्धिकृत किये सीधे धन्धेड़ा नाले में प्रवाहित किया जाता पाया गया। निस्तारित हो रहे उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला मुजफ्फरनगर में जमा कराया गया। विश्लेषण आख्या के अनुसार प्रदूषित प्रचालक COD=842 mg/l पायी गयी, जिससे स्पष्ट है कि धन्धेडा नाले में मानकों के विपरीत उत्प्रवाह निस्तारित किया जा रहा है, जो काली नदी पश्चिमी में मिलता है, जिससे काली नदी पश्चिमी की जल गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित होना स्वाभाविक है। काली नदी अन्ततः हिण्डन नदी में मिलती है, जिस कारण हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता भी विपरीत रूप से प्रभावित होना स्वाभाविक है।

निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् हैं :-

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उद्योग राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना स्थापित किया गया है तथा संचालन हेतु सहमति प्राप्त किये बिना संचालित किया जा रहा है। उद्योग में प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत् उद्योग मै0 ए.डब्लू.एफ. कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

उद्योग स्वामी का विवरण निम्नवत् है :-

नाम –	श्री हारून चौधरी पुत्र श्री मेहरबान अली निवासी ग्राम व पोस्ट तावली, थाना शाहपुर, जिला मुजफ्फरनगर
जीएसटी नं0 –	09AEOPH4735D2ZF
आधार नं0 –	924998867779
मोबाइल नं0 –	9910372586

27.02.24
(इमरान अली)
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी

D:\Neeraj Mittal\Inspection report 2024.doc

romuzaffarnagar@uppcb.in Annexure-4 (15)
दूरभाष : 0131-2436493
क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6–बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर–251001 (उ०प्र०)

पत्रांक / Ref. No. 1249/वC-29/मु०नगर/2024 दिनांक / Dated 2-3-2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषय–मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० नं० 859/2022 ;आई.ए. नं० 632/2023, आई.ए. नं० 769/2023) अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में उद्योग मै० एस०के० कलैक्शन ग्राम शेरनगर मेरठ बाईपास रोड मुजफ्फरनगर, मै० ए०डब्लू०एफ० कलैक्शन ग्राम शेरनगर जानसठ रोड मुजफ्फरनगर तथा मै० चौधरी क्रियेशन्स ग्राम शेरनगर मेरठ बाईपास रोड मुजफ्फरनगर के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक एच07743/सी–3/जल–454/24 दिनांक 29.02.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या 1219/सी/एस–270/मु0नगर/2024 दिनांक 27.02.2024, पत्र संख्या 1220/सी/ए–147/मु0नगर/2024 दिनांक 27.02.2024 एवं पत्र संख्या 1221/सी/सी–29/मु0नगर/2024 दिनांक 27.02.2024 द्वारा क्रमशः उद्योग मै0 एस0के0 कलैक्शन ग्राम शेरनगर मेरठ बाईपास रोड मुजफ्फरनगर, मै0 ए0डब्लू0एफ0 कलैक्शन ग्राम शेरनगर जानसठ रोड मुजफ्फरनगर तथा मै0 चौधरी क्रियेशन्स ग्राम शेरनगर मेरठ बाईपास रोड मुजफ्फरनगर के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी थी। तत्क्रम में आपके पत्र दिनांक 29.02.2024 के अनुपालन में दिनांक 02.03.2024 को उपरोक्त वर्णित तीनों उद्योगों की उत्पादन प्रक्रिया को बन्द करा दिया गया है। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ एवं सीलिंग रिपोर्ट की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न है। अग्रेतर, दिनांक 27.02.2024 को निरीक्षण के दौरान लिये गये जल नमूनों की विश्लेषण आख्याएं पत्र के साथ संलग्न हैं। प्राप्त विश्लेषण आख्याओं के अनुसार तीनों उद्योगों के जल नमूनों में प्रदूषित प्रचालकों का मान बोर्ड मानकों से अधिक पाया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत् सन्दर्भित तीनों उद्योगों मै0 एस0के0 कलैक्शन ग्राम शेरनगर मेरठ बाईपास रोड मुजफ्फरनगर, मै0 ए0डब्लू0एफ0 कलैक्शन ग्राम शेरनगर जानसठ रोड मुजफ्फरनगर तथा मै0 चौधरी क्रियेशन्स ग्राम शेरनगर मेरठ बाईपास रोड मुजफ्फरनगर के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की पुनः संस्तुति की जाती है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

488/SE 04/3/2024

भवदीय,

(अंकित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

D/Neeraj Mittal/Letter 2024

(15)

REGIONAL LABORATORY MuzaffarNagar
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Kamal Cinema Building,Railway Road, Muzaffarnagar

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 25083660/MuzaffarNagar/2024

Date:02/03/2024

1- Name of Industry: AWF Collection;Village-Shermgar,Jansath Road;MZR, Village-Shernagar;Jansath Road
2- Address of Industry: Village-Shernagar;Jansath Road
3- District: Muzaffarnagar
4- Description about sampling point: Final Outlet discharge from outside the Premises of the Industry before confluence to Shernagar Nala (Local Drain B/C to Kookra Drain)
5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
6- Sample Collected By: (1)Imraan Ali; A.E.E (2)Maneesh Kumar; J.R.F
7- Colour and Odour: Light Blue(Appearance) Foul
8- Quantity and Packing: 2.0 Ltrs PVC
9- Date of Sample Collection: 27/02/2024
10- Analyis Indented by: RO MuzaffarNagar
11- Date of sample receipt in Lab: 27/02/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	6.40	6.5-8.5	02-12
Suspended Solids , APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	190	100	10-20000 mg/l
Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	1248	2100	10- 50000 mg/l
Total Solids, APHA 24th Ed.2540 B: 2023	mg/l	1438	Not Specified	10- 50000 mg/l
BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	198.0	30	1.0 -50000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	842	250	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules,1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: At the time of inspection industry found operational.

Analysed by-
|Diwakar Dev Gahlot(JRF), Ravish Pratap Singh(JRF)|

Authorized by

Ankit Singh (RO)

ANKIT SINGH Digitally signed by ANKIT SINGH Date: 2024.03.02 15:03:34 +05'30'

Regional Officer

(17)

उ० प्र० राज्य बोर्ड के पत्रांक- एच 7743/सी-3/मल-254/24 दिनांक-29/02/2024 द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन में आज दिनांक- 02/03/24 को इकाई मै० ए० डब्लू० एफ० कलैक्शन, ग्राम खेड़नगर, पानसठ रोड, मुजफ्फरनगर का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के समय इकाई संचालित पायी गयी। इकाई मे उत्पादन प्रक्रिया को बन्द कराते हुए इकाई प्रतिनिधि श्री हारून की उपस्थिति मे अधोहस्ताक्षर-कर्मियो द्वारा इकाई को सील कर दिया गया है।

सील किये गये संयंत्र निम्नवत् है -

(1) 09 डाईंग मशीन

(2) 03 बोल

हि०

Sd/- 02/03/2024
रवीश प्रतापसिंह
जे० आर० एफ०
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मु०न०

Sd/- 02/03/24
दिवाकर देव गहलौत
जे० आर० एफ०
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मु०न०

Sd/-

उद्योग प्रतिनिधि:-

हारून
2/3/24

Annexure-5 (18)

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० नं० 859/2022 (आई.ए. नं० 632/2023, आई.ए. नं० 769/2023) अभिष्ट कुसुम गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में उद्योग मै० ए०डब्लू०एफ० कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर व उसके उत्तरदायी के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव।

मै० ए०डब्लू०एफ० कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर एक उद्योग है, जोकि जल अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है, जिसके विरूद्ध उक्त अधिनियम में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने के कारण क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या 1220/C/A-147/मु०नगर/2024 दिनांक 27.02.2024 एवं 1249/C/C-29/मु०नगर/2024 दिनांक 02.03.2024 के माध्यम से उक्त उद्योग के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

मा० एन०जी०टी० में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं:–

24. In these circumstances, we direct Member Secretary, UPPCB forthwith to initiate or get initiated criminal prosecution by lodging criminal complaint in appropriate court for committing offence under Section 43 read with Section 24 of Water Act, 1974 against the Officers-in-Charge of Municipal Corporations/Municipal Bodies of Saharanpur, Muzaffarnagar, Shamli, Meerut, Baghpat, Ghaziabad and Gautam Budh Nagar and also initiate criminal prosecution against industries which are discharging polluting materials in the river.

25. Besides, State Ppllution Control Board and its authorities shall take immediate action for closure of the industrial and other establishments, which are discharging polluted matter in river Hindon and shall also proceed to assess and finalize aequate Enviromental Compensation in view of the principles laid down by Supreme Court in M.C. Mehta, (1987) 1 SCC 395, Sterlite (2013) 4 SCC 575; Goel Ganga (2018) 18 SCC 257; Goa Foundation v Union of India & Ors. (2014) 6 SCC 590 and Common Cause Vs. UOI & Ors., (2017) 9 SCC 499 and take steps for recovery of the same.

उद्योग मै० ए०डब्लू०एफ० कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर का पूर्व में दिनांक 29.03.2023 को क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरनगर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया था। तत्समय निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया था। उद्योग राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना स्थापित/संचालित पाया गया था। उद्योग में व्हाइट/ग्रे जींस की डाइंग एवं वॉशिंग से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी थी। तत्क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय की संस्तुति के आधार पर उद्योग के विरूद्ध राज्य बोर्ड के पत्रांक एच92835/सी–3/जल–456/मु०नगर/2023 दिनांक 28.04.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये गये थे, जिसके अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा उद्योग परिसर में स्थापित डाइंग मशीन, वॉशिंग मशीन आदि को दिनांक 29.04.2023 को सील कर दिया गया था। उद्योग के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश वर्तमान में भी प्रभावी है।

मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से हिण्डन नदी एवं सहायक नदी काली नदी पश्चिमी में गिरने वाले धन्धेडा नाले के माध्यम से उत्प्रवाह निस्तारित कर रहे उद्योग मै० ए०डब्लू०एफ० कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर का निरीक्षण दिनांक 27.02.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरनगर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग राज्य बोर्ड से जारी बन्दी आदेशों का उल्लंघन कर संचालित पाया गया तथा बोर्ड द्वारा उद्योग के विरूद्ध जारी बन्दी आदेशों के अनुपालन में लगाई गयी सील नहीं पायी गयी, जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा बोर्ड द्वारा लगाई गई सील को तोड़कर उद्योग का अवैध रूप से संचालन किया जा रहा है। निरीक्षण के समय उद्योग से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी तथा प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह बिना शुद्धिकृत किये सीधे धन्धेड़ा नाले में प्रवाहित किया जाता पाया गया। उद्योग द्वारा निस्तारित किये जा रहे उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरनगर की प्रयोगशाला में जमा कराया गया। संलग्न विश्लेषण आख्या के अनुसार प्रदूषित प्राचालक BOD=198 mg/l, COD=842 mg/l, SS=190 mg/l पायी गयी, जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश दिनांक 28.04.2023 का उल्लंघन करते हुए धन्धेडा नाले में मानकों के विपरीत उत्प्रवाह निस्तारित किया जा रहा है, जो काली नदी पश्चिमी में मिलता है, जिससे काली नदी पश्चिमी की जल गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित होना स्वाभाविक है। काली नदी अन्ततः हिण्डन नदी में मिलती है, जिस कारण हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता भी विपरीत रूप से प्रभावित होना स्वाभाविक है।

क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में उद्योग मै० ए०डब्लू०एफ० कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर

(13)

के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के सुसंगत धारा के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत उद्योग मै0 ए0डब्लू0एफ0 कलैक्शन, ग्राम शेरनगर, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर व उसके दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिये उत्तरदायी व्यक्ति श्री हारून चौधरी पुत्र श्री मेहरबान अली, निवासी ग्राम व पोस्ट तावली, थाना शाहपुर, जिला मुजफ्फरनगर, आधार नं0–924998867779, मोबाइल नं0–9910372586, जीएसटी नं0– 09AEOPH4735D2ZF, के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 43 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर किये जाने हेतु अभियोजनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।

11/3/2024 11/3

पर्यावरण अभियंता (वृत्त–3)/मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)

सदस्य सचिव/अध्यक्ष महोदय

11/3

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ

(मनोज सिंह)
अध्यक्ष
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ

(20)

दिनांक–23.12.81 को सम्पन्न बोर्ड की 16वीं बैठक की जारी सूची सं0–16.04 पर प्रस्तुत प्रस्ताव एवं उस पर लिया गया निर्णयः–

विषय–बोर्ड के विधि अधिकारी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, अथवा सहायक पर्यावरण अभियंता को न्यायालय में बोर्ड की ओर से वाद प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत करना।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के विभिन्न प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में औद्योगिक एवं स्थानीय निकायों के विरूद्व बोर्ड द्वारा अभियोजनात्मक कार्यवाही करनी पड़ती है। जिसके लिए कभी–कभी यह आवश्यक हो जाता है कि वादी स्वयं न्यायालय में उपस्थित रहे। अब तक विभिन्न वादों में सदस्य सचिव भी वादी की हैसियत से वाद दायर करते रहे हैं। इस कारण सदस्य सचिव को कई बार न्यायालय में उपस्थित रहना पड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप बोर्ड के दिन प्रतिदिन के आवश्यक कार्यों में व्यवधान पड़ा है।

उपरोक्त वर्णित कारणों एवं स्थानीय सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रस्ताव है कि बोर्ड के विधि अधिकारी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सहायक वैज्ञानिक अधिकारी अथवा सहायक पर्यावरण अभियंता जिसको भी सदस्य–सचिव नामित करें। बोर्ड की ओर से दायर किए जाने वाले मुकदमों में वाद दायर करने के लिए अधिकृत किया जाये।

इस प्रकार की कार्यवाही से अभियोजनात्मक कार्यवाही अधिक प्रभावी होगी तथा बोर्ड आवश्यक प्रशासनिक उच्च स्तरीय कार्यकलापों में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ेगा।

<u>निर्णय</u>

बोर्ड की ओर से न्यायालय में वाद प्रस्तुत किए जाने हेतु विधि अधिकारी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी तथा सहायक पर्यावरण अभियंता को बोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि मुकदमा उसी अधिकारी द्वारा दायर किया जाएगा जिसको सदस्य–सचिव नामित करेंगे।

Annexure-6

(21)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. :

Date : 29/04/24

BEFORE THE COURT OF SPECIAL JUDICIAL MAGISTRATE, (Water & Air Pollution Control), Ist Class, Lucknow

Complaint Case No. of 2024

Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow

.......Complainant

Versus

M/s A. W. F. Collection, Village-Shernagar, Jansath Road, Muzaffarnagar through its Proprietor and another

......Opposite Parties

AUTHORIZATION

Hon'ble Sir,

As per the resolution of the State Board Sri Imran Ali, Assistant Environment Engineer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow is hereby nominated/authorized to file this complaint under Section-43 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 against M/s A. W. F. Collection, Village-Shernagar, Jansath Road, Muzaffarnagar through its Proprietor and another on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board, T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar Lucknow.

Sk
(Sanjeev Kumar Singh)
Member Secretary

The signature of Sri Imran Ali is hereby attested.

(Imran Ali)

Sk
(Sanjeev Kumar Singh)
Member Secretary

टी.सी.- 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831,
Fax : 0522-2720764, 2720676
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

WS/48173/2024
UPLK040481742024

BEFORE THE COURT OF SPECIAL JUDICIAL MAGISTRATE (WATER AND AIR POLLUTION CONTROL), LUCKNOW

Complaint Case No. of 2024

Uttar Pradesh Pollution Control Board, T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow through its Assistant Environmental Engineer, Sri Yogesh Kumar Mishra

......Complainant

Versus

1) **M/s Nagar Palika Parishad, Sardhana, Meerut through its Executive Officer**

2) **Smt. Sashiprabha Chaudhary D/o Shri Shiv Prasad Chaudhary R/o Village-Hatwa Shukla, District-Basti, Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Sardhana, Meerut**

......Opp. Parties

COMPLAINT UNDER SECTION 43 OF THE WATER (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1974

Sir,

The complainant, Uttar Pradesh Pollution Control Board, herein after referred as Complainant Board, most respectfully showeth as under;

1) That the complainant is the State Board constituted by the Government of Uttar Pradesh vide LSG-Section-4 G.O. No.-897/Ix-4-100-74 dated 03.02.1975 in accordance to the provisions of Section-4(1) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (herein after referred as Act, 1974) for the prevention and control of pollution regarding Water, Air and Environmental Pollutions which has been named as Uttar Pradesh Pollution Control Board vide Notification No.-2179/9-02-100-74 dated 13.07.1982.

2

2) That the M/s Nagar Palika Parishad, Sardhana, Meerut is a body corporate under Section-4 of the U. P. Municipal Corporation Adhiniyam, 1959 and is a company within the meaning of Section-47 of the Act, 1974, hereinafter referred as Unit, which has been discharging knowingly its untreated noxious and polluted sewage through drains into the River which is a "Stream" defined in Section-2(J) of the Act, 1974 which is an offence under Section-43 of the Act, 1974.

3) That the opp. party no.-1 has continuously discharging the sewage and untreated effluents without establishing any Sewage Treatment Plant, hereinafter referred as STP, which comes under the definition of "sewage effluents" within the meaning of Section-2(g) of the Act, 1974.

4) That according to the Section-24 of the Act, 1974 there is prohibition on use of stream or well for disposal of polluting matter, etc. The Section-24(1) of the Act, 1974 is quoted below;

Section-24(1) - Subject to the provisions of this section-

a) no person shall knowingly cause or permit any poisonous, noxious or polluting matter determined in accordance with such standards as may be laid down by the State Board to enter (whether directly or indirectly) into any stream or well or sewer or on land

b) no person shall knowingly cause or permit to enter into any stream any other matter which may tend, either directly or in combination with similar matters, to impede the proper flow of the water of the stream in a manner leading or likely to lead to a substantial aggravation of pollution due to other causes or of its consequences.

5) That the opposite party no.-1 was inspected by the officials of the complainant Board on 24.01.2022 and 28.02.2022 in presence of the opposite party no.-2. During the inspection it is found that the domestic waste is been discharged in the drain without STP and discharging domestic sewage and untreated dairy effluent into the Sardhana Drain which finally meets into the River Hindon.

6) That in pursuance to the abovementioned respective inspections the complainant Board has issued a direction on 28.04.2022, under Section-24 of the Act, 1974, to the Executive Officer, M/s Nagar Palika Parishad, Sardhana, Meerut. Further, the letter issued by the Regional Officer clearly states the opposite parties have neither complied the directions passed by the Hon'ble NGT nor provisions. A copy of the letter no.-H74928/C-3/lk0270/2022 dated 28.04.2022 is being annexed herewith as **Annexure-1** to this complaint.

7) That the site of the project in question has again been inspected on 21.04.2023 by the officials of the complainant Board after giving Notice of Inspection and collected the sample of effluent from the final outlet of STP. The Notice of Inspection dated 21.04.2023 is being annexed herewith as **Annexure-2** to this complaint.

8) That after collecting the sample, in presence of the opposite party no.-2, analyzed the same in laboratory authorized by the complainant Board. The report of analysis shows that the sewage effluent discharged by the project is beyond the standard laid down by the complainant Board as such the project has committed the breach of the provisions of Section-24 of the Act, 1974. The copy of the Analysis Reports dated 24.04.2023 is being annexed herewith as **Annexure-3** to this complaint, respectively.

9) That in light and in compliance to the order dated 15.12.2023 passed by the learned National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No.-859/2022, Abhisht Kusum Gupta versus State of UP and ors., the officials of the State Board again inspected the unit in question on 21.02.2024 in pursuance to the analysis reports of the samples and collect the water sample of the drain prior to meet into Sardhana drain. The Inspection Report dated 21.02.2024 is being annexed herewith as **Annexure-4** to this complaint.

10) That on several different dates the unit is being inspected by the officials of the complainant Board and the sample has been duly

collected and sent to the authorized laboratory of the complainant Board. The copies of the Analysis Report are collectively being annexed herewith as **Annexure-5** to this complaint.

11) That the opp. party no.-2, Smt. Shashiprabha Chaudhary, is the responsible person of the unit and in-charge of day to day business of the said unit and responsible for the conduct of business of the said unit hence are liable to proceed against in violation of the provisions of Section-20 of the Act, 1974.

12) That opp. party nos. 1 and 2 has committed the offence under Section-43 of the Act, 1974. The offence is committed continuously against the society at large, animals and aquatic life in particular, because of their personal monetary gain. That the accused/opp. party no.-2 is the brain and nerve centre of the accused/opp. party no.-1 and conducting day to day business of the unit which has been discharging it's sewage effluents into the stream, hence are liable to be proceed against under Section-43 read with Section-47 of the Act, 1974.

13) That the provisions of the Section-47(i) of the aforesaid Act, 1974, not only the company but every person who, at the time of offence was committed, was in-charge of and responsible to the company for conduct of the business is also liable and responsible for the commission of the said offence.

14) That the Competent Authority on 11.03.2024 has taken decision to file this complaint against all the opp. parties before this Hon'ble Court. The resolution dated 11.03.2024 is being annexed herewith as **Annexure-6** to this complaint.

15) That the complainant Board has authorized its officer to file the complaint on its behalf and Sri Yogesh Kumar Mishra, Assistant Environmental Engineer has been nominated to file this complaint against the Opp. Parties. A copy of the authorization is being annexed herewith as **Annexure-7** to this complaint.

PRAYER

Therefore, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may very kindly and graciously be please to take cognizance of the offence and summon the accused/opp. party nos. 1 and 2 and punish them in accordance with law under Section-43 of the Act, 1974. Any such other order which this Hon'ble Court may deem just and proper in the circumstances may also by pass in the interest of the justice.

Complainant

Lucknow

Dated: 30-04-2024

(Yogesh Kumar Mishra)
Assistant Environmental Engineer
U. P. Pollution Control Board

List of Witnesses:

1) Shri Atulesh Yadav, Chief Environmental Officer, Circle-3, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow.
2) Shri Bhuwan Prakash Yadav, Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Meerut.
3) Shri Prakhar Kumar, Environmental Engineer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Meerut.
4) Sri Bhanu Prakash, Laboratory Assistant, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Meerut.
5) Any other official who may be available at the time of trial.

Complainant

Annexure-1

e-mail send (6)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सन्दर्भ संख्या- H74928 / 10-1 / सा० 2-70/22 दिनांक 28-4-22

सेवा में,

पंजीकृत

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद सरधना,
जनपद-मेरठ।

विषय-सरधना ड्रेन की सफाई एवं स्थानीय निकाय सरधना के क्षेत्रान्तर्गत संचालित डेयरी उद्योग (भैंस पालन) को शहर के बाहर विस्थापित कराये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 33 ए के अन्तर्गत निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत हैं कि आपके स्थानीय निकाय से जनित उत्प्रवाह नालों एवं नालियों के माध्यम से अन्ततः सरधना ड्रेन में निस्तारित किया जाता है। सरधना ड्रेन अन्ततः लगभग 25 कि०मी० की दूरी तय कर हिण्डन नदी में मिलती है। एन०एम०सी०जी० द्वारा थर्ड पार्टी निरीक्षणों के दौरान सरधना ड्रेन में पाल्यूशन लोड अधिक पाये जाने की सूचना दी जाती है। दिनॉक 24.01.2022 को क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ के प्राधिकृत अधिकारियों एवं दिनांक 28.02.2022 को क्षेत्रीय अधिकारी, मेरठ तथा बोर्ड मुख्यालय के मुख्य पर्यावरण अधिकारी द्वारा सरधना ड्रेन का निरीक्षण किया गया एवं पाया गया कि नगर पालिका परिषद सरधना के क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न नालों एवं नालियों के माध्यम से घरेलू जलमल एवं डेयरी से जनित उत्प्रवाह (गोबर की स्लरी) का निस्तारण सरधना ड्रेन में किया जाता है। आप द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार सरधना शहर के अन्तर्गत लगभग 130 डेयरी उद्योग स्थापित हैं जिनके द्वारा जनित अत्यधिक मात्रा में गोबर युक्त अशुद्धिकृत उत्प्रवाह का निस्तारण नालों के माध्यम से सरधना ड्रेन में किया जाता है। गोबर युक्त उत्प्रवाह के सरधना ड्रेन में प्रवाहित होने से सरधना ड्रेन की सतह पर गोबर युक्त स्लज एकत्रित पायी गयी, जिससे नाले में एनएरोबिक कन्डीशन की स्थिति व्याप्त है। निरीक्षण के दौरान सरधना ड्रेन के एकत्रित उत्प्रवाह नमूने में बी०ओ०डी० एवं सी०ओ०डी० की मात्रा निर्धारित मानकों से अत्यधिक पायी गयी। उक्त स्थिति अत्यन्त खेदजनक है। पूर्व में भी क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ द्वारा आपको सरधना ड्रेन की जलगुणता मेन्टेन किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं, जिसका अनुपालन नहीं किया जाता पाया गया।

अग्रेतर आप अवगत हैं कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं० 46/2018 नुग्गे हल्ली जय सिन्हा बनाम् गवर्नमेंट आफ एन०सी०टी० आफ दिल्ली में डेयरियों के संचालन एवं उनसे उत्पन्न सालिड वेस्ट के निस्तारण के संबंध में दिनॉक 24.01.2020 को निर्देश पारित किये गये, जिनके अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा डेयरी फार्मस एवं गौशाला के सम्बन्ध में गाइडलाइन बनायी गयी है। उक्त गाइडलाइन का अनुपालन किये जाने हेतु भी आपको क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है, जिस पर कार्यवाही आपके स्तर से अपेक्षित है। मा० एन०जी०टी० में विचाराधीन ओ०ए० नं० 66/2014 एवं 231/2015 दोआबा पर्यावरण समिति बनाम् उ०प्र० राज्य एवं अन्य में हिण्डन नदी में हो रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में समय-समय पर आदेश पारित किये गये हैं, जिसके अन्तर्गत हिण्डन नदी में मिलने वाले नालों के उत्प्रवाह को शुद्धिकृत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

..................2/-

टी०सी०-12,वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010

(7)

(2)

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में सरधना ड्रेन व हिण्डन नदी की जलगुणता में आवश्यक सुधार एवं उक्त संबंध में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अनुपालन किये जाने हेतु नगर पालिका परिषद सरधना, मेरठ के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 33 ए के अन्तर्गत निम्नवत् निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं:–

1– नगर पालिका परिषद सरधना के क्षेत्रान्तर्गत जनित घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु समुचित क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट की स्थापना किया जाना सुनिश्चित करें तथा सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट की स्थापना संबंधी प्रस्ताव सहित समयबद्ध कार्यक्रम 15 दिवसों में बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

2– नगर पालिका परिषद सरधना के क्षेत्रान्तर्गत स्थित सभी डेयरी उद्योगों (भैंस पालन) को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:

1. जिलाधिकारी, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि नगर पालिका परिषद सरधना, मेरठ से उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव

O/C by Ranjan

(7) (8)

Annexure-2

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
T.C.-12 V, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW

Notice of Inspection
See Rule-5(2)

MEMBER SECRETARY

To,

Executive officer
Nagar Palika Parishad, Sardhana
Meerut.

Take Notice that for the purpose enquiry under section-33 of Water (Pollution Prevention & Control) Act, 1974 & it's amended the following officers of the Board namely :-

1- Shri Prakhar Kumar, EE, UPPCB, Meerut

And the person authorized by the Board to assist them shall inspect the any other parts there of or pertaining there to under management/control of date 21.04.2023 ....between 12:35 PM to 5:00 PM hours when all facilities legitimately required for the purpose by them for such inspection should be made available to them on the site. Take Notice that refusal or denial to above state demand made under the function of the State Board shall amount to obstruction punishable under section-42 of the Act.

MEMBER SECRETARY
Member Secretary
UP Pollution Control Board

Copy to :-

21/04/23

Scanned with OKEN Scanner

REGIONAL OFFICE
U.P. POLLUTON CONTROL BOARD
MEERUT
ANALYSIS REPORT

S.N.	Sampling Point	Date of Sampling	Colour (Hazen)	pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	TSS (mg/l)	Total Coliform (MPN/100 ml)
1	Sardhna Drain, Kalina, Meerut	10-04-23	80	7.52	232	654	324	210000

JRF

JRF

AO(C)

Annexure -3

(10)

REGIONAL OFFICE
U.P. POLLUTON CONTROL BOARD
MEERUT
ANALYSIS REPORT

S.N.	Sampling Point	Date of Sampling	Colour (Hazen)	pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	TSS (mg/l)	Total Coliform (MPN/100 ml)
1	Sardhna Drain, Kalina, Meerut	24-04-23	75	7.76	246	612	376	250000

JRF

JRF

MO(C)

Annexure-4 (11)

नगर पालिका परिषद, सरधना, मेरठ की मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 के अनुपालन में निरीक्षण आख्या।

कृपया मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं:–

"......23. Since, cognizance of offence can be taken in the manner as prescribed under Section 49 (1) of Water Act, 1974 and we are satisfied that neither local bodies for discharging sewage through drains in rivers have taken effective steps for prevention of discharge of polluted effluents and sewage into river but even industries are also continuously doing same but no effective steps have been taken against them.

24. In these circumstances, we direct Member Secretary, UPPCB forthwith to initiate or get initiated criminal prosecution by lodging criminal complaint in appropriate court for committing offence under Section 43 read with Section 24 of Water Act, 1974 against the Officersin-Charge of Municipal Corporations/Municipal Bodies of Saharanpur, Muzuffarnagar, Shamli, Meerut, Baghpat, Ghaziabad and Gautam Budh Nagar and also initiate criminal prosecution against industries which are discharging polluting materials in the river......."

उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से जनपद मेरठ हिण्डन नदी में गिरने वाले सरधना नाले का निरीक्षण विभिन्न तिथियों में किया गया। निरीक्षण के समय सरधना हिण्डन नदी में मिलने से पूर्व का नमूना एकत्रण कर क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा कराया गया। क्षेत्रीय प्रयोगशाला से प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार नाले में जल गुणवत्ता का विवरण निम्नवत् है:–

S. No.	Name of Drain	Date of Sample	pH	BOD mg/l	COD mg/l	TSS mg/l	Fecal Coliform	Total Coliform
1.	Sardhana Drain	12-02-2024	7.71	258	496	412	170000	210000
		15-01-2024	7.62	272	496	365	110000	140000
		26-12-2023	7.74	256	476	384	160000	210000

निरीक्षण के समय हिण्डन नदी के डाउनस्ट्रीम ग्राम कलीना से जल नमूने दिनांक– 15/01/2024, 12/12/2024 एवं 23/11/2024 को एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला मेरठ में जमा कराये गये। प्राप्त विश्लेषण आख्याओं के अनुसार नमूनों में प्रदूषित प्रचालकों का मान निम्नवत् पाया गया :–

S. No.	Name of River	Date of Sample	pH	BOD mg/l	COD mg/l	TSS mg/l	Fecal Coliform	Total Coliform
1.	River Hindon(D/S)	15-01-2024	7.61	52	264	320	100000	140000
		15-12-2023	7.62	54	268	324	130000	170000
		23-11-2023	7.67	52	272	308	120000	160000

हिण्डन नदी का डाउनस्ट्रीम उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सरधना, नगर पालिका परिषद् क्षेत्र के अन्तर्गत जनित होने वाले घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण उक्त सरधना नाले के माध्यम से बिना किसी पर्याप्त शोधित व्यवस्था स्थापित किये निस्तारित किया जा रहा है, जोकि अन्ततः हिण्डन नदी मे मिलता है, जिसके कारण हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उक्त ड्रेन नगर

कृ0प0उ0

(12)

-2-

पालिका परिषद सरधना के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है तथा उक्त ड्रेन अन्टेप्ड है। नगर पालिका परिषद सरधना के क्षेत्रान्तर्गत प्रवाहित होने वाली ड्रेन के उत्तरदायी संस्था/व्यक्ति का नाम, पदनाम व पता निम्नवत् है:-

क0सं0	विभाग का नाम	सम्बन्धित अधिकारी का नाम	सम्बन्धित अधिकारी का पता	सम्बन्धित अधिकारी का पदनाम
1	नगर पालिका परिषद, सरधना, मेरठ	श्रीमती शशिप्रभा चौधरी	नगर पालिका परिषद, सरधना	अधिशासी अधिकारी

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, मेरठ द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सरधना के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

21/2/24

(प्रखर कुमार)
पर्या0अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी

21/2/24

Annexure-5 (13)

REGIONAL OFFICE
U.P.POLLUTON CONTROL BOARD
MEERUT
ANALYSIS REPORT

S.N.	Sampling Point	Date of Sampling	pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	TSS (mg/l)	Fecal Coliform (MPN/100ml)	Total Coliform (MPN/100 ml)
1	Sardhana Drain	12.02.2024	7.71	258	496	412	170000	210000

LA

JRF

Regional Officer

REGIONAL OFFICE
U.P.POLLUTON CONTROL BOARD
MEERUT
ANALYSIS REPORT

S.N.	Sampling Point	Date of Sampling	pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	TSS (mg/l)	Fecal Coliform (MPN/100ml)	Total Coliform (MPN/100 ml)
1	Sardhana Drain	15.01.2024	7.62	272	496	365	110000	140000

LA

JRF

Regional Officer

(14)

REGIONAL OFFICE
U.P.POLLUTON CONTROL BOARD
MEERUT
ANALYSIS REPORT

S.N.	Sampling Point	Date of Sampling	pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	TSS (mg/l)	Fecal Coliform (MPN/100ml)	Total Coliform (MPN/100 ml)
1	River Hindon D/S	15.01.2024	7.61	52	264	320	100000	140000

LA

JRF

Regional Officer

(15)

(16)

REGIONAL OFFICE
U.P.POLLUTON CONTROL BOARD
MEERUT
ANALYSIS REPORT

S.N.	Sampling Point	Date of Sampling	pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	TSS (mg/l)	Fecal Coliform (MPN/100ml)	Total Coliform (MPN/100 ml)
1	Sardhana Drain	26.12.2023	7.74	256	476	384	160000	210000

LA

JRF

Regional Officer

REGIONAL OFFICE
U.P.POLLUTON CONTROL BOARD
MEERUT
ANALYSIS REPORT

S.N.	Sampling Point	Date of Sampling	pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	TSS (mg/l)	Fecal Coliform (MPN/100ml)	Total Coliform (MPN/100 ml)
1	River Hindon D/S	15.12.2023	7.62	54	268	324	130000	170000

LA

JRF

Regional Officer

(17)

(18)

REGIONAL OFFICE
U.P.POLLUTON CONTROL BOARD
MEERUT
ANALYSIS REPORT

S.N.	Sampling Point	Date of Sampling	pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	TSS (mg/l)	Fecal Coliform (MPN/100ml)	Total Coliform (MPN/100 ml)
1	River Hindon D/S	23.11.2023	7.67	52	272	308	120000	160000

LA

JRF

Regional Officer

Annexure-6

(19)

नगर पालिका परिषद्, सरधना, मेरठ एवं उसके उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 43 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव।

नगर पालिका परिषद्, सरधना, मेरठ एक शासकीय संस्था है, जोकि जल अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है, जिसके विरूद्ध उक्त अधिनियम में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने के कारण क्षेत्रीय अधिकारी, मेरठ के पत्र संख्या 1356/G/OA-859/Abhiesht Kusum/2024 दिनांक 21.02.2024 के माध्यम से उक्त संस्था के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं:–

"......23. Since, cognizance of offence can be taken in the manner as prescribed under Section 49 (1) of Water Act, 1974 and we are satisfied that neither local bodies for discharging sewage through drains in rivers have taken effective steps for prevention of discharge of polluted effluents and sewage into river but even industries are also continuously doing same but no effective steps have been taken against them.

24. In these circumstances, we direct Member Secretary, UPPCB forthwith to initiate or get initiated criminal prosecution by lodging criminal complaint in appropriate court for committing offence under Section 43 read with Section 24 of Water Act, 1974 against the Officersin-Charge of Municipal Corporations/Municipal Bodies of Saharanpur, Muzuffarnagar, Shamli, Meerut, Baghpat, Ghaziabad and Gautam Budh Nagar and also initiate criminal prosecution against industries which are discharging polluting materials in the river......."

उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से जनपद मेरठ हिण्डन नदी में गिरने वाले सरधना नाले का निरीक्षण विभिन्न तिथियों में किया गया। निरीक्षण के समय सरधना हिण्डन नदी में मिलने से पूर्व का नमूना एकत्रण कर क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा कराया गया। क्षेत्रीय प्रयोगशाला से प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार नाले में जल गुणवत्ता का विवरण निम्नवत् है:–

S. No.	Name of Drain	Date of Sample	pH	BOD mg/l	COD mg/l	TSS mg/l	Fecal Coliform	Total Coliform
1.	Sardhana Drain	12-02-2024	7.71	258	496	412	170000	210000
		15-01-2024	7.62	272	496	365	110000	140000
		26-12-2023	7.74	256	476	384	160000	210000

निरीक्षण के समय हिण्डन नदी के डाउनस्ट्रीम ग्राम कलीना से जल नमूने दिनांक– 15/01/2024, 12/12/2024 एवं 23/11/2024 को एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला मेरठ में जमा कराये गये। प्राप्त विश्लेषण आख्याओं के अनुसार नमूनों में प्रदूषित प्रचालकों का मान निम्नवत् पाया गया :–

S. No.	Name of River	Date of Sample	pH	BOD mg/l	COD mg/l	TSS mg/l	Fecal Coliform	Total Coliform
1.	River Hindon(D/S)	15-01-2024	7.61	52	264	320	100000	140000
		15-12-2023	7.62	54	268	324	130000	170000
		23-11-2023	7.67	52	272	308	120000	160000

निरीक्षण के समय हिण्डन नदी का डाउनस्ट्रीम उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सरधना, नगर पालिका परिषद् क्षेत्र के अन्तर्गत जनित होने वाले घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण उक्त सरधना नाले के माध्यम से बिना किसी पर्याप्त शोधित व्यवस्था स्थापित किये निस्तारित किया जा रहा है, जोकि अन्ततः हिण्डन नदी मे मिलता है, जिसके कारण हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उक्त ड्रेन नगर पालिका परिषद सरधना के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है तथा उक्त ड्रेन अन्टेप्ड है। नगर पालिका परिषद सरधना के क्षेत्रान्तर्गत प्रवाहित होने वाली ड्रेन के उत्तरदायी संस्था/व्यक्ति का नाम, पदनाम व पता निम्नवत् है:–

क्र0सं0	विभाग का नाम	सम्बन्धित अधिकारी का नाम	सम्बन्धित अधिकारी का पता	सम्बन्धित अधिकारी का पदनाम
1	नगर पालिका परिषद्, सरधना, मेरठ	श्रीमती शशिप्रभा चौधरी	नगर पालिका परिषद्, सरधना	अधिशासी अधिकारी

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, मेरठ द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, सरधना, मेरठ के

विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के सुसंगत धारा के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत मैसर्स नगर पालिका परिषद्, सरधना, मेरठ एवं उसके दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिये उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती शशिप्रभा चौधरी, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, सरधना, मेरठ के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 43 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर किये जाने हेतु अभियोजनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।

11/3/2024

11/3

पर्यावरण अभियंता (वृत्त–3)/मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)

सदस्य सचिव/अध्यक्ष महोदय

11/3

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ

(मनोज सिंह)
अध्यक्ष
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ

(21)

दिनांक–23.12.81 को सम्पन्न बोर्ड की 10वीं बैठक की जारी सूची सं0–16.04 पर प्रस्तुत प्रस्ताव एवं उस पर लिया गया निर्णयः–

विषय–बोर्ड के विधि अधिकारी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, अथवा सहायक पर्यावरण अभियंता को न्यायालय में बोर्ड की ओर से वाद प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत करना।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के विभिन्न प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में औद्योगिक एवं स्थानीय निकायों के विरूद्ध बोर्ड द्वारा अभियोजनात्मक कार्यवाही करनी पड़ती है। जिसके लिए कभी–कभी यह आवश्यक हो जाता है कि वादी स्वयं न्यायालय में उपस्थित रहे। अब तक विभिन्न वादों में सदस्य सचिव भी वादी की हैसियत से वाद दायर करते रहे हैं। इस कारण सदस्य सचिव को कई बार न्यायालय में उपस्थित रहना पड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप बोर्ड के दिन प्रतिदिन के आवश्यक कार्यों में व्यवधान पड़ा है।

उपरोक्त वर्णित कारणों एवं स्थानीय सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रस्ताव है कि बोर्ड के विधि अधिकारी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सहायक वैज्ञानिक अधिकारी अथवा सहायक पर्यावरण अभियंता जिसको भी सदस्य–सचिव नामित करें। बोर्ड की ओर से दायर किए जाने वाले मुकदमों में वाद दायर करने के लिए अधिकृत किया जाये।

इस प्रकार की कार्यवाही से अभियोजनात्मक कार्यवाही अधिक प्रभावी होगी तथा बोर्ड आवश्यक प्रशासनिक उच्च स्तरीय कार्यकलापों में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ेगा।

निर्णय

बोर्ड की ओर से न्यायालय में वाद प्रस्तुत किए जाने हेतु विधि अधिकारी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी तथा सहायक पर्यावरण अभियंता को बोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि मुकदमा उसी अधिकारी द्वारा दायर किया जाएगा जिसको सदस्य–सचिव नामित करेंगे।

Annexure-7 (22)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. :

Date : 29/4/24

BEFORE THE COURT OF SPECIAL JUDICIAL MAGISTRATE, (Water & Air Pollution Control), Ist Class, Lucknow

Complaint Case No. of 2024

Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow

.......Complainant

Versus

M/s Nagar Palika Parishad, Sardhana, Meerut through its Executive Officer and another

......Opposite Parties

AUTHORIZATION

Hon'ble Sir,

As per the resolution of the State Board Sri Yogesh Kumar Mishra, Assistant Environment Engineer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow is hereby nominated/authorized to file this complaint under Section-43 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 against M/s Nagar Palika Parishad, Sardhana, Meerut through its Executive Officer and another on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board, T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar Lucknow.

(Sanjeev Kumar Singh)
Member Secretary

The signature of Sri Yogesh Kumar Mishra is hereby attested.

(Yogesh Kumar Mishra)

(Sanjeev Kumar Singh)
Member Secretary

टी.सी.- 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ – 226 010
दूरभाष : 0522–2720828, 2720831
फैक्स : 0522–2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow – 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831,
Fax : 0522-2720764, 2720676
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

पहचान पत्र सं0 : 539

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(उ.प्र. सरकार का उपक्रम)

नाम : योगेश कुमार मिश्रा
पिता/पति : श्री शिव प्रसाद मिश्रा
पदनाम : सहायक पर्यावरण अभियन्ता
जन्मतिथि : 31.12.1976
रक्त समूह : O+
मोबाइल : 7839891874
निवास : 108, शीलकुंज कॉलोनी, पल्लवपुरम, मेरठ, उ0प्र0

इमरजेन्सी सम्पर्क नं0 : 9450630623, 9936760700

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रश.)

निर्देश

1. यह कार्ड कर्मचारी /अधिकारी के बोर्ड में कार्यरत रहते तक मान्य है।
2. इस कार्ड के खो जाने पर फोटो की प्रति एवं निर्धारित शुल्क जमा करने पर दूसरा कार्ड जारी किया जायेगा।

हस्ताक्षर

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टी.सी. 12-वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010
फोन : 0522-2720828, 2720831

cws/48156/2024
UPLK040481572024

BEFORE THE COURT OF SPECIAL JUDICIAL MAGISTRATE (WATER AND AIR POLLUTION CONTROL), LUCKNOW

Complaint Case No. of 2024

Uttar Pradesh Pollution Control Board, T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow through its Assistant Environmental Engineer, Shri Anshul Sharma presently posted at Regional Office, Ghaziabad

......Complainant

Versus

1) M/s Nagar Palika Parishad, Loni, Ghaziabad through its Executive Officer

2) Shri Krishnakant Mishra, Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Loni, Ghaziabad

......Opp. Parties

COMPLAINT UNDER SECTION 43 OF THE WATER (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1974

Sir,

The complainant, Uttar Pradesh Pollution Control Board, herein after referred as Complainant Board, most respectfully showeth as under;

1) That the complainant is the State Board constituted by the Government of Uttar Pradesh vide LSG-Section-4 G.O. No.-897/ix-4-100-74 dated 03.02.1975 in accordance to the provisions of Section-4(1) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (herein after referred as Act, 1974) for the prevention and control of pollution regarding Water, Air and Environmental Pollutions which has been named as Uttar Pradesh Pollution Control Board vide Notification No.-2179/9-02-100-74 dated 13.07.1982.

2) That the M/s Nagar Palika Parishad, Loni, Ghaziabad is a body corporate under Section-4 of the U. P. Municipal Corporation Adhiniyam, 1959 and is a company within the meaning of Section-47 of the Act, 1974, hereinafter referred as Unit, which has been discharging knowingly its untreated noxious and polluted sewage through drains into the River which is a "Stream" defined in Section-2(J) of the Act, 1974 which is an offence under Section-43 of the Act, 1974.

3) That according to the Section-24 of the Act, 1974 there is prohibition on use of stream or well for disposal of polluting matter, etc. The Section-24(1) of the Act, 1974 is quoted below;

Section-24(1) - Subject to the provisions of this section-

a) no person shall knowingly cause or permit any poisonous, noxious or polluting matter determined in accordance with such standards as may be laid down by the State Board to enter (whether directly or indirectly) into any stream or well or sewer or on land

b) no person shall knowingly cause or permit to enter into any stream any other matter which may tend, either directly or in combination with similar matters, to impede the proper flow of the water of the stream in a manner leading or likely to lead to a substantial aggravation of pollution due to other causes or of its consequences.

4) That the opp. party no.-1 has continuously discharging the sewage and untreated effluents without establishing any Sewage Treatment Plant, hereinafter referred as STP, which comes under the definition of "sewage effluents" within the meaning of Section-2(g) of the Act, 1974.

5) That the accused/opposite party no.-1 was inspected by the officials of the complainant Board on different dates. During the

inspection the project found operating without establishing the STP and discharging its untreated effluent and domestic sewage through drains into the Hindon River.

6) That in pursuance to the respective Inspections the complainant Board has Issued a Show Cause notice on 24.04.2024, to the Executive Officer, M/s Nagar Palika Parishad, Loni, Ghaziabad. A copy of the letter no.-H09886/C-1/न०पा०प०/पर्या०क्षति–का०म०नो०/2024 dated 24.04.2024 is being annexed herewith as <u>Annexure No.-1</u> to this complaint.

7) That in light and in compliance to the order dated 15.12.2023 passed by the learned National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No.-859/2022, Abhisht Kusum Gupta versus State of UP and ors., the officials of the State Board has carried the inspection of the unit on 15.02.2024 in pursuance to the analysis reports of the samples and collect the water sample of the drain prior to meet into Sardhana drain. The Inspection Report dated 15.02.2024 is being annexed herewith as <u>Annexure No.-2</u> to this complaint.

8) That after collecting the sample, in presence of the representative of unit in question, analyzed the same in laboratory authorized by the complainant Board. The report of analysis shows that the sewage effluent discharged by the project is beyond the standard laid down by the complainant Board as such the project has committed the breach of the provisions of Section-24 of the Act, 1974. The analysis report data is mentioned in the inspection report dated 15.02.2024, contained as annexure no.-2. Further, the complainant Board has issued a showcause notice dated 15.02.2024. The showcasue notice dated 15.02.2024 is being annexed herewith as <u>Annexure No.-3</u> to this complaint.

9) That the opp. party no.-2 is the responsible person of the project and in-charge of day to day business of the said project and responsible for the conduct of business of the said unit hence are liable to proceed against in violation of the provisions of Section-24 of the Act, 1974.

10) That opp. party nos. 1 and 2 has committed the offence under Section-43 of the Act, 1974. The offence is committed continuously against the society at large, animals and aquatic life in particular, because of their personal monetary gain. That the opp. party no.-2 is the brain and nerve centre of the opp. party no.-1 and conducting day to day business of the unit which has been discharging it's sewage effluents into the stream, hence are liable to be proceed against under Section-43 read with Section-47 the Act, 1974.

11) That the provisions of the Section-47(i) of the aforesaid Act, 1974, not only the company but every person who, at the time of offence was committed, was in-charge of and responsible to the company for conduct of the business is also liable and responsible for the commission of the said offence.

12) That the Competent Authority on 06.03.2024 has taken decision to file this complaint against all the Opp. Parties before this Hon'ble Court. The resolution dated 06.03.2024 is being annexed herewith as **Annexure No.-4** to this complaint.

13) That the complainant Board has authorized its officer to file the complaint on its behalf and Sri Anshul Sharma, Assistant Environmental Engineer has been nominated to file this complaint against the opp. parties. A copy of the authorization is being annexed herewith as **Annexure No.-5** to this complaint.

PRAYER

Therefore, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may very kindly and graciously be please to take cognizance of the offence and summon the accused/opp. party nos. 1 and 2 and punish them in accordance with law under Section-43 of the Act, 1974. Any such other order which this Hon'ble Court may deem just and proper in the circumstances may also by pass in the interest of the justice.

Lucknow
Dated: 30-04-2024

Complainant

(Anshul Sharma)
Assistant Environmental Engineer
U. P. Pollution Control Board

List of Witnesses:

1) Shri Vivek Rai, Chief Environmental Officer, Circle-1, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow.
2) Shri Pradeep Sharma, then Chief Environmental Officer, Circle-1, presently Chief Environmental Officer, Circle-3, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow.
3) Shri Sashi Vindakar, Environmental Engineer, Circle-1, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow.
4) Shri Vikas Mishra, Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Ghaziabad.
5) Shri N. K. Pandey, Assistant Environmental Engineer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Ghaziabad.
6) Shri Kunwar Santosh Kumar, Assistant Environmental Engineer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Ghaziabad.
7) Any other official who may be available at the time of trial

Complainant

Annexure-1 (6)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No 409886 /C-1/नगपाप०-06/पर्या०क्षति०–का०ब०नो०/2024 Date 24-4-24

पंजीकृत

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, लोनी,
गाजियाबाद।

यह कि अशुद्धिकृत सीवेज से हो रहे प्रदूषण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

"............We also direct UPPCB to take steps in respect to all local bodies in the State of UP which are discharging untreated sewage or treated water in rivers by taking samples and verify whether effective treatment is being carried out at STPs already installed and same are meeting parameters prescribed under Water Act and rules framed thereunder. A cumulative report in this regard shall be filed by Member Secretary, UPPCB within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.........."

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 का अनुपालन किया जाना है। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में मैसर्स नगर पालिका परिषद, लोनी, गाजियाबाद के अन्तर्गत स्थित अनटैप्ड नाले (बन्थला ड्रेन) का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 15.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान मैसर्स नगर पालिका परिषद, लोनी, गाजियाबाद के अन्तर्गत स्थित अनटैप्ड नाले (बन्थला ड्रेन) से जनित अशोधित सीवेज ड्रेन के माध्यम से यमुना नदी में निस्तारित होता हुआ पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप यमुना नदी का जल दूषित होना सम्भावित है।

यह कि उपरोक्त के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 15.04.2024 के माध्यम से मैसर्स नगर पालिका परिषद, लोनी, गाजियाबाद के विरूद्ध रूपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन प्रतिमाह की दर से दिनांक 01.07.2020 से 31.03.2024 के मध्य कुल 45 माह हेतु बन्थला ड्रेन हेतु रू0 5,00,000x45 Months=2,25,00,000/- (रू0 दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उ0प्र0 जल निगम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 10.04.2024 के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त मैसर्स नगर पालिका परिषद, लोनी, गाजियाबाद को निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

1. यह कि क्यों न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित ओदश दिनांक 21.05.2020 तथा दिनांक 15.12.2023, ओ0ए0 संख्या 593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के अनुपालन में मैसर्स नगर पालिका परिषद, लोनी, गाजियाबाद के विरूद्ध सीवेज के शुद्धिकरण होने तक प्रतिमाह रूपये 5.0 लाख प्रति ड्रेन की दर से दिनांक 01.07.2020 से 31.03.2024 के मध्य कुल 45 माह हेतु बन्थला ड्रेन हेतु रू0 5,00,000x45 Months=2,25,00,000/- (रू0 दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

.........2/–

टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720881
फैक्स : 0522-2720764
ई–मेल : info@uppcb.com| website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720881
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com| website: www.uppcb.com

Applied 24/4/24

(7)

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को प्रेषित करें, अन्यथा की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

संलग्नक–क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त आख्या दिनांक 15.04.2024 की छायाप्रति।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

भवदीय,

(विवेक राय)
मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त–1

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिशासी अधिकारी, मैसर्स नगर पालिका परिषद, लोनी, गाजियाबाद को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त–1

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

Annexure-2

(8)

पत्र संख्या :2276 /NGT-159 / 2023 -2-4

दिनांक 15/02/2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–1),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय:–**<u>मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।</u>**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आदेश के क्रम में हिण्डन नदी में अशुद्धिकृत उत्प्रवाह निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में उत्तरदायी संस्था के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या संलग्न है।

संलग्न आख्यानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 द्वारा जारी निर्देशो के क्रम में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद लोनी, गाजियाबाद के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0–2, सेक्टर–16, वसुन्धरा, गाजियाबाद–201012 फोन–0120–4160108

मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

<u>मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।</u>

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 में पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है:–

"............23. Since, cognizance of offence can be taken in the manner as prescribed under Section 49 (1) of Water Act, 1974 and we are satisfied that neither local bodies for discharging sewage through drains in rivers have taken effective steps for prevention of discharge of polluted effluents and sewage into river but even industries are also continuously doing same but no effective steps have been taken against them.

24. In these circumstances, we direct Member Secretary, UPPCB forthwith to initiate or get initiated criminal prosecution by lodging criminal complaint in appropriate court for committing offence under Section 43 read with Section 24 of Water Act, 1974 against the Officersin-Charge of Municipal Corporations/Municipal Bodies of Saharanpur, Muzuffarnagar, Shamli, Meerut, Baghpat, Ghaziabad and Gautam Budh Nagar and also initiate criminal prosecution against industries which are discharging polluting materials in the river........."

उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से हिण्डन नदी में गिरने वाले नालो का निरीक्षण विभिन्न तिथियों किया गया। निरीक्षण के समय गिरने वाले समस्त नालो से नमूना एकत्रण कर क्षेत्रीय प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा कराया गया। क्षेत्रीय प्रयोगशाला से प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार नालो में जल गुणवत्ता का विवरण निम्नवत् है:–

S.NO	Name of Drains	Date	pH	Color	B.O.D mg/L	C.O.D mg/L	T.S.S mg/L	Total Coliform MPN/100ml	Fecal Coliform MPN/100ml
1.	Jawali	05.12.2023	7.3	Turbid	53	102	94	320000	260000
		13.12.2023	6.98	Turbid	49	100	92	250000	210000
		20.12.2023	6.8	Turbid	51	101	90	210000	170000
		25.12.2023	6.92	Turbid	43	105	82	150000	120000

निरीक्षण के समय हिण्डन नदी का डाउन स्ट्रीम (छिजारसी) नमूना एकत्रण कर क्षेत्रीय प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा कराया गया। क्षेत्रीय प्रयोगशाला से प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार नालो में जल गुणवत्ता का विवरण निम्नवत् है:–

S.NO	Name of Drains	Date	pH	Color	D.O mg/L	B.O.D mg/L	C.O.D mg/L	T.S.S mg/L	Total Coliform MPN/100ml	Fecal Coliform MPN/100ml
1.	Hindon River D/S Chhijarsi	04.01.2024	7.60	Turbid	2.50	20.0	69.0	120.0	310000	210000

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि नगर पालिका परिषद लोनी, गाजियाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत जनित होने वाले घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण बिना किसी शुद्धिकृत किये हिण्डन नदी में किया जा रहा है, जिससे हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। हिण्डन नदी के डाउन स्ट्रीम से लिये गये नमूने की विश्लेषण आख्यानुसार Total Coliform & Fecal Coliform अधिक पायी गयी है, जिससे स्पष्ट है कि घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण बिना किसी शुद्धिकरण नालो के माध्यम से हिण्डन नदी में किया जा रहा है। उक्त ड्रेन नगर पालिका परिषद लोनी, गाजियाबाद के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है तथा उक्त सभी ड्रेन अन्टेप्ड है। नगर पालिका परिषद लोनी, गाजियाबाद के क्षेत्रान्तर्गत प्रवाहित होने वाली ड्रेनो के उत्तरदायी संस्था/व्यक्ति अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद लोनी, गाजियाबाद है। सम्बन्धित अधिकारी के नाम, पदनाम व पता निम्नवत् है:–

(9)

(10)

क0सं0	विभाग का नाम	सम्बन्धित अधिकारी का नाम	सम्बन्धित अधिकारी का पता	सम्बन्धित अधिकारी का पदनाम
1.	नगर पालिका परिषद लोनी, गाजियाबाद	श्री कृष्णकान्त मिश्रा	नगर पालिका परिषद लोनी, गाजियाबाद	अधिशासी अधिकारी

अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 द्वारा जारी निर्देशो के कम में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद लोनी, गाजियाबाद के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(एन0के0पाण्डेय)
सहा0 पर्या0 अभियंता

(कुँवर संतोष कुमार)
सहा0 पर्या0 अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure-3 (17)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No. H06966 /C-1/न0पा0प0–06/पर्या0क्षति0–का0ब0नो0/2024 Date: 15-2-24

सेवा में, पंजीकृत

नगर पालिका परिषद, लोनी,
गाजियाबाद। 7800411808

विषयः–इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण हेतु कारण बताओ नोटिस प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 196/2022 हरिओम गुप्ता एव अन्य बनाम नगर पालिका परिषद लोनी एवं अन्य में दिनांक 09.01.2024 को आदेश पारित किये गये हैं, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् हैः–

"......9. It may also be observed here that UPPCB cannot be a silent spectator to the violations of the Solid-Waste Management Rules, 2016 and the Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 and mere issuance of show cause notices without taking of appropriate action on the same or issuance of directions without implementation of the same cannot achieve the object of proctection of environment. The UPPCB is directed to take action for of environmental compensation and also prosecution of the concerned officers and the contractor allegd to have violated the environmental norms........"

क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद द्वारा अपने पत्र संख्या 1997/ एन0जी0टी0–143/ ओ0ए0–196/22/2024 दिनांक 17.01.2024 के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.01.2024 के अनुपालन में आख्या प्रेषित की गयी है। आख्यानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 196/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.03.2022 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण दिनांक 21.06.2022 को किया गया। संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पालिका परिषद, लोनी द्वारा नगरीय क्षेत्र से जनित सीवरेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु एस0टी0पी0 की स्थापना नहीं की गयी है, न ही जल निकासी की समुचित व्यवस्था स्थापित है, जिसके कारण शिकायती स्थल पर जल भराव की समस्या है एवं स्थल पर नगरीय ठोस अपशिष्ट डम्प किया हुआ पाया गया। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2023 के अनुपलान में प्रश्नगत स्थल का अद्यतन निरीक्षण दिनांक 27.12.2023 को किया गया था। निरीक्षण में पाया गया कि स्थल से पूर्व में डम्प नगरीय ठोस अपशिष्ट को हटा लिया गया है परन्तु जल भराव की समस्या अभी भी विद्यमान है तथा आस–पास के क्षेत्र से प्रवाहित घरेलू सीवरेज उत्प्रवाह उक्त क्षेत्र में भरा हुआ है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.01.2024 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद की अध्यक्षता में दिनांक 15.01.2024 को बैठक आहूत की गयी तथा बैठक के दौरान नगर पालिका परिषद, लोनी, गाजियाबाद को स्थल पर एकत्रित जल भराव को अस्थाई रूप से सकर मशीन के माध्यम से नियमित रूप से निकाल कर अन्यत्र स्थल पर एस0टी0पी0 के माध्यम से निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये। नगर पालिका परिषद, लोनी, गाजियाबाद द्वारा घरेलू सीवरेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की गयी है, जिसके कारण जल भराव की समस्या बनी हुई है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 593/2017 Paryavaran Suraksha Samiti & Anr. Vs Union of India & Ors. में पारित आदेश दिनांक 22.02.2021 में निम्न आदेश पारित किये गये हैः–

टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720891, 2720881
फैक्स : 0522-2720764
ई–मेल : info@uppcb.com| website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720891, 2720881
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com| website: www.uppcb.com

Mailed 15/02/2024

(12)

"......We now sum up our directions as follows: i. 100% treatment of sewage may ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/... by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage of the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned department of the State/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakh per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting uo of the STP......."

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा नगर पालिका परिषद, लोनी, गाजियाबाद के विरूद्ध पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के दृष्टिगत कुल उल्लंघन अवधि पूर्व निरीक्षण दिनांक 21.06.2022 से निरीक्षण दिनांक 27.12.2023 तक (कुल 18.2 माह) तक मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के क्रम में रू0 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से कुल पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 91,00,000/-(रू0 इक्यानबे लाख मात्र) अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है। प्रेषित आख्या एवं संस्तुति तथा मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनायी गयी गाईड लाईन के आधार पर सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमति के उपरान्त इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने से पूर्व निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

"यह कि क्यों न मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर नगर पालिका परिषद, लोनी, गाजियाबाद के विरूद्ध पूर्व निरीक्षण दिनांक 21.06.2022 से निरीक्षण दिनांक 27.12.2023 तक (कुल 18.2 माह) तक मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के क्रम में रू0 5.0 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन की दर से कुल पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 91,00,000/-(रू0 इक्यानबे लाख मात्र) अधिरोपित करते हुये नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये?"

उपरोक्त पर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके इकाई के विरूद्ध रू0 91,00,000/-(रू0 इक्यानबे लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

भवदीय,

(प्रदीप शर्मा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

(13)

Annexure-4

मैसर्स नगर पालिका परिषद लोनी, गाजियाबाद एवं उसके उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-43 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव।

मैसर्स नगर पालिका परिषद लोनी, गाजियाबाद एक आवासीय संस्था है, जो कि जल अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है, जिसके विरूद्ध उक्त अधिनियम में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने के कारण क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद के पत्र संख्या 2276/एन0जी0टी0–159/2023–24 दिनांक 15.02.2024 के माध्यम से उक्त संस्था के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं:–

"......23. Since, cognizance of offence can be taken in the manner as prescribed under Section 49 (1) of Water Act, 1974 and we are satisfied that neither local bodies for discharging sewage through drains in rivers have taken effective steps for prevention of discharge of polluted effluents and sewage into river but even industries are also continuously doing same but no effective steps have been taken against them.

24. In these circumstances, we direct Member Secretary, UPPCB forthwith to initiate or get initiated criminal prosecution by lodging criminal complaint in appropriate court for committing offence under Section 43 read with Section 24 of Water Act, 1974 against the Officers in-Charge of Municipal Corporations/Municipal Bodies of Saharanpur, Muzuffarnagar, Shamli, Meerut, Baghpat, Ghaziabad and Gautam Budh Nagar and also initiate criminal prosecution against industries which are discharging polluting materials in the river......."

उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से हिण्डन नदी में गिरने वाले नालो का निरीक्षण विभिन्न तिथियों किया गया। निरीक्षण के समय गिरने वाले समस्त नालो से नमूना एकत्रण कर क्षेत्रीय प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा कराया गया। क्षेत्रीय प्रयोगशाला से प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार नालो में जल गुणवत्ता का विवरण निम्नवत् है:–

S.NO	Name of Drains	Date	pH	Color	B.O.D mg/L	C.O.D mg/L	T.S.S mg/L	Total Coliform MPN /100ml	Fecal Coliform MPN/100ml
1	Jawali	25.12.2023	6.92	Turbid	43	105	82	150000	120000

निरीक्षण के समय हिण्डन नदी का डाउन स्ट्रीम (छिजारसी) नमूना एकत्रण कर क्षेत्रीय प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा कराया गया। क्षेत्रीय प्रयोगशाला से प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार नालो में जल गुणवत्ता का विवरण निम्नवत् है:–

S.NO	Name of Drains	Date	pH	Color	D.O mg/L	B.O.D mg/L	C.O.D mg/L	T.S.S mg/L	Total Coliform MPN/100ml	Fecal Coliform MPN/100ml
1.	Hindon River D/S Chhijarsi	04.01.2024	7.60	Turbid	2.50	20.0	69.0	120.0	310000	210000

(15)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि नगर पालिका परिषद लोनी, गाजियाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत जनित होने वाले घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण बिना किसी पर्याप्त शोधित व्यवस्था स्थापित किये उपरोक्त नालों के माध्यम से हिण्डन नदी में किया जा रहा है फलस्वरूप नदी में घुलित आक्सीजन की मात्रा में कमी एवं टोटल कॉलीफार्म तथा फीकल कॉलीफार्म इत्यादि की मात्रा में बढ़ोत्तरी हो रही है, जिससे हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वामाविक है। उक्त ड्रेन्स नगर पालिका परिषद लोनी, गाजियाबाद के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है तथा उक्त सभी ड्रेने अन्टेप्ड है। नगर पालिका परिषद लोनी, गाजियाबाद के क्षेत्रान्तर्गत प्रवाहित होने वाली ड्रेनों के उत्तरदायी संस्था/व्यक्ति अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद लानी, गाजियाबाद है। सम्बन्धित अधिकारी के नाम, पदनाम व पता निम्नवत् है:-

क्0सं0	विभाग का नाम	सम्बन्धित अधिकारी का नाम	सम्बन्धित अधिकारी का पता	सम्बन्धित अधिकारी का पदनाम
1.	नगर पालिका परिषद लोनी, गाजियाबाद	श्री कृष्णकान्त मिश्रा मो0 नं0-918189077897	नगर पालिका परिषद लोनी, गाजियाबाद	अधिशासी अधिकारी

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद लानी, गाजियाबाद के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत मैसर्स नगर नगर पालिका परिषद लोनी, गाजियाबाद एवं उसके दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिये उत्तरदायी व्यक्ति श्री कृष्णकान्त मिश्रा (मोबाईल नं0-918189077897), अधिशासी अधिकारी, मैसर्स नगर पालिका परिषद लोनी, गाजियाबाद के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-43 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर किये जाने हेतु अभियोजनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।

(शशि बिन्दकर)
पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

29/02/24
(प्रदीप शर्मा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

सदस्य सचिव/अध्यक्ष महोदय

6/3/24
(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ

(मनोज सिंह)
अध्यक्ष
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ

(5)

दिनांक–23.12.81 को सम्पन्न बोर्ड की 16वीं बैठक की जारी सूची सं0–16.04 पर प्रस्तुत प्रस्ताव एवं उस पर लिया गया निर्णयः–

विषय–बोर्ड के विधि अधिकारी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, अथवा सहायक पर्यावरण अभियंता को न्यायालय में बोर्ड की ओर से वाद प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत करना।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के विभिन्न प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में औद्योगिक एवं स्थानीय निकायों के विरूद्व बोर्ड द्वारा अभियोजनात्मक कार्यवाही करनी पड़ती है। जिसके लिए कभी–कभी यह आवश्यक हो जाता है कि वादी स्वयं न्यायालय में उपस्थित रहे। अब तक विभिन्न वादों में सदस्य सचिव भी वादी की हैसियत से वाद दायर करते रहे हैं। इस कारण सदस्य सचिव को कई बार न्यायालय में उपस्थित रहना पड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप बोर्ड के दिन प्रतिदिन के आवश्यक कार्यों में व्यवधान पड़ा है।

उपरोक्त वर्णित कारणों एवं स्थानीय सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रस्ताव है कि बोर्ड के विधि अधिकारी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सहायक वैज्ञानिक अधिकारी अथवा सहायक पर्यावरण अभियंता जिसको भी सदस्य–सचिव नामित करें। बोर्ड की ओर से दायर किए जाने वाले मुकदमों में वाद दायर करने के लिए अधिकृत किया जाये।

इस प्रकार की कार्यवाही से अभियोजनात्मक कार्यवाही अधिक प्रभावी होगी तथा बोर्ड आवश्यक प्रशासनिक उच्च स्तरीय कार्यकलापों में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ेगा।

<u>निर्णय</u>

बोर्ड की ओर से न्यायालय में वाद प्रस्तुत किए जाने हेतु विधि अधिकारी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी तथा सहायक पर्यावरण अभियंता को बोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि मुकदमा उसी अधिकारी द्वारा दायर किया जाएगा जिसको सदस्य–सचिव नामित करेंगे।

Annexure-5 (16)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. :

Date : 29-04-2024

BEFORE THE COURT OF SPECIAL JUDICIAL MAGISTRATE,
(Water & Air Pollution Control), Ist Class, Lucknow

Complaint Case No. of 2024

Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow

.......Complainant

Versus

M/s Nagar Palika Parishad, Loni, Ghaziabad through its Executive Officer and another

......Opposite Parties

AUTHORIZATION

Hon'ble Sir,

As per the resolution of the State Board Sri Anshul Sharma, Assistant Environment Engineer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow is hereby nominated/authorized to file this complaint under Section-43 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 against M/s Nagar Palika Parishad, Loni, Ghaziabad through its Executive Officer and another on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board, , T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar Lucknow.

sk

(Sanjeev Kumar Singh)
Member Secretary

The signature of Sri Anshul Sharma is hereby attested.

Anshul

(Anshul Sharma)

sk

(Sanjeev Kumar Singh)
Member Secretary

टी.सी.– 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ – 226 010
दूरभाष : 0522–2720828, 2720831
फैक्स : 0522–2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow – 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831,
Fax : 0522-2720764, 2720676
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

1 WS/48158/2024
UPLKO040481592024

BEFORE THE COURT OF SPECIAL JUDICIAL MAGISTRATE (WATER AND AIR POLLUTION CONTROL), LUCKNOW

Complaint Case No. of 2024

Uttar Pradesh Pollution Control Board, T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow through its Assistant Environmental Engineer, Shri Anshul Sharma

......Complainant

Versus

1) **M/s Nagar Nigam, Ghaziabad through its General Manager (Water).**

2) **Shri K.P. Anand, General Manager (Water), Nagar Nigam, Ghaziabad**

......Opp. Parties

<u>COMPLAINT UNDER SECTION 43 OF THE WATER (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1974</u>

Sir,

The complainant, Uttar Pradesh Pollution Control Board, herein after referred as Complainant Board, most respectfully showeth as under;

1) That the complainant is the State Board constituted by the Government of Uttar Pradesh vide LSG-Section-4 G.O. No.-897/ix-4-100-74 dated 03.02.1975 in accordance to the provisions of Section-4(1) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (herein after referred as Act, 1974) for the prevention and control of pollution regarding Water, Air and Environmental Pollutions which has been named as Uttar Pradesh Pollution

Control Board vide Notification No.-2179/9-02-100-74 dated 13.07.1982.

2) That the M/s Nagar Nigam, Ghaziabad is a body corporate under Section-4 of the U. P. Municipal Corporation Adhiniyam, 1959 and is a company within the meaning of Section-47 of the Act, 1974, hereinafter referred as Unit, which has been discharging knowingly its untreated noxious and polluted sewage through drains into the River which is a "Stream" defined in Section-2(J) of the Act, 1974 which is an offence under Section-43 of the Act, 1974.

3) That according to the Section-24 of the Act, 1974 there is prohibition on use of stream or well for disposal of polluting matter, etc. The Section-24(1) of the Act, 1974 is quoted below;

Section-24(1) - Subject to the provisions of this section-

a) no person shall knowingly cause or permit any poisonous, noxious or polluting matter determined in accordance with such standards as may be laid down by the State Board to enter (whether directly or indirectly) into any stream or well or sewer or on land

b) no person shall knowingly cause or permit to enter into any stream any other matter which may tend, either directly or in combination with similar matters, to impede the proper flow of the water of the stream in a manner leading or likely to lead to a substantial aggravation of pollution due to other causes or of its consequences.

4) That the opp. party no.-1 has continuously discharging the sewage and untreated effluents without establishing any Sewage Treatment Plant, hereinafter referred as STP, which comes under

the definition of "sewage effluents" within the meaning of Section-2(g) of the Act, 1974.

5) That the opposite party no.-1 was inspected by the officials of the complainant Board on several different dates. During the inspections it is found that the project was operational without establishing STP and therefore the untreated effluent generated from domestic sewage drained through different nine drains which finally meets into the River Hindon.

6) That in light and in compliance to the order dated 15.12.2023 passed by the learned National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No.-859/2022, Abhisht Kusum Gupta versus State of UP and ors., the officials of the State Board again inspected the project in question in pursuance to the analysis reports on 15.02.2024 by the officials of the complainant Board and collected the sample of effluent. The Inspection Report dated 15.02.2024 is being annexed herewith as <u>**Annexure-1**</u> to this complaint.

7) That after collecting the sample, in presence of the representative of project in question, analyzed the same in laboratory authorized by the complainant Board. The report of analysis shows that the sewage effluent discharged by the project is beyond the standard laid down by the complainant Board as such the project has committed the breach of the provisions of Section-24 of the Act, 1974. The sample analysis report is mentioned in the report dated 15.02.2024, contained as annexure no.-1 to this complaint.

8) That the opp. party no.-2 is the responsible person of the project and in-charge of day to day business of the said project and responsible for the conduct of business of the said unit hence are liable to proceed against in violation of the provisions of Section-24 of the Act, 1974.

9) That opp. party nos. 1 and 2 has committed the offence under Section-43 of the Act, 1974. The offence is committed continuously against the society at large, animals and aquatic life in particular, because of their personal monetary gain. That the accused/opp. party no.-2 is the brain and nerve centre of the accused/opp. party no.-1 and conducting day to day business of the unit which has been discharging it's sewage effluents into the stream, hence are liable to be proceed against under Section-43 read with Section-47 of the Act, 1974.

10) That the provisions of the Section-47(i) of the aforesaid Act, 1974, not only the company but every person who, at the time of offence was committed, was in-charge of and responsible to the company for conduct of the business is also liable and responsible for the commission of the said offence.

11) That the Competent Authority on 11.03.2024 has taken decision to file this complaint against all the Opp. Parties before this Hon'ble Court. The resolution dated 11.03.2024 is being annexed herewith as **Annexure-2** to this complaint.

12) That the complainant Board has authorized its officer to file the complaint on its behalf and Sri Anshul Sharma, Assistant Environmental Engineer has been nominated to file this

Anshul

complaint against the Opp. Parties. A copy of the authorization is being annexed herewith as **Annexure-3** to this complaint.

PRAYER

Therefore, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may very kindly and graciously be please to take cognizance of the offence and summon the accused/opp. party nos. 1 and 2 and punish them in accordance with law under Section-43 of the Act, 1974. Any such other order which this Hon'ble Court may deem just and proper in the circumstances may also by pass in the interest of the justice.

Lucknow
Dated: 30-04-2024

Complainant

Anshul

(Anshul Sharma)
Assistant Environmental Engineer
U. P. Pollution Control Board

List of Witnesses:

1) Shri Vivek Rai, Chief Environmental Officer, Circle-1, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow.
2) Shri Pradeep Sharma, then Chief Environmental Officer, Circle-1, presently Chief Environmental Officer, Circle-3, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow.
3) Shri Sashi Vindakar, Environmental Engineer, Circle-1, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow.
4) Shri Vikas Mishra, Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Ghaziabad.
5) Shri N. K. Pandey, Assistant Environmental Engineer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Ghaziabad.
6) Shri Kunwar Santosh Kumar, Assistant Environmental Engineer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Ghaziabad.
7) Any other official who may be available at the time of trial

Anshul

Complainant

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद Annexure-1 ⑥
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

पत्र संख्या :2270/NGT-159/2023-24

दिनांक 15/02/2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–1),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः–**मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आदेश के कम में हिण्डन नदी में अशुद्धिकृत उत्प्रवाह निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में उत्तारदायी संस्था के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या संलग्न है।

संलग्न आख्यानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 द्वारा जारी निर्देशो के कम में महाप्रबन्धक (जल), गाजियाबाद नगर निगम के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0–2, सेक्टर–16, वसुन्धरा, गाजियाबाद–201012 फोन–0120–4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

(7)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 859/2022 अमीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 859/2022 अमीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 में पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

"............23. Since, cognizance of offence can be taken in the manner as prescribed under Section 49 (1) of Water Act, 1974 and we are satisfied that neither local bodies for discharging sewage through drains in rivers have taken effective steps for prevention of discharge of polluted effluents and sewage into river but even industries are also continuously doing same but no effective steps have been taken against them.

24. In these circumstances, we direct Member Secretary, UPPCB forthwith to initiate or get initiated criminal prosecution by lodging criminal complaint in appropriate court for committing offence under Section 43 read with Section 24 of Water Act, 1974 against the Officersin-Charge of Municipal Corporations/Municipal Bodies of Saharanpur, Muzuffarnagar, Shamli, Meerut, Baghpat, Ghaziabad and Gautam Budh Nagar and also initiate criminal prosecution against industries which are discharging polluting materials in the river........."

उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से हिण्डन नदी में गिरने वाले नालो का निरीक्षण विभिन्न तिथियों किया गया। निरीक्षण के समय गिरने वाले समस्त नालो से नमूना एकत्रण कर क्षेत्रीय प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा कराया गया। क्षेत्रीय प्रयोगशाला से प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार नालो में जल गुणवत्ता का विवरण निम्नवत् है:-

S.NO	Name of Drains	Date	pH	Color	B.O.D mg/L	C.O.D mg/L	T.S.S mg/L	Total Coliform MPN/100 ml	Fecal Coliform MPN/100 ml
1.	Arthala	05.12.2023	6.86	Blackish	82	169	154	4100000	3400000
		13.12.2023	6.9	Blackish	76	163	150	3900000	2700000
		20.12.2023	6.82	Blackish	78	165	153	3200000	2200000
		25.12.2023	7.05	Turbid	44	152	132	260000	220000
2.	Dasna	05.12.2023	6.92	Turbid	78	133	165	2700000	2200000
		13.12.2023	6.72	Turbid	74	130	152	3100000	2600000
		20.12.2023	6.65	Turbid	72	128	149	3900000	2700000
		25.12.2023	6.72	Turbid	75	134	153	3200000	2600000
3.	Hindonvihar	05.12.2023	7.23	Turbid	82	176	168	4700000	3400000
		13.12.2023	7.12	Turbid	78	168	160	4900000	3300000
		20.12.2023	7.09	Turbid	81	175	169	4600000	33000000
		25.12.2023	7.34	Turbid	72	184	150	4300000	3100000
4.	Pratapvihar	05.12.2023	7.08	Turbid	79	172	178	3100000	2300000
		13.12.2023	7.05	Turbid	74	167	170	3100000	2300000
		20.12.2023	6.88	Turbid	70	162	160	3300000	2300000
		25.12.2023	7.2	Turbid	48	140	126	400000	340000
5.	Karheda	05.12.2023	7.04	Turbid	82	182	188	3900000	2700000
		13.12.2023	7.26	Turbid	80	178	174	4300000	3100000
		20.12.2023	7.18	Turbid	85	185	190	3100000	2100000
		25.12.2023	7.3	Turbid	45	152	160	390000	330000
6.	Kaila Bhatta	05.12.2023	7.09	Turbid	81	159	162	5800000	3100000
		13.12.2023	7.3	Turbid	84	153	156	4700000	2700000
		20.12.2023	7.22	Turbid	79	148	150	4300000	3100000
		25.12.2023	6.89	Turbid	46	144	132	320000	260000
7.	Nandgram	05.12.2023	7.35	Turbid	94.0	248.0	250.0	4300000	2300000
		13.12.2023	7.56	Turbid	96.0	252.0	253.0	4600000	3300000
		20.12.2023	7.33	Turbid	92.0	244.0	249.0	3900000	2700000
		25.12.2023	7.25	Turbid	50.0	192.0	200.0	320000	260000
8.	Rahul Vihar	05.12.2023	7.43	Turbid	116.0	276.0	280.0	4600000	2300000
		13.12.2023	7.26	Turbid	102.0	256.0	260.0	4300000	3100000
		20.12.2023	7.33	Turbid	96.0	238.0	255.0	3500000	2200000
9.	City Forest	05.12.2023	7.26	Turbid	94.0	174.0	183.0	4300000	2300000
		13.12.2023	7.4	Turbid	90.0	172.0	180.0	4000000	3400000
		20.12.2023	7.32	Turbid	95.0	176.0	186.0	3900000	2700000
		25.12.2023	7.08	Turbid	52.0	160.0	168.0	310000	260000

(8)

निरीक्षण के समय हिण्डन नदी का डाउन स्ट्रीम (छिजारसी) नमूना एकत्रण कर क्षेत्रीय प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा कराया गया। क्षेत्रीय प्रयोगशाला से प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार नालो में जल गुणवत्ता का विवरण निम्नवत् है:–

S.NO	Name of Drains	Date	pH	Color	D.O mg/L	B.O.D mg/L	C.O.D mg/L	T.S.S mg/L	Total Coliform MPN/100ml	Fecal Coliform MPN/100ml
1.	Hindon River D/S Chhijarsi	04.01.2024	7.60	Turbid	2.50	20.0	69.0	120.0	310000	210000

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत जनित होने वाले घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण बिना किसी शुद्धिकृत किये हिण्डन नदी में किया जा रहा है, जिससे हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। हिण्डन नदी के डाउन स्ट्रीम से लिये गये नमूने की विश्लेषण आख्यानुसार Total Coliform & Fecal Coliform अधिक पायी गयी है, जिससे स्पष्ट है कि घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण बिना किसी शुद्धिकरण नालो के माध्यम से हिण्डन नदी में किया जा रहा है। उक्त सभी 09 ड्रेन्स नगर निगम, गाजियाबाद के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है तथा उक्त सभी ड्रेने अन्टेप्ड है। नगर निगम, गाजियाबाद के क्षेत्रान्तर्गत प्रवाहित होने वाली ड्रेनो के उत्तरदायी संस्था/व्यक्ति महाप्रबन्धक (जल), गाजियाबाद नगर निगम है। सम्बन्धित अधिकारी के नाम, पदनाम व पता निम्नवत् है:–

क्0सं0	विभाग का नाम	सम्बन्धित अधिकारी का नाम	सम्बन्धित अधिकारी का पता	सम्बन्धित अधिकारी का पदनाम
1.	नगर निगम गाजियाबाद	श्री के0पी0 आनन्द	महाप्रबन्धक (जल), गाजियाबाद नगर निगम	महाप्रबन्धक

अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 द्वारा जारी निर्देशो के कम में महाप्रबन्धक (जल), गाजियाबाद नगर निगम के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(एन0के0पाण्डेय)
सहा0 पर्या0 अभियंता

(कुँवर संतोष कुमार)
सहा0 पर्या0 अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी

(9)

Annexure-2

मैसर्स नगर निगम, गाजियाबाद एवं उसके उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 43 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव।

मैसर्स नगर निगम, गाजियाबाद एक आवासीय संस्था है, जो कि जल अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है, जिसके विरूद्ध उक्त अधिनियम में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने के कारण क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद के पत्र संख्या 2275/एन0जी0टी0–159/2023–24 दिनांक 15.02.2024 के माध्यम से उक्त संस्था के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं:–

"......23. Since, cognizance of offence can be taken in the manner as prescribed under Section 49 (1) of Water Act, 1974 and we are satisfied that neither local bodies for discharging sewage through drains in rivers have taken effective steps for prevention of discharge of polluted effluents and sewage into river but even industries are also continuously doing same but no effective steps have been taken against them.

24. In these circumstances, we direct Member Secretary, UPPCB forthwith to initiate or get initiated criminal prosecution by lodging criminal complaint in appropriate court for committing offence under Section 43 read with Section 24 of Water Act, 1974 against the Officersin-Charge of Municipal Corporations/Municipal Bodies of Saharanpur, Muzuffarnagar, Shamli, Meerut, Baghpat, Ghaziabad and Gautam Budh Nagar and also initiate criminal prosecution against industries which are discharging polluting materials in the river......."

उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से हिण्डन नदी में गिरने वाले नालों का निरीक्षण निम्नवत् विभिन्न तिथियों में किया गया। निरीक्षण के समय गिरने वाले समस्त नालो से नमूना एकत्रण कर क्षेत्रीय प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा कराया गया। क्षेत्रीय प्रयोगशाला से प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार नालो में जल गुणवत्ता का विवरण निम्नवत् है:–

S.NO	Name of Drains	Date	pH	Color	B.O.D mg/L	C.O.D mg/L	T.S.S mg/L	Total Coliform MPN/100 ml	Fecal Coliform MPN/100 ml
1.	Arthala	05.12.2023	6.86	Blackish	82	169	154	4100000	3400000
2.	Dasna	05.12.2023	6.92	Turbid	78	133	165	2700000	2200000
3.	Hindon vihar	05.12.2023	7.23	Turbid	82	176	168	4700000	3400000
4.	Pratap vihar	05.12.2023	7.08	Turbid	79	172	178	3100000	2300000
5.	Karheda	05.12.2023	7.04	Turbid	82	182	188	3900000	2700000
6.	Kaila Bhatta	05.12.2023	7.09	Turbid	81	159	162	5800000	3100000
7.	Nand gram	05.12.2023	7.35	Turbid	94.0	248.0	250.0	4300000	2300000
8.	Rahul Vihar	05.12.2023	7.43	Turbid	116.0	276.0	280.0	4600000	2300000
9.	City Forest	05.12.2023	7.26	Turbid	94.0	174.0	183.0	4300000	2300000

(18)

निरीक्षण के समय हिण्डन नदी का डाउन स्ट्रीम (छिजारसी) नमूना एकत्रण कर क्षेत्रीय प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा कराया गया। क्षेत्रीय प्रयोगशाला से प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार नालो में जल गुणवत्ता का विवरण निम्नवत् है:-

S.NO	Name of Drains	Date	pH	Color	D.O mg/L	B.O.D mg/L	C.O.D mg/L	T.S.S mg/L	Total Coliform MPN/100ml	Fecal Coliform MPN/100ml
1	Hindon River D/S Chhijarsi	05.12.2023	7.50	Turbid	6.50	15.0	48.0	110.0	140000	110000

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत जनित होने वाले घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण बिना किसी पर्याप्त शोधित व्यवस्था स्थापित किये उपरोक्त नालों के माध्यम से हिण्डन नदी में किया जा रहा है फलस्वरूप नदी में घुलित आक्सीजन की मात्रा में कमी एवं टोटल कॉलीफार्म तथा फीकल कॉलीफार्म इत्यादि की मात्रा में बढ़ोत्तरी हो रही है, जिससे हिण्डन नदी की जल गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उक्त सभी 09 ड्रेन्स नगर निगम, गाजियाबाद के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है तथा उक्त सभी ड्रेने अन्टेप्ड है। नगर निगम, गाजियाबाद के क्षेत्रान्तर्गत प्रवाहित होने वाली ड्रेनों के उत्तरदायी संस्था/व्यक्ति महाप्रबन्धक (जल), गाजियाबाद नगर निगम है। सम्बन्धित अधिकारी के नाम, पदनाम व पता निम्नवत् है:-

क्र0सं0	विभाग का नाम	सम्बन्धित अधिकारी का नाम	सम्बन्धित अधिकारी का पता	सम्बन्धित अधिकारी का पदनाम
1	नगर निगम गाजियाबाद	श्री के0पी0 आनन्द मो0 नं0-918178016807	महाप्रबन्धक(जल), गाजियाबाद नगर निगम	महाप्रबन्धक

वर्तमान में मात्र 01 ड्रेन (साहिबाबाद ड्रेन) को टैप्ड किया गया है तथा इन्द्रापुरम ड्रेन में 03 नग एस0टी0पी0 से शुद्धिकृत उत्प्रवाह ही प्रवाहित होता है। अन्य सभी 09 ड्रेनें अनटेप्ड हैं। क्षेत्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा साप्ताहिक सभी ड्रेनों से एकत्रित नमूनों का विश्लेषण किया जाता है। प्राप्त विश्लेषण आख्याओं से स्पष्ट है कि गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत जनित होने वाले घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण बिना शुद्धिकृत किये हिण्डन नदी में किया जा रहा है। उक्त सभी 09 ड्रेन्स नगर निगम, गाजियाबाद के क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित है। नगर निगम, गाजियाबाद के क्षेत्रान्तर्गत प्रवाहित होने वाली सभी ड्रेनों के उत्तरदायी संस्था महाप्रबन्धक (जल), गाजियाबाद नगर निगम है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 859/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2023 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में महाप्रबन्धक (जल), गाजियाबाद नगर निगम के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

(11)

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत मैसर्स नगर निगम, गाजियाबाद एवं उसके दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिये उत्तरदायी व्यक्ति श्री के0पी0 आनन्द, महाप्रबन्धक (जल) मैसर्स नगर निगम, गाजियाबाद (मोबाईल नं0–918178016807) के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 43 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर किये जाने हेतु अभियोजनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।

(शशि विन्दकर)
पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त–1

5/3/24
(प्रदीप शर्मा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1

सदस्य सचिव / अध्यक्ष महोदय

6/3/24
(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ

(मनोज सिंह)
अध्यक्ष
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ

-12-

दिनांक–23.12.81 को सम्पन्न बोर्ड की 16वीं बैठक की जारी सूची सं0–16.04 पर प्रस्तुत प्रस्ताव एवं उस पर लिया गया निर्णयः–

विषय–बोर्ड के विधि अधिकारी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, अथवा सहायक पर्यावरण अभियंता को न्यायालय में बोर्ड की ओर से वाद प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत करना।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के विभिन्न प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में औद्योगिक एवं स्थानीय निकायों के विरूद्ध बोर्ड द्वारा अभियोजनात्मक कार्यवाही करनी पड़ती है। जिसके लिए कभी–कभी यह आवश्यक हो जाता है कि वादी स्वयं न्यायालय में उपस्थित रहे। अब तक विभिन्न वादों में सदस्य सचिव भी, वादी की हैसियत से वाद दायर करते रहे हैं। इस कारण सदस्य सचिव को कई बार न्यायालय में उपस्थित रहना पड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप बोर्ड के दिन प्रतिदिन के आवश्यक कार्यों में व्यवधान पड़ा है।

उपरोक्त वर्णित कारणों एवं स्थानीय सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रस्ताव है कि बोर्ड के विधि अधिकारी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सहायक वैज्ञानिक अधिकारी अथवा सहायक पर्यावरण अभियंता जिसको भी सदस्य–सचिव नामित करें। बोर्ड की ओर से दायर किए जाने वाले मुकदमों में वाद दायर करने के लिए अधिकृत किया जाये।

इस प्रकार की कार्यवाही से अभियोजनात्मक कार्यवाही अधिक प्रभावी होगी तथा बोर्ड आवश्यक प्रशासनिक उच्च स्तरीय कार्यकलापों में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ेगा।

निर्णय

बोर्ड की ओर से न्यायालय में वाद प्रस्तुत किए जाने हेतु विधि अधिकारी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी तथा सहायक पर्यावरण अभियंता को बोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि मुकदमा उसी अधिकारी द्वारा दायर किया जाएगा जिसको सदस्य–सचिव नामित करेंगे।

Annexure-3 (13)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No.:

Date: 29-04-2024

BEFORE THE COURT OF SPECIAL JUDICIAL MAGISTRATE,
(Water & Air Pollution Control), Ist Class, Lucknow

Complaint Case No. of 2024

Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow

......Complainant

Versus

M/s Nagar Nigam, Ghaziabad through its General Manager and another

......Opposite Parties

AUTHORIZATION

Hon'ble Sir,

As per the resolution of the State Board Sri Anshul Sharma, Assistant Environment Engineer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow is hereby nominated/authorized to file this complaint under Section-43 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 against M/s Nagar Nigam, Ghaziabad through its General Manager and another on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board, , T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar Lucknow.

sk
(Sanjeev Kumar Singh)
Member Secretary

The signature of Sri Anshul Sharma is hereby attested.

Anshul
(Anshul Sharma)

sk
(Sanjeev Kumar Singh)
Member Secretary

टी.सी.– 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ – 226 010
दूरभाष : 0522–2720828, 2720831
फैक्स : 0522–2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow – 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831,
Fax : 0522-2720764, 2720676
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com